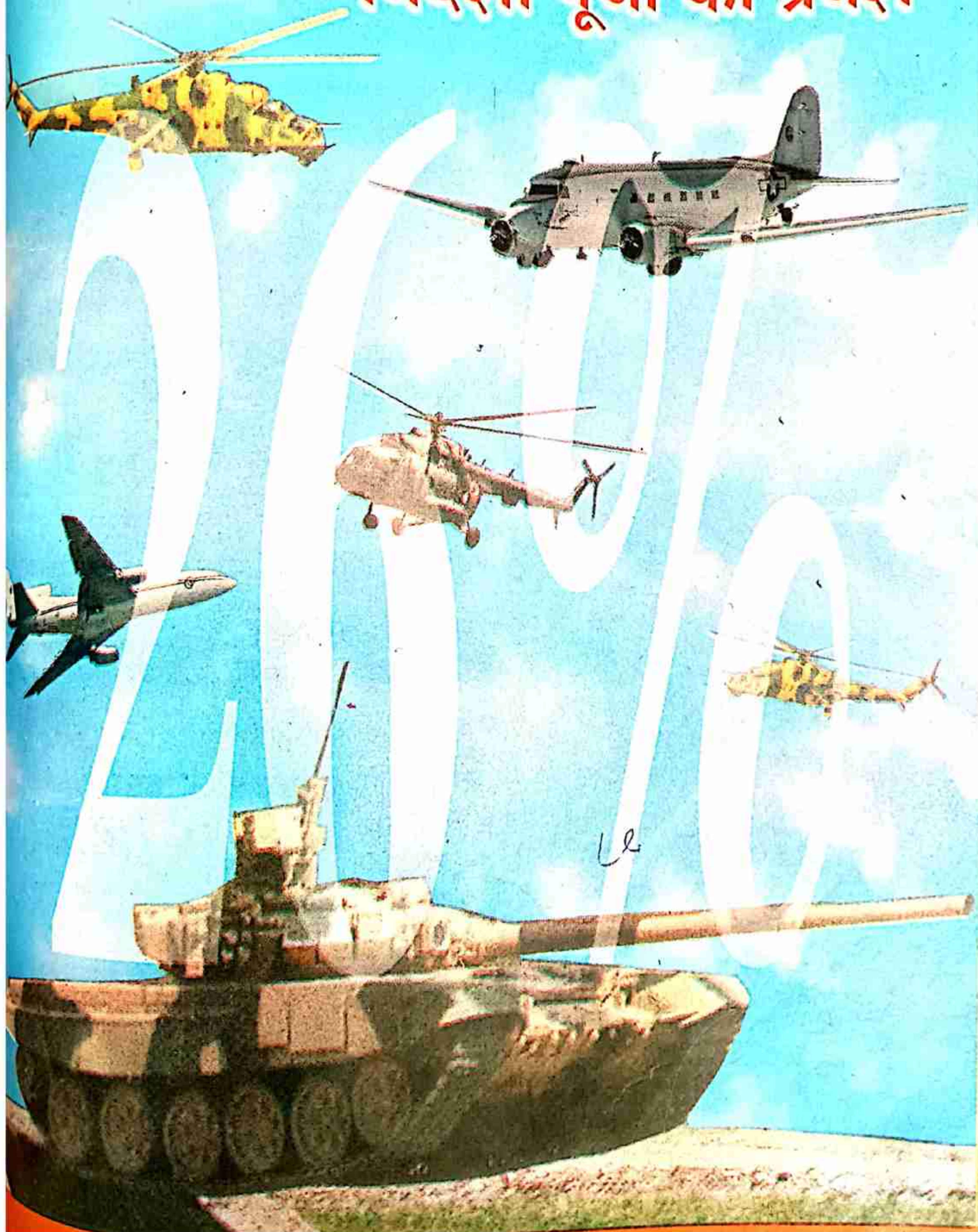


आषाढ-श्रावण २०५८ जुलाई २००९

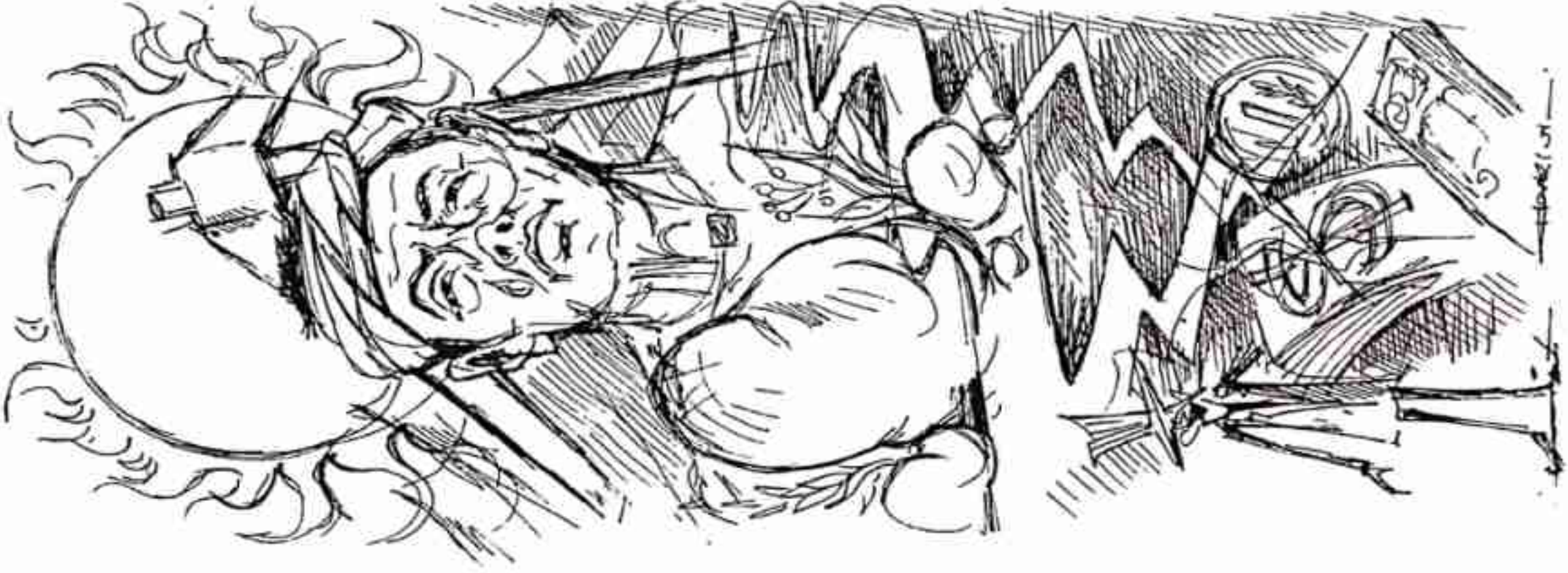
स्वदेशी

स्वामिमान, आर्थिक स्वावलंबन, राष्ट्रीय पुनर्रचना तथा स्वदेशी संदेश की संवाहिका पत्रिका

प्रतिरक्षा क्षेत्र में घातक है
विदेशी पूँजी का प्रवेश



है किसान बिनु सब जग सूना



■ आचार्य पंडित

अंतर में है पीर मचलती, अधरों पर है क्रोड़
सूना-खेत तुम्हारे हिस्से, फड़क रही है बोहो
है किसान बिनु सब जग सूना, सूनी पेट की छे
खोज रही है हलधर को, चारों ओर निहारे

होकर विकल मयूरी मन की श्रम को रोज फुका
बाट जोहती सूखी रोटी, ठंडे जल के सहो
खटते-खटते, पेट न भरते, मरते रोज कितना
जीवन लगे भार सा है! किसान-बनिहारा

श्रम-सूरज बन चमके, देकर गये उजाला
बना दिया माटी को कंचन, तुमने हो! रखवाला
पर्वत-पर्वत, जंगल-जंगल, फूट चुकी है धरा
कुश-कंटक मय पथ पर चलना, तुमको लगता प्यारा

मट्टी-मट्टी गोबर-गोबर, धरती कर हरियाला
अमर अन्न उपजाकर तुमने, कितना पेट है पाला
चीख रही है घर में औरत, पैरों में है छाला
फूँको स्वर अब महाक्रान्ति के, टूटे विदेशी ताला

टूटे 'पूँजी' पूँजीपति की, टूट जाय सब राज
टूटे किलें दमन-शोषण के, बजे स्वदेशी बाजा
भारत को बाजार समझते, तोड़ों ढाँचा-सा
इस धरती के तुम हो जीवन, लगेगा कितना प्यारा

अपनी वार्ता

प्रिय पाठक बन्धु,

देश की रक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रतिरक्षा क्षेत्र में विदेशी पूँजी के प्रवेश को स्वीकृति देने से देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों पराश्रित होंगी। इसमें संशय नहीं। स्वदेशी पत्रिका ने इस अंक में प्रतिरक्षा क्षेत्र तक विदेशी पूँजी की पहुँच के विरुद्ध अग्रलेख दिया है। वस्तुतः यह २५, २६, २७ जुलाई को स्वदेशी जागरण मंच एवं समान विचारों वाले संगठनों द्वारा संसद के सामने किए जा रहे सत्याग्रह और प्रांतीय स्तर पर भी होने वाले सत्याग्रहों की सहयात्रा है। स्वदेशी पत्रिका की ओर से यह अपेक्षा रहेगी कि प्रांतीय स्तर पर हुए सत्याग्रहों की रपटें प्रकाशनार्थ हम तक पहुँचे।

नमस्कार।

आपका

प्रमोदकुमार दुबे

अनुक्रम

अग्रलेख

प्रतिरक्षा क्षेत्र में घातक है विदेशी पूँजी का प्रवेश...../६

अब सुरक्षा का निजीकरण

अवधेश कुमार...../१०

विदेशी पूँजी निवेश : कर्ज की फाँसी

डॉ. सी. अब्राहम वर्गिज...../१५

हो क्या रहा है मात्रात्मक प्रतिबंध हटने के बाद

डॉ. गणेश कावड़िया...../१६

भारत में खाद्य सुरक्षा : बढ़ते हुये खतरे

देवेन्द्र शर्मा...../२४

भविष्य की ऊर्जा : सौर ऊर्जा

धीप्रज्ञ द्विवेदी...../२६

विशेष

भारतीय कृषि पर मंडराते खतरे

डॉ. अश्विनी महाजन...../२२

कृति

संस्कृति का शक्ति-स्रोत

डॉ. प्रमोदकुमार दुबे...../३०

विजय विश्वास के साथ संपन्न हुई

राष्ट्रीय परिषद (स्वदेशी जागरण मंच) की बैठक...../४०

पारित प्रस्ताव-१ से ५/४०-४३

सरकार की नीतियाँ नहीं बदली तो तीव्र आंदोलन करेगा :

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद...../४३

पाठकनामा/४, उन्होंने कहा/४, हलचल/३४,

माध्यम/३८, समाचार परिक्रमा/४४,

संपादकीय कार्यालय : ६०, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-११० ००१ • दूरभाष : ३०१८१७५

ई-मेल : swadeshisampark@rediffmail.com

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष-६, अंक-१०

आषाढ़-श्रावण २०५८, जुलाई, २००१

:: अमर वाणी ::

ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतुज्ञाः। ते ना रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥

जो आप विद्वानों में भी अत्यंत पूजनीय और मननशील सत्यज्ञानी हैं, वे आप संन्यासी लोग विद्या के उपदेश हमें देवों और कल्याणकारी पदार्थों से हमारी रक्षा करें।

• • •

येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्विर्बर्हाः। उक्थशुष्मान् वृषभरान्त्स्वजसस्तां आदित्यां अनुमदा स्वस्तये॥

जिन विद्वानों के लिए, सबको निर्माण करने वाली पृथ्वी मीठे दुग्धादि पदार्थ देती है और अखण्डनीय मेधों से भरा हुआ अंतरीक्ष-लोक सुंदर जल देता है, अत्यंत बल वाले यज्ञ द्वारा वृष्टि करने वाले, उन लोगों को उपद्रव न होने के लिए हमें प्राप्त कराइए।

(भक्ति दर्पण)

मुख्य संपादक :

डॉ. महेश चंद्र शर्मा

कार्यकारी संपादक :

डॉ. प्रमोदकुमार दुबे

मूल्य : एक अंक - ६ रुपए

वार्षिक सदस्यता शुल्क - ६० रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क - १०००/-

विशेष सूचना : अपनी सदस्यता सूची एवं सदस्यता फार्म कृपया अपना नाम व पता, पिनकोड सहित साफ-साफ शब्दों में लिखकर भेजें।

राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत जी का नेतृत्व आवश्यक है आर्थिक संघर्ष में

प्रिय संपादक,

भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी १० वर्ष में भयावह होगी। जीडीपी जो २०००-०१ प्रथम चार माह में ७% था वह घटकर ५.७% रह गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष का अनुमान है कि हमारी विकास दर ५.५% हो जाएगी औद्योगिक उत्पादन जो २००० की जनवरी में ४.९% था वह गिरकर २.८% हो गया। बजट में जो अनुमान था उसके आधा से कम हो गया है। निर्यात में १०% की गिरावट आई है। बैंक जोखिम रहित क्षेत्र में ३७% विनियोग कर रहे हैं। इसके विपरीत रोजगार में कोई वृद्धि न है बेरोजगारी जिस गति से बढ़ रही है उस हिसाब से २००९ तक ७० मिलियन पढ़ा-लिख नवयुवक बेकार होंगे और शहरों की आबादी ५०% बढ़ जाएगी।

इस परिस्थिति में निपटने के लिए आर्थिक संघर्ष आवश्यक है इसके लिए एक त्यागी व्यक्ति की जरूरत होगी क्या राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत जी तैयार हैं? मेरा विश्वास है कि मा० दत्तोपंत जी के कुशल नेतृत्व में देश खड़ा हो जाएगा।

प्रो. (डॉ.) रमाकान्त पाण्डेय
आलमगंज पुलिस चौकी, पटना (बिहार)

उपयोगी वस्तुओं की सूची में कृषि वस्तुएँ शामिल हो

प्रिय संपादक,

फरवरी २००१ के स्वदेशी पत्रिका में आपने १/०१/२००१ तक अद्यतन सूची प्रकाशित की। स्वागत योग्य है तथा इसे तिमाही या छमाही अध्ययन कर प्रकाशित करते रहें तो अच्छा रहेगा। आपने केवल उपभोक्ता वस्तुओं व उत्पादनों को सूची में सम्मिलित किए हैं। आम जनता के उपयोग की वस्तुओं के अतिरिक्त किसानों से संबंधित मशीनों, खाद, बीज, कीटनाशक के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। ग्रामो में जन जागरण अभियान में यह उपयोगी होगी। अतः आप से निवेदन है कि आप अगले माह जब सूची प्रकाशित करें उसमें दो भाग हो एक भाग में दैनिक उपभोग के उत्पादनों की सूची हो तथा दूसरे भाग में किसान भाईयों के उपयोग की वस्तुएँ।

- अ.पु. खांडेकर, भोपाल (मध्य प्रदेश)

स्वदेशी पत्रिका त्रुटि मुक्त हो

संपादक जी,

मैं लगभग छह महीनों से स्वदेशी का नियमित पाठक हूँ। राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को व्यापकता और गहनता से विश्लेषित करने वाले आलेख निःसंदेह प्रशंसनीय रहे हैं। कई वैज्ञानिक निबंधों ने मुझे काफी आकर्षित किया है और एक सहमतिपूर्ण दृष्टि भी दी है। परंतु यहाँ मैं आपकी पत्रिका की भाषाई अशुद्धियों को रेखांकित करना चाहता हूँ। मूल आलेखों को त्रुटिमुक्त करना भी संपादकीय दायित्व का अंग है। प्रूफ रीडिंग में अत्यधिक प्रखर, समर्पित तथा अनुभवी मित्रों की आवश्यकता है।

- डॉ. महेश राय
आर.एन. कॉलेज, हाजीपुर, बैशाली (बिहार)

उन्होंने कहा

जैसे दिल्ली के लोग बंदर मानव को समझ नहीं पाए और उसका सामना नहीं कर पाए ठीक वैसे ही मेरे राज्य के किसान विश्व व्यापार संगठन का सामना करने में असमर्थ हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री
प्रकाश सिंह बादल

अगर राष्ट्र प्रमुख स्वयं भ्रष्टाचारी नहीं हैं तो यह भ्रष्टाचार से लड़ने में एक बड़ा कदम है।

फिलिपीन्स के राष्ट्रपति
ग्लोरिया अरायो

पिछले पचास वर्षों के दौरान हमने जो भी नीतियाँ बनायीं, उनका निश्चित नतीजा यह सामना आया कि गरीबी लगातार बढ़ती गयी। देश की आधी आबादी आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है।

पूर्व प्रधानमंत्री
पी.वी. नरसिम्हा राव

मैं एक अत्यंत गरीब परिवार से आया हूँ। मुझे शोध-वृत्ति मिलती रही, जिसके चलते मैं स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ-साथ विदेश में पढ़ सका। यह सार्वजनिक शिक्षा पद्धति की ही देन है जिससे मुझे अवसर उपलब्ध हुए।

पूर्व विद्वान
मनमोहन सिंह

विकास की उच्चतर दर प्राप्त करने में निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र और सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था ज्यादा कारगर थी।

पूर्व विद्वान
पी. चिदंबरम

आर्थिक विश्वयुद्ध में अजेय आयुध राष्ट्र-भक्ति

आज की वैश्विक परिस्थिति में वही देश अपना अस्तित्व रख पाएगा, जिसमें गहरी समझ के साथ राष्ट्र-भक्ति होगी। केवल पैसे की भक्ति में लगे हुए लोग डाल से टूटे हुए पत्ते की तरह भूमंडल के किसी भी हिस्से में बिखर सकते हैं और उनका अस्तित्व विलीन हो सकता है। इनसे राष्ट्र का चिर स्थाई अस्तित्व नहीं बनता। राष्ट्र की अस्मिता दैशिक समृद्धि से निर्मित होती है। भूमंडलीकरण के विरुद्ध दैशिक अस्तित्व का संघर्ष इसी दृष्टि से प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्र अपने इतिहास, परंपरा और पोषक अर्थव्यवस्था से स्थिर होता है। इसकी पोषक वृत्ति है राष्ट्र-भक्ति। आर्थिक विश्व युद्ध में राष्ट्र-भक्ति एक अजेय आयुध है।

भूमंडलीकरण से लाभ उठाने वाली अर्थशोषक शक्तियाँ दैशिक अस्तित्वों को क्षत-विक्षत करती हैं। इसके लिए किसी समाज के नैतिक मूल्य आहार-विहार एवं सांस्कृतिक विरासत विकृत किए जाते हैं और राष्ट्रभाव को कुण्ठित कर दिया जाता है। अलगाव की शक्तियों को सह देकर समस्याएँ पैदा की जाती हैं और इसके बाद मानवाधिकार हनन को आधार बनाकर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी प्रारंभ हो जाता है।

इन दिनों यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति स्लोओदान मिलोसेविच नीदरलैंड में कैद हैं। उन पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय — हेग में मुकदमा चलने वाला है। कम्युनिस्ट शासन के अंत के बाद यूगोस्लाविया पाँच राज्यों में विघटित हो गया। वहाँ विदेशी कंपनियाँ आर्थिक पराधीनता कायम करने में सफल हो गईं। आम चुनाव से राष्ट्रपति बने मिलोसेविच यूगोस्लाविया की दैशिक अस्मिता को सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगे। इस प्रयास ने उन्हें दोषी बना दिया। इस ताजा वैश्विक घटना की तह में जाए तो इसमें आर्थिक युद्ध की गहरी बुनावट दिखाई देगी। इसे अर्थ शोषक शक्तियों की कब्जेवारी का उदाहरण माना जा सकता है। यूरोपीय संघ की एक बैठक में अमेरिका के आर्थिक प्रतिनिधि ने कहा था — 'हमारे सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना परमाणु विस्फोट के समान है।' इसका मतलब है कि व्यवसाय के विस्तार और आर्थिक शोषण का विषय अस्तित्व के प्रश्न से जुड़ चुका है। यदि आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा तो अस्तित्व पर खतरा आएगा और अस्तित्व रक्षा के लिए परमाणु शक्ति का सहयोग लिया जा सकता है। अर्थ-लोभ के इस अतिवाद ने प्रतिरक्षा साधनों को भी रिजर्व बैंक में रखे सोने की तरह मुद्रा और व्यवसाय की एक खतरनाक साख बना दिया है। आयुधों से भयातुर करके व्यवसायिक विस्तार करने की यह दुष्प्रवृत्ति कहाँ ले जाएगी विश्व को? अर्थशोषक शक्तियों के विरुद्ध उठने वाली कोई भी आवाज आज दोषी बनाई जा सकती है।

विश्व व्यापार संगठन की बैठक नवम्बर में कतर के दोहा नामक शहर में होने वाली है। इस बैठक में भारत अपना पक्ष रखने के लिए तत्पर है। इसके लिए रणनीति के तहत जी-७७ के विकासशील देशों को अपने साथ लेना निश्चित किया गया है। यह रणनीति यूरोपीय संघ के देशों को स्वीकार नहीं हो रही। यह संघ नहीं चाहता कि जिन विकासशील देशों को उसने बाजार बना रखा है वे उनके हाथों से निकलें। भारत पर अभी से यूरोपीय संघ का दबाव पड़ने लगा है कि वह विकासशील देशों को एकजुट करने का अभियान छोड़ दे। वरना यूरोपीय देश दबाव की रणनीति अपना सकते हैं। भारत और उसके सहयोगी देशों के विरुद्ध उनकी रणनीति किस प्रकार की होगी, इसे आगे देखना होगा। लेकिन इतना तो तय हो गया कि आत्मसुरक्षा में उठाया गया हमारा कदम दूसरों को अनुचित लग रहा है और यह द्वंद्व का ही लक्षण है। भारत के वाणिज्य मंत्री ने एक पत्र लिखकर विकासशील देशों से कहा है कि विश्व व्यापार संगठन पर दबाव डालने का समय आ गया है कि वह ऐसी नीतियाँ बनाए जो विकासशील देशों के हित में हो, विकसित देशों के हित के लिए नीति-निर्धारित कर लेने मात्र में उसका दायित्व पूरा नहीं हो जाता। ध्यान देने योग्य संदर्भ है कि सरकार से यह कार्य करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक राष्ट्रपति दत्तोपंत ठेंगड़ी पिछले कई वर्षों से कहते चले आ रहे हैं। लेकिन अब देश की बिगड़ती वित्तीय स्थिति देखकर सरकार को यह आवाज उठानी पड़ रही है।

इन दिनों भारत ने दृढ़ता से अपना पक्ष रहते हुए कहा है कि विश्व व्यापार संगठन के पुराने नियमों की जब तक समीक्षा नहीं होती, नये दौर की बातचीत का कोई मतलब नहीं है। विश्व व्यापार संगठन का अमानवीय चेहरा सामने आने लगा है। विश्व की औसत आय की बढ़त कहाँ जा रही है? कुछ धना सेठों की जेब में। इन धना सेठों में से अधिकांश अमेरिकी हैं। इनकी संख्या में वृद्धि और धन में भी दिन दुना वृद्धि हो रही है। ये धना सेठ पहले ५२ लाख की संख्या में थे, अब ये ७२ लाख हो चुके हैं। इनके हाथ में विश्व-संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा है। दूसरी ओर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो प्रतिदिन एक डॉलर से भी कम आय पर गुजारा कर रहे हैं। विश्व की अर्थशोषक शक्तियाँ बहुत आसानी से गरीबों का रक्तपात करना नहीं छोड़ सकती। ये किसी देश की व्यवस्था को जर्जर करने का कुचक्र रचने में दक्ष हैं। इस महामारी के कीटाणु सबसे पहले किसी देश के दुर्बल अंगों पर हमला करते हैं। ये शक्तियाँ व्यवस्था संचालक लोगों को लोभ-लालच में डाल उनसे रास्ता पा लेती हैं। एनरॉन कंपनी ने इसी दुर्बलता का लाभ प्राप्त किया था और आज वह गले में हड्डी की तरह फँस चुकी है। इस तरह की कंपनियाँ जितनी बढ़ेंगी, देश की अर्थव्यवस्था पराश्रित होती जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय संप्रभुता भी छिन्न-भिन्न हो जाएगी, जैसा दृश्य यूगोस्लाविया में दिखाई दे रहा है। यह बहुत अनुत्तरदायी प्रसंग है कि विदेशी पूँजी निवेश के लिए देश के प्रतिरक्षा क्षेत्र को भी खोलने का निर्णय ६ मई को भारत सरकार के कैबिनेट ने लिया। रक्षा उत्पादन प्रभाग में उच्च तकनीकी लाने के नाम पर निजीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना देश की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध कर रहा है।

राष्ट्र-भक्ति का अजेय आयुध न केवल वैश्विक स्तर पर अपितु दैशिक स्तर पर भी हमारे अस्तित्व का रक्षक है, आर्थिक विषमता को दूर कर समरस एवं सम्मुन्नत समाज-रचना भी राष्ट्र-भाव से उत्पन्न होने वाले भ्रातृत्व से ही संभव होगा। सम्पूर्ण दैशिक अस्मिता की रक्षा के लिए देश-भक्ति सर्वोपरि निष्ठा है। इसी से हमारी भारत माता का परम वैभव प्रकट हो सकता है।

प्रतिरक्षा क्षेत्र में घातक है विदेशी पूँजी का प्रवेश

■ पी.डी. कार्तिकेयन



जब कभी सार्वजनिक उपक्रमों को निजी उद्यमियों के हाथों सौंपने की बात होती है सरकारी प्रवक्ता एक परिचित कथन दुहराते हैं, जिसका आशय यह होता है कि 'सौंपा जाने वाला उपक्रम बुरी दशा में है, उसकी उन्नति के लिए उसे निजी कंपनियों के हाथों में दे देना आवश्यक है। इस काम से लाभ ही लाभ होने वाला है। लेकिन परिणाम देखने पर विपरीत दशा दिखाई देती है। इस तरह के अनेक प्रसंगों में सरकारी दावे धरासायी हो चुके हैं।

९ मई को कैबिनेट की बैठक में प्रतिरक्षा क्षेत्र में भी विदेशी पूँजी निवेश की स्वीकृति का निर्णय लिया गया। इसके बारे में सरकारी पक्ष रखते हुए प्रवक्ता ने फिर जोरदार ढंग से केवल लाभ ही लाभ का जुमला दुहराया, यह बिना सोंचे कि दावों

के उलटे परिणाम से विश्वसनीयता का सूचांक किस स्तर पर लुढ़क चुका है और इस क्षेत्र में निजीकरण की मनाही शुरू से क्यों रही है।

सरकार कह रही है कि वह प्रतिरक्षा क्षेत्र में २६% विदेशी पूँजी निवेश की स्वीकृति देना चाहती है। लेकिन इस तथ्य को सोंच समझ के साथ लेनेवाले लोग यह कह रहे हैं कि अभी तो दरवाजा खुल रहा है इसके बाद बीमा क्षेत्र की तरह प्रतिरक्षा क्षेत्र में भी सुरक्षा के मुँह की तरह निवेश का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। विचारशील देशवासियों को अँगुली से कलाई तक और कलाई से गर्दन तक बढ़ते निजीकरण के पंजों की पहचान हो चुकी है।

जैसे ही प्रतिरक्षा क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश की बात शुरू हुई, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने रक्षामंत्री

को प्रतिवाद स्वरूप प्रत्रक दिया। इस संदर्भ में पूर्व प्रतिरक्षा वैज्ञानिक एवं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रभारी श्री गिरीश अवस्थी से की गई बातचीत से ज्ञात हुआ कि उनके संगठन ने प्रतिरक्षा क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश के निर्णय को हानिप्रद बताया है। उनका मानना है कि इससे देश की सम्प्रभुता भी खतरे में पड़ सकती है।

प्रतिरक्षा क्षेत्र की गोपनीयता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होती है। जब आयुध सामग्रियों का निर्माण पूरी तरह बाहर की कंपनियाँ करने लगेंगी, उन्हें पता होगा कि किस क्षमता से युद्ध हो रहा है, इसमें कितने शस्त्र हैं उनकी संख्या और स्तर क्या है, शस्त्र का वितरण किस मार्ग से किस स्थान पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि युद्ध के दौरान हथियार बनाकर देने वाली कंपनी की निष्ठा राष्ट्र की रक्षा

नहीं, ऐसे कमाने में होगी।
उदाहरण के लिए कारगिल के युद्ध
बर्फ पर पहनने वाले जूत (स्नो-बूट)
की खरीद के मामले को देखा जा सकता
है। इस प्रसंग को बताते हुए श्री गिरीश
अवस्थी ने कहा - कानपुर में डिफेंस
बैकरी है, वहाँ युद्ध के दौरान बर्फ पर
पहनने वाले जूते (स्नो-बूट) बन सकते
थे। लेकिन उस समय इसका अभाव था।
तब एक इटली की निजी एजेंसी से
स्नो-बूट की खरीद की गई। प्रतिरक्षा के
लिए खरीदी गई सामग्रियों की जाँच
ऑथॉरिज़ होल्डिंग लेबोरेट्री करती है।
लेकिन इस प्रभाग ने उन स्नो-बूटों की
जाँच नहीं की। एजेंसी के विश्वास पर ही
बूटें खरीदी गईं। जब इन्हें सीमा पर लड़
रहे जवानों ने पहना, तो जूतों की कीलें
उनके पैरों में चुभने लगीं। इतनी घटिया बूटें
थीं कि उनमें बर्फ समाने लगी। सेना में इस
घटना से घबड़ाहट हुई और कई जवान
शहीद हो गए। छानबीन से ज्ञात हुआ कि
सेना को उचित स्नो-बूट नहीं दी गई।
श्री अवस्थी ने कहा - संसदीय कार्यमंत्री
प्रमोद महाजन बता रहे हैं कि विदेशों में
प्रतिरक्षा सामग्रियाँ निजी कंपनियाँ बनाती
हैं। वे सामग्री हमारे देश में भी खरीदी जाती
है। लेकिन श्री महाजन यह नहीं बता रहे
हैं कि अन्य देशों की व्यवस्था और हमारे
देश की व्यवस्था में कितना अन्तर है।
उनका चरित्र और हमारा चरित्र एक समान
नहीं है। यदि हमारा चरित्र सुदृढ़ रहेगा तो
कोई भी निजी एजेंसी क्या बिगाड़ सकती
है। पर तहलका डॉट कॉम से उजार चरित्र
किस भरोसे का है? जहाँ तक प्रतिरक्षा क्षेत्र
में उच्च तकनीकी लाने का प्रश्न है, यह
केवल विदेश से लाई जाए और यहाँ
उसका विकास नहीं हो तो इस निर्भरता से
मला नहीं होगा। आज विदेशी पूँजी निवेश
के लिए २६% की बात हो रही है। कल
इसकी छूट १००% हो सकती है। जब

१००% पूँजी लगेगी तो विदेशी एकाधिकार
होगा। मान लें थोड़ी देर के लिए कि चीन
के सहयोग से कोई प्रतिरक्षा उत्पादन का
उपक्रम लगाया गया और युद्ध की
परिस्थिति आ गई। चीन ने युद्ध सामग्रियों
की सप्लाई में अड़चनें खड़ी की तो हम
निश्चित रूप से युद्ध हार सकते हैं।

इस तरह की अड़चनें अस्वाभाविक
नहीं हैं। रूस ने अमेरिका के दबाव में भारत
को क्राइजेनिक इंजिन देने से मना कर दिया

था। इसके बाद देश में क्राइजेनिक इंजिन
बनानी पड़ी थी। यही घटना परम संगणक
(कम्प्यूटर) के मामले में भी हुई। अमेरिका
ने परम संगणक देने का राजी नहीं हुआ।
अंततः देश के वैज्ञानिकों ने इस आवश्यकता
की पूर्ति स्वयं की थी। लेकिन जब ये
उपकरण अपने पास हो गए अमेरिका का
दबाव ही नहीं घटा, वह अपना परम
संगणक भारत को बेचने लगा। इससे हमारे
देश के संगणक उत्पादन पर दुबारा

प्रतिरक्षा क्षेत्र में विपत्ति को बुलावा

एक समय ऐसा था जब प्रतिरक्षा क्षेत्र के उपक्रमों में कम्युनिस्ट यूनियन अधिक
प्रभावशाली थी। १९६२ में जब चीन ने हमला किया कम्युनिस्टों ने हमलावर शत्रुओं को
भाई बनाया। इस तरह प्रतिरक्षा जैसे क्षेत्र में राष्ट्रीयता के हास से घातक स्थिति उत्पन्न
हुई थी। इस क्षेत्र में धीरे-धीरे राष्ट्रवादी भारतीय मजदूर संघ का संगठन सबल होता गया।
आज यह संगठन सबसे आगे है।

१९६५ और १९७१ के हमलों में प्रतिरक्षा क्षेत्र के भारतीय मजदूर संघ के लोगों
ने स्वयं की कटिबद्धता से अपने देश के लिए कार्य किया। आज जब प्रतिरक्षा क्षेत्र में
विदेशी पूँजी निवेश की चर्चा हो रही है। इस क्षेत्र के कामगारों में भी उसी तरह का
भय उत्पन्न हो रहा है जैसा आज किसी सार्वजनिक उपक्रम को निजीकरण के रास्ते ले
जाने से हो रहा है। कर्मचारियों की छटनी, आर्थिक लाभ के लिए भ्रष्ट अफसरों की
संदिग्ध भूमिका को सह मिलना आदि लक्षण इस क्षेत्र में भी सामने आने लगे हैं।

प्रतिरक्षा क्षेत्र के उपक्रमों का दायित्व संकट काल में उजागर होता है। उस समय
प्रत्येक कर्मचारी एक वेतन भोगी और समय सीमा में कार्य करने वाला श्रमजीवी नहीं
होता। उसके भीतर की राष्ट्र भक्ति जाग उठती है। वह अपनी सेवा किसी दूसरे लाभ
के लिए नहीं, अपने देश के लिए करता है। अभी कारगिल युद्ध के समय प्रतिरक्षा उपक्रमों
में कार्यरत कर्मचारियों ने दिन रात लगकर सामग्रियों के उत्पादन में युद्ध स्तर पर कार्य
किया। रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिज उनसे मिलने गए। उन्होंने इन कर्मचारियों के कार्य देख
प्रशंसित किया, इन लोगों ने सरकार से किसी प्रमाण-पत्र अथवा पुरस्कार पाने की इच्छा
से साफ इन्कार करते हुए कहा, 'हम अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी और
के लिए नहीं।'

हमारे देश में ३९ आयुध कारखाने हैं। ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल
में हैं इसमें असैनिक कर्मचारी कार्यरत करते हैं। इनकी संख्या लगभग १,४५,००० है।
यदि इस क्षेत्र में विदेशी भागीदारी होती है तो कम से कम ५०,००० कर्मचारी बेरोजगार
होंगे। अब तक का घोषित निवेश २६% तक है लेकिन यह और आगे बढ़ता हुआ अफसरों
की अवैध कमाई का माध्यम बन सकता है और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। इसके
विरुद्ध संघर्ष आवश्यक है।

[श्री अमरनाथ डोगरा, सचिव भा.म.सं. से बातचीत के आधार पर]

नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विदेश से आयातित उच्च तकनीक के भरोसे रहकर स्वालम्बी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। श्री अवस्थी ने प्रश्न खड़ा करते हुए कहा, प्रतिरक्षा उत्पादन में लगी हुई हमारी यूनिट जब कोई हथियार बनाती है और वह हथियार किसी कारणवश ठीक नहीं होता है तो हम उसे सुधार करते हैं, सुधार करने योग्य भी नहीं हो तो उसे नष्ट कर दिया जाता है। इसमें उत्पादन लागत की हानि होती है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक कार्य करना पड़ता है। यदि यही उत्पादन निजी कंपनी करेगी तो वह इस तरह का घाटा क्यों सहने जाएगी। पैसे के लिए वह बनाए हुए हथियार को आतंकवादियों को भी बेच सकती है। यदि शत्रु देश अधिक मूल्य देकर उसके हथियार खरीदना चाहे तो लाभ के लिए इस काम को भी निजी कंपनी कर सकती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए निजी कंपनियों का पक्ष लेने वाले सरकार के लोगों के पास क्या रास्ता है? अब तक की सरकारें प्रतिरक्षा क्षेत्र को निजी क्षेत्र में ले जाने के पक्ष में नहीं थी, यहाँ तक कि इन दिनों जो लोग सरकार हैं, जब ये विपक्ष में थे इनकी मान्यता भी यही थी। लेकिन आज ये लोग विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, विश्व मुद्राकोष के दबाव में आकर कह रहे हैं कि प्रतिरक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के आने से क्या अंतर पड़ता है, यह कितना शर्मनाक बात है। प्रमोद महाजन सरीखे लोग यह कहते हैं कि मोजा से लेकर रॉकेट तक हम निजी क्षेत्र से बनवाएँगे। क्या वह राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? विगत वर्षों में साउथ ब्लॉक से नक्शे वगैरह गायब हुए थे कुछ लोग इस काण्ड में नौकरी से निकाले भी गए। इतनी सुरक्षा के बाद भी यह काण्ड हो गया। जब निजी क्षेत्र को प्रतिरक्षा क्षेत्र में प्रवेश मिल जाएगा, सभी ठेकेदार इन कार्यालयों में जाने लगेंगे, तब क्या गोपनीयता रह पाएगी!

विदेशी रक्षा उत्पादनों से कहीं अधिक लाभकारी और उत्तम हैं भारतीय रक्षा उत्पादन

भारत के सभी ३९ आयुध कारखानों को गुणवत्ता मानक प्रमाण-पत्र आई.एस.ओ. ९००१-९००२ प्राप्त हैं। इनकी प्रयोगशालाएँ काफी उन्नत एवं सभी साज-सामानों से सुजुक्त हैं। इनके द्वारा तैयार की जाने वाली रक्षा सामग्रियाँ उच्च गुणवत्ता वाली तथा विदेशों की अपेक्षा काफी कम लागत की होती है। कारगिल युद्ध में देश में तैयार तोपों के गोले विदेशी गोले की अपेक्षा काफी कम लागत पर बनाए गए और अधिक कारगर सिद्ध हुए।

१६ किलो आर.डी.एक्स. विस्फोट रोधी गस्ती वाहन तथा तेजी से प्रहार करने वाले विमानों एवं फ्लीट टैंक में प्रयुक्त होने वाली मेडाक बन्दूकें, मेडाक आयुध कारखाने में तैयार की जाती है। जिनकी लागत लगभग ४१ लाख रुपए है जो विदेशों से मंगाने पर ८० लाख की होती है तथा ८० लाख की लागत वाले आयात करने पर २०० लाख के होते हैं।

बोफोर्स तोप के समान एमके-१, तथा एमके-२ तोपें तथा न्यूनतम तापमान (-४०°से.) में प्रयोग किए जाने वाले बर्फ एवं पानी रोधी 'स्नो बूट' का निर्माण कानपुर आयुध कारखाने में किया जाता है।

विजय टैंक, टी-७२ (अजय) टैंक, अतिविस्फोटक आर.डी.एक्स./एच.एम.एस., त्रिशूल प्रणोदक, आकाश बूस्टर, के-४७, मिसाइलें, गोले-बारूद, हथगोले, वाहन शक्तिमान-निशान के लिए उच्च तकनीकी मशीनें, काफी ऊँचाई पर पहने जाने वाले वस्त्र तथा सेना को लाने-ले जाने के लिए हाल में प्रयोग की जाने वाली स्टालियन एमके-३ इत्यादि, भारतीय आयुध कारखानों में तैयार किए जाते हैं।

भारत के १० आयुध कारखानों में काम करने वाले लोगों की संख्या और उनकी मशीनें तथा भूमि की कीमतें नीचे दी जा रही हैं।

क्र.सं.	कारखाने का नाम	वर्तमान मानव-शक्ति	भूमि तथा मशीनों का मूल्य (करोड़ रुपए में)
१.	अवादी आयुध वस्त्र कारखाना (चेन्नई)	२६२६	८.१५
२.	शाहजहाँपुर आयुध वस्त्र कारखाना (उ.प्र.)	५५७९	१६.७६
३.	हजरतपुर आयुध उपकरण कारखाना (उ.प्र.)	६१७	३.२३
४.	रामपुर आयुध उपकरण कारखाना (उ.प्र.)	१०१०	३३.०३
५.	आयुध पैराशूट कारखाना कानपुर (उ.प्र.)	२२६४	७०.०६
६.	आयुध केबल कारखाना (चण्डीगढ़)	७१३	१२.५९
७.	ग्रे आयरन फाऊण्डरी, जबलपुर	२३१७	१२.७७
८.	वाहन कारखाना, जबलपुर	९१३९	६०.४२
९.	आयुध कारखाना, भुसावल	१४८६	९.३७
१०.	मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री, अम्बरनाथ	१८१२	३५.७१
कुल		३१,४७२	२६२.०८

श्री अवस्थी ने प्रतिरक्षा क्षेत्र के उत्पादन उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के बेरोजगार होने के सवाल के साथ करोड़ों-अरबों रुपए मूल्य की मशीनों के व्यर्थ होने की बात भी कही। इससे देश में रोजगार सृजन के बदले बेरोजगारी

बढ़ेगी। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान रखकर इस मुद्दे पर संघर्ष हो रहा है, उ रोजगार का प्रश्न भी उठ सकता विदेशी पूँजी निवेश के दुष्परिणाम दूर पर निर्भरता के साथ कर्मचारियों की छंद के रूप में भी सामने आता है।

देश में प्रतिरक्षा उत्पादन के कुल ३९ करोड़ रुपये हैं। इनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग साढ़े पाँच लाख है। इनमें से दो लाख कर्मचारी केवल भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के सदस्य हैं। राष्ट्रीय मजदूर संगठन इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। मजदूरों को छैटनी के सवाल पर भारतीय मजदूर संघों के सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ के महासचिव हासुभाई दावे ने कहा कि जब तक श्रम-आयोग की रपट नहीं आ जाती, श्रम कानून में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

यह वक्तव्य वित्तमंत्री द्वारा श्रमिकों को छैटनी का रास्ता आसान कर निजीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए किए गए निर्णय पर रोक लगाने की माँग करता है। प्रतिरक्षा क्षेत्र में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ मजदूरों की बेरोजगारी का प्रश्न विदेशी पूँजी निवेश के निर्णय से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रतिरक्षा क्षेत्र के श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर सरकार की नीति के विरोध में खड़ा होने का निर्णय लिया है। प्रतिरक्षा क्षेत्र के एआईडीएफ, आईएनडीयूए और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ इन तीनों मजदूर संगठनों ने दो दिनों तक आपस में बैठकर अखिल भारतीय स्तर पर ४८ घंटे की हड़ताल २३ और २४ जुलाई २००१ को करने का निर्णय लिया है। इसके चार मुद्दे रखे गए हैं - पहला, प्रतिरक्षा क्षेत्र में निजीकरण का विरोध, दूसरा विदेशी पूँजी निवेश के लिए २६% के निर्धारण का विरोध तीसरा, १९८४ से बहाली पर लगी रोक के कारण श्रमिक की संख्या काफी कम हो गई है, इसके बावजूद सरकार प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र का आकार घटाना चाहती है, इस पर विचार करना और नई बहाली के लिए स्वीकृति दिलाना, चौथा मुद्दा उन करोड़ों रुपयों की

मशीनों और विशेषज्ञों को उपयोगी बनाने से संबंधित है जो रक्षा आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम हैं। प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र की इस हड़ताल का उद्देश्य सरकार को कैबिनेट का निर्णय शीघ्र वापस लेने के लिए बाध्य करना है।

प्रतिरक्षा क्षेत्र के मजदूरों की २३-२४ जुलाई की हड़ताल का क्रम आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। यह संयोग ही है कि १९ जून को संयुक्त बैठक में मजदूर संगठनों ने २३-२४ जुलाई के दिन का चुनाव किया और ये दिन २५, २६ और २७ को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा रक्षा क्षेत्र में विदेशी भागीदारी के विरुद्ध संसद के समक्ष हो रहे सत्याग्रह के क्रम में पहले पड़ रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय परिषद्, स्वदेशी जागरण मंच ने अपने सत्याग्रह के कार्यक्रमों का निर्णय २-३ जून २००१ को शिमला में हुई बैठक में लिया था। इसतरह कुल पाँच दिन प्रति रक्षा क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश चाहने वाली सरकारी नीति के विरोध में होंगे।

राष्ट्रीय परिषद् स्वदेशी जागरण मंच की बैठक में 'रक्षाक्षेत्र में विदेशी भागीदारी का निर्णय रद्द हो' शीर्षक से विधिवत एक प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों के साथ पारित किया गया है। जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी पूँजी आकर्षित करने के प्रयास में सरकार अपना विवेक खोज चुकी है। रक्षा क्षेत्र को विदेशी पूँजी के लिए खोला जाना न केवल समस्त वैज्ञानिक समुदाय के सुविचारित मत के विरुद्ध है बल्कि यह १९९१ में घोषित उद्योग नीति जिसमें रक्षा क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था, के भी विरुद्ध है।

दवा, विमानपत्तन, बैंकिंग, भू-संपत्ति, विकास तथा अन्य क्षेत्रों में विदेशी पूँजी को अनुमति देने से विदेशी पूँजीगत हितों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण

बढ़ेगा। विदेशी पूँजी के प्रति बेरोक टोक की नीति सरकार के निर्णयों से पूरी तरह उजागर हो चुकी है। इस प्रस्ताव के अंत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसके विरोध में न केवल देश की राजधानी में अपितु सभी प्रांत केंद्रों पर सत्याग्रह किया जाएगा।

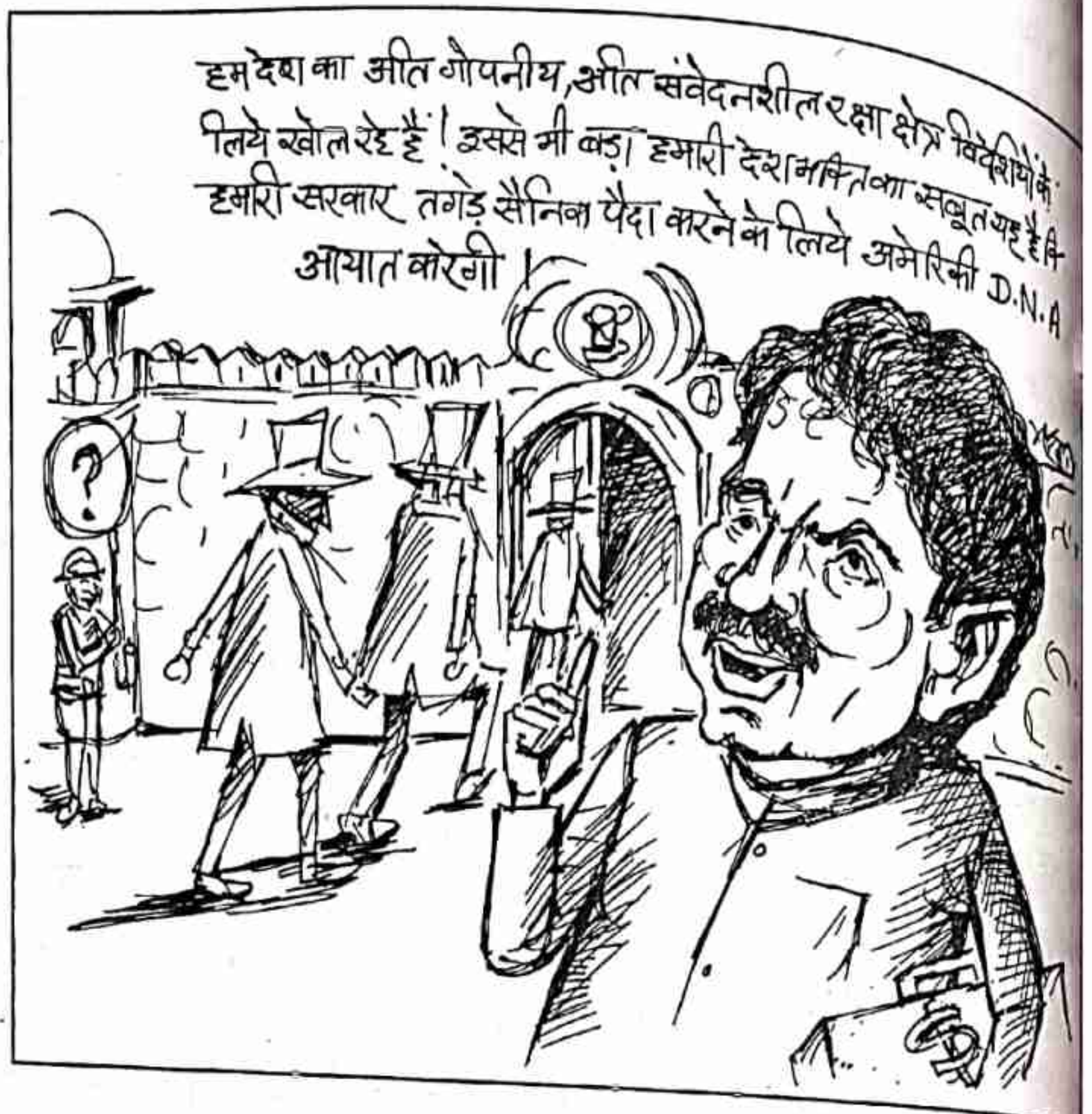
प्रतिरक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में यह माना गया है कि चीन से भारत को खतरा है। क्योंकि चीन की सामरिक क्षमता भारत से कई गुना अधिक है। चीन की सेना में सीएसएस-४ और दोंग फेंग-४१ नाभिकीय अस्त्र युक्त प्रक्षेपास्त्र शामिल है जिसकी मारक क्षमता १२,००० कि.मी. है जबकि भारत का अग्नि-२ प्रक्षेपास्त्र ढाई हजार कि.मी. मारक क्षमता का है जो अभी अगले वर्ष तक सेना में शामिल हो जाएगा। ५००० कि.मी. के प्रक्षेपास्त्र अग्नि-३ का निर्माण हो रहा है। ऐसी दशा में जब हम सामरिक रूप से कमजोर हैं, हमें अपनी उन्नति अवश्य करनी होगी लेकिन यह उन्नति किसी बाहरी साधन से नहीं हो सकती, विदेशी पूँजी हमें और खोखला बना देगी जिसका दुष्परिणाम पूरे देश को भोगना पड़ सकता है।

राष्ट्र की रक्षा की सबसे बड़ी शक्ति है देशवासियों के हृदय में उमड़ने वाला देश प्रेम, जिसके लिए तन-मन-धन से आत्मोत्सर्ग करना सबसे बड़ा सुकृत्य माना जाता है। वीरगति का यशोगान हमारे शास्त्रों ने किया है। हमारे लोकमानस में यह भाव व्याप्त है, देश-प्रेम को सच्चे हृदय से केंद्र बनाकर लिए गए निर्णय ही हमेशा श्रेयस्कर होंगे। लेकिन इस अर्थप्रधान युग का ऐसा तामसिक चरित्र उभर रहा है जिसमें अर्थ के अतिरिक्त शेष चीजे गौण होती जा रही हैं। इस चरित्र पर केवल जागृति जनशक्ति अंकुश लगा सकती है। ■

अब सुरक्षा का निजीकरण

आर्थिक सुधार के दौड़ में एक दशक तक गतिशील रहने के बावजूद रक्षा ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो सार्वजनिक इकाईयों के लिए आरक्षित की श्रेणी में बचा हुआ था। यानि उदारीकरण की आँधी से रक्षा महकमा अभी तक प्रतिरक्षित था. . .

■ अवधेश कुमार



कई बार ऐसा लगता है मानो सरकार उन सभी को चिढ़ा रही है जो उदारीकरण एवं वैश्वीकरण संबंधी उठाए जा रहे अंधाधुंध कदमों को या तो संतुलित-संयमित करने की माँग कर रहे हैं, उस पर आवश्यक लगाम के हिमायती हैं, उसके संभावित दुष्परिणामों के विरुद्ध सरकार को आगाह करते रहते हैं या फिर इसके विरोधी हैं। शायद इसी को सत्ता का नशा कहते हैं। जिस तरह इस तथाकथित उदारवाद एवं बेलगाम वैश्वीकरण के कुछ दुष्प्रभावों के विरुद्ध देशभर में जन असंतोष उभरता दिख रहा है, विभिन्न प्रामाणिक संगठन एवं देश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अब सड़कों पर उतर रहे हैं लोकभावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार इस दिशा में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने के पहले उन सबसे संपर्क करने उनको विश्वास में लेने का प्रयास

करती। लेकिन इन समस्त विरोधी भंगिमाओं को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने अचानक ऐसी घोषणा कर दी जिसके बाद शायद अब उदारीकरण और वैश्वीकरण के लिए कोई क्षेत्र अछूता रहता ही नहीं।

मजे की बात देखिए कि एक ओर चारों तरफ वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के त्यागपत्र देने की अफवाह थी। हवा में यह खबर तैर रही थी कि सरकार अपने संगठन परिवार के अंदर उबल रहे तीव्र विरोध के मद्देनजर उदारीकरण व वैश्वीकरण की गति को धीमी करने जा रही है। मंत्रीमंडल की जब बैठक चल रही थी उस समय तक भी बड़े से बड़े सूरमा पत्रकार को भी इस बात की भनक नहीं थी कि सरकार उदारीकरण का अब तक का सबसे बड़ा धमाका करने जा रही है। इसलिए मंत्रीमंडल की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग के लिए

उपस्थित संवाददाता भी कुछ सामान्य निर्णयों की घोषणा की अपेक्षा कर रहे थे। किंतु केंद्रीय मंत्रीमंडल के प्रवक्ता सूचना तकनीकी मंत्री प्रमोद महाजन ने ज्योंहि लिए गए निर्णयों की घोषणा करनी शुरू की सभी चौंक उठे। वास्तव में आर्थिक सुधारों के द्वितीय चरण का यह विस्फोट प्रवाह था। स्वतंत्र भारत का यह पहला अवसर था जब रक्षा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के निर्माण व उत्पादन का दरवाजा देशी निजी व विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए जाने का निर्णय लिया गया।

आर्थिक सुधार के दौड़ में एक दशक तक गतिशील रहने के बावजूद रक्षा ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो सार्वजनिक इकाईयों के लिए आरक्षित की श्रेणी में बचा हुआ था। यानि उदारीकरण की आँधी से रक्षा महकमा अभी तक प्रतिरक्षित था। इसके पीछे

का ट्रैक रिकॉर्ड; देखना आदि एकदम सामान्य बात है। किसी भी उद्यम को लगाने की अनुमति देने के पहले कहीं भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही जाता है और जो कंपनी निर्धारित मानकों का पालन नहीं करती है उनको सजा भी मिलती ही है। सच कहें तो यह नौकरशाही की परंपरागत भाषा है जिसके द्वारा वह ऐसे कदम उठाने के पहले यह दावा करती है कि उसने सुरक्षा के कठोर पूर्वापार कर लिए हैं। इसी तरह कहीं भी खुलेपन की शुरुआत में किसी भी क्षेत्र को पूरी तरह नहीं खोला जाता। आंशिक खुलेपन की तार्किक परिणति पूर्ण खुलापन ही है। यहाँ मूल प्रश्न है सरकार के एप्रोच का, व्यवस्था के उसके दर्शन का, उसकी दिशा का। यह अत्यंत ही खतरनाक प्रवृत्ति है कि सरकारी प्रतिष्ठान जहाँ भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हैं वहाँ सीधे निजी देसी व विदेशी क्षेत्रों को प्रवेश करा दो। कुछ क्षेत्रों में तो इसकी आवश्यकता समझ में आती है, किन्तु हर क्षेत्र में यही एप्रोच, यही दर्शन वास्तव में भविष्य की दृष्टि से भयभीत करने वाला है।

आखिर इस अंध प्रवाह की तार्किक निष्पत्ति क्या होगी? आज सरकार यह मान रही है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार रक्षा सामग्रियों पूर्ति कर पाना सरकारी प्रतिष्ठानों के वश की बात नहीं है, इसलिए देसी-विदेशी निजी कंपनियों को उत्पादन या निर्माण की अनुमति दे दो। सरकारी अधिकारी यह भी तर्क दे रहे हैं कि यह व्यवस्था कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी यानि जितनी राशि हम लगाएँगे उसके अनुपात में हमें जिस किस्म का जो सामान चाहिए मिल जाएगा। अर्थात् सारी सोंच लागत के हिसाब से परिणाम प्राप्त करने की है। कल यही सोंच

मूल प्रश्न है सरकार के एप्रोच का, व्यवस्था के उसके दर्शन का, उसकी दिशा का। यह अत्यंत ही खतरनाक प्रवृत्ति है कि सरकारी प्रतिष्ठान जहाँ भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हैं वहाँ सीधे निजी देसी व विदेशी क्षेत्रों को प्रवेश करा दो।

विस्तारित होते हुए यहाँ तक भी पहुँच सकती है कि हमारी सरकारी सुरक्षा एजेंसियाँ लागत के हिसाब से परिणाम नहीं दे पा रही हैं अतः क्यों न राष्ट्र की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को निजी एजेंसियों के हवाले कर दिया जाए। इससे व्यय भार भी घटेगा एवं सरकार के सिर से एक और जिम्मेवारी कम होगी। आज भले यह काल्पनिक लग रहा हो, पर सरकार के भीतर हर क्षेत्र का केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण मूल्यांकन करने की जो प्रवृत्ति घर कर गई है उसको देखते हुए यह स्वीकार करना कठिन नहीं है कि कल यह विचार भी मूर्त रूप ले सकता है।

राष्ट्र की रक्षा से बड़ी और कौन सी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की हो सकती है? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को सक्षम बनाने की कोशिश न करना एवं अपनी जरूरतों को रेखांकित कर उनके निर्माण के लिए प्राणपण से जुटने का साहसिक कदम उठाने की बजाए सीधे निजीकरण की दिशा में मुड़ना सरकार की आत्महीनता को ही साबित करती है। कम से कम रक्षा स्वावलंबन का रास्ता निजीकरण से होकर नहीं गुजरता है। मजे की बात देखिए कि अभी तो इस नीति के पैरोकारों को ही यह पता नहीं है कि उन्हें किस-किस चीज के निर्माण की अनुमति देनी है! कहा जा रहा है कि अभी लड़ाकू यान, शस्त्रास्त्र, गोला बारूद आदि निजी क्षेत्र में निर्मित नहीं

होंगे। तो फिर विदेशों से निर्भरता क्या कैसे होगी? वस्तुतः सरकार की किस्म की भंगिमाओं से ही यह आरंभ बलवती होती है कि कहीं यह घोरण कुछ औद्योगिक संगठनों या उद्योग समूहों के दबाव में तो नहीं किया गया है?

लगभग ३९ ऑर्डनेन्स फैक्ट्रियों एवं रक्षा क्षेत्र की आठ सार्वजनिक इकाईयों पर रक्षा बजट का लगभग १५००० करोड़ रुपया वार्षिक व्यय होता है। इस तरह व्यवसाय के लिए यह एक विशालकाय क्षेत्र है। औद्योगिक समूहों की ओर से लंबे समय से यहाँ माँग की जा रही थी कि कुछ रक्षा सामग्रियों के निर्माण व उत्पादन की अनुमति उन्हें मिलनी चाहिए। अब सरकार जिस तरह कह रही है कि अभी इसकी पूरी रूपरेखा बनाई नहीं गई है एवं रक्षा मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है इससे किसी को भी ऐसा लग सकता है कि किसी के प्रभाव या दबाव में ही यह घोषणा की गई है। सरकार यदि चाहती है कि उस पर किसी का दबाव नहीं था तो उसको इस प्रश्न का साफ जवाब देना होगा कि क्यों वगैर सब कुछ निश्चित किए हुए इतने महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की गई। अब देश की चिंता करने वालों को यह सोंचना है कि उन्हें सरकार के साथ कैसा बर्ताव करना है, क्योंकि सरकार इस प्रश्न का जवाब नहीं देने वाली है।

देशहित में सार्वजनिक व निजीक्षेत्र दोनों की भागीदारी हो - सी० उदय भास्कर

प्रोड्यूसर सी० उदय भास्कर, उप निदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विश्लेषण संस्थान से
आकर कंचना द्वारा की गई रक्षा क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश के संबंध में बातचीत. . .

■ केन्द्र सरकार ने रक्षा उत्पादन को निजी क्षेत्र के भी खोलने का निर्णय लिया है। इस क्षेत्र में अभी तक निजी क्षेत्र का विशेषाधिकार रहा था। इस पर क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है?

रक्षा उत्पादों के लिए अभी तक सार्वजनिक क्षेत्रों पर ही निर्भर रहा है। लेकिन बदलते समय सामरिक स्थिति और आवश्यकताओं के मद्देनजर रक्षा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के खोलने की आवश्यकता थी। पिछले कुछ समय से विश्व स्तर से परिस्थितियाँ बदली हैं, शीतयुद्ध की समाप्ति के साथ कूटनीतिक स्तर पर वैश्विक समीकरण बदले हैं। सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें भी उसी के अनुसार अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। उदारीकरण के बाद जो वैश्विक माहौल बना है उसमें यह संभव नहीं था कि पचास-सत्तर सालों तक अपने को अलग रखें। उदारीकरण के स्तर में जाने पर इस तरह के कदम उठाना सभी देशों के लिए आवश्यक हो जाता है। अब रक्षा क्षेत्र में इस तरह की आवश्यकता बढ़ गई है कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी हो और देशहित में दोनों ही क्षेत्र अपनी-अपनी कारगर भूमिका का निर्वाह करें।

■ रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति पर आप क्या कहना चाहेंगे।

यह सब उदारीकरण की दिशा में जाने के आवश्यक अंग उदारीकरण उचित है या अनुचित है - यह विवाद का लंबा विषय है। लेकिन यदि आप इस अर्थव्यवस्था में कदम बढ़ाते हैं तो इसकी मूलभूत वास्तविकताओं से किनारा नहीं बना जा सकता। एक तरफ जब हम विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह की योजनाएँ बना रहे हैं तो फिर हमें रक्षा क्षेत्र के लिए भी उसे खोलना पड़ेगा। और इसके पीछे कोई हर्ज नहीं दिखता। आखिर विदेशी पूँजी केवल हमारे शर्तों पर तो आएगी नहीं कुछ उनकी भी शर्तें होंगी और

यदि कोई इस क्षेत्र में आना चाहे तो उससे कैसे इनकार किया जा सकता है?

■ लेकिन क्या रक्षा क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश से देश की सुरक्षा व्यवस्था पर आँच नहीं आएगी।

देखिए, अभी तो केवल इस पर कैबिनेट का निर्णय आया है और अभी इस पर कार्य किया जाना बाकी है। विदेशी पूँजी निवेश का कैसा स्वरूप होगा - यह सब बाद में तय होगा। हालाँकि इस संबंध में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार परमाणु सहित कुछ अन्य संवेदनशील व देश की रक्षा-व्यवस्था से जुड़े नाजुक क्षेत्रों को पूँजी निवेश के लिए नहीं खोला गया है। इसलिए पहले से इस तरह की आशंका व्यक्त करना उचित नहीं है और अभी तो परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके परिणाम क्या होंगे - यह तो समय ही बताएगा जब इन परिवर्तनों के परिणाम आने शुरू होंगे।

■ एक आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि निजी क्षेत्र के प्रवेश से ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी एवं इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

यह एक सार्वजनिक समस्या है और इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए कुछ अलग से नया नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन में इस तरह की उथल-पुथल चलती रहती है और बाद में समय के साथ-साथ सब कुछ शांत पड़ जाता है। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलना चाहिए कि एक ओर जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में कमी की बात की जा रही है तो निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे भी। निजी क्षेत्र को कार्य करने के लिए श्रमशक्ति की जरूरत तो पड़ती ही है।

■ क्या ऐसा संभव नहीं था कि सार्वजनिक क्षेत्र को ही और ज्यादा सशक्त कर नियोजित तरीके से भारत रक्षा उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर होने की कोशिश करे।

अब तक सारी जिम्मेवारी सार्वजनिक क्षेत्र के पास ही

थी और उन्होंने धखूबी इसे निभाया भी है लेकिन बदलते समय के साथ-साथ जब रक्षा क्षेत्र की आवश्यकता बढ़ी और फिर विश्व में कई स्तरों पर आमूल चूल परिवर्तन हुआ है उसमें नए समीकरण बने हैं। उसके मद्देनजर हमें भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा है। और फिर दुनिया के अधिसंख्य देशों में रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र का सहयोग सफलतापूर्वक लिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक सीमा है और निजी क्षेत्र की अपनी सीमा है।

■ आपने अधिसंख्य देशों में रक्षा उत्पाद क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बात की है। क्या अन्य देशों में इस तरह के अनुभव सफल रहे हैं?

क्यों नहीं। अमरीका, इंग्लैण्ड सहित तमाम पश्चिमी देशों में रक्षा उत्पादन का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के सहयोग से आता है। अमरीका में तो लगभग पूरा कारोबार ही निजी क्षेत्र के हाथों में है। इसलिए यदि अन्य देशों के अनुभव की बात की जाए तो ये अनुभव प्रोत्साहन देने वाले हैं।

■ लेकिन एक उदाहरण चीन का दिया जाता है कि

सरकारी नियंत्रण में नियोजित तरीके से निवेश करके चीन रक्षा उत्पादन में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि अब शस्त्रों का बड़ा निर्यातक भी बन गया है। क्या भारत के लिए यह उदाहरण अनुकरणीय नहीं हो सकता।

चीन जैसे एक दो देश ही इस श्रेणी में हैं। अन्यथा ज्यादातर देशों में रक्षा क्षेत्र निजी क्षेत्र से अछूता नहीं है। चीन देश में ऐसा करना संभव है। वहाँ की जो व्यवस्था है और उस देश की जो शासन प्रणाली है उसकी नकल भारत में नहीं की जा सकती। वह व्यवस्था चीन के लिए ही अनुकूल हो सकती है। भारत का शासन तंत्र से लेकर स्वभाव तक चीन की तुलना में सभी मायनों में भिन्न है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निजीकरण की जो रफ्तार है और उसमें भारत की जो भूमिका है उसके मद्देनजर रक्षा सहित सभी क्षेत्रों में केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के भरोसे भारत की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति आज की तारीख में संभव नहीं है। इसलिए मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर भारत द्वारा उठाया गया कदम बेहतर कहा जा सकता है। इसके परिणाम क्या होंगे — यह आने वाला वक्त ही बताएगा।

निजीकरण में भी सेंधमारी

■ स्वदेशी सम्वाद

विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी एस एन एल) का निजीकरण अगस्त मध्य तक हो जाने की उम्मीद है लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी।

वी एस एन एल जैसी सूचीबद्ध कंपनियों का मूल्य निर्धारण उनके शेयर मूल्यों एवं बाजार भाव जैसी चीजों से ही होता है। जिन लोगों ने विदेश संचार निगम लिमिटेड के २५% हिस्से खरीदने की बात की है। वे इसे वर्तमान शेयर मूल्यों पर ही खरीदेंगे।

वर्तमान में इसके शेयर मूल्यों में सन् २००० के मुकाबले दो तिहाई की कमी आयी है। इसके विषय में २१ नवम्बर, २००० को संचार राज्यमंत्री तपन सिकंदर ने कहा था कि इस कमी का कारण सरकार के कुछ उठाए गए कदम हैं। उन्होंने जो नहीं बताया वह यह था कि मूल्यों में यह गिरावट सरकारी

घोषणाओं के पहले शुरू हो चुकी थी। इसका कारण यही हो सकता है कि इसकी महत्वपूर्ण सूचनाएँ पहले ही लोगों को ज्ञात हो गयी थीं।

ये सारी घटनाएँ जानबूझकर उत्पादित की गई हैं। वी एस एन एल का मूल्य घटाने का मतलब है उसे खरीदने वाले को लाभ पहुँचाना और देश को घाटा पहुँचाना। फरवरी २००० से अबतक वी०एस०एन० एल० अपनी ७०% पूँजी खो चुका है। फरवरी २००१ के ३१०० रुपए के मूल्य की तुलना में मई २००१ में इसका मूल्य ८६० रुपए प्रति शेयर हो गया। इन तीन महीनों में इसने २०,००० करोड़ रुपए गँवाए।

इसके मुख्य प्रबंध निदेशक एस०के० गुप्ता के अनुसार शेयर मूल्यों की यह गिरावट इस 'अफवाह' के कारण हुई कि विदेशी फोन सेवा में इसका एकाधिकार सन् २००४ के बहुत पहले खत्म कर दी जाएगी। जबकि सरकार ने १९९७ में वायदा किया था कि

इसका एकाधिकार २००४ तक रहेगा। इसका एक महत्वपूर्ण कारण भी था। मर्चेंट बैंको ने केबिनेट की ७ सितम्बर की घोषणा के एक माह पहले से ही एकाधिकार खत्म होने की स्थिति में इससे होने वाली हानियों की गणना शुरू कर दी थी।

स्टॉक विश्लेषकों के अनुसार, यह अफवाह जिसे बाद में सरकार ने अपनी घोषणाओं के द्वारा सही साबित किया, सरकारी नीतियों की गोपनीयता भंग होने के कारण उठी। मूल्य हमेशा सूचना संवेदी होता है। यह गोपनीय सूचना थी कि वी एस एन एल को एकाधिकार खत्म कर दिया जाएगा। किसी ने इसे इस्तेमाल किया और इसकी कीमत राष्ट्र को चुकानी पड़ी। १९ मई, २००० को मुख्य प्रबंध निदेशक श्री गुप्ता ने सचिव संचार सेवा पी.एस. सरन को लिखा कि वी एस एन एल का एकाधिकार खत्म होने की सूचना के अफवाह के कारण इसके शेयर मूल्यों में गिरावट आ रही है। सरकार को होने वाली यह हानि निजीकरण को भी प्रभावित करेगी। गुप्ता ने अपने पत्र में सरकार से यह आग्रह किया कि वह अफवाहों का खण्डन करे। लेकिन सरकार की निष्क्रियता से देश को ३००० करोड़ का चूना लगा।

विदेशी पूँजी निवेश : फर्ज की फाँसी

■ डॉ. सी. अब्राहम वर्गिज

उदारीकरण के बाद देश में २०.१८ बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है। जबकि सरकार ने ६०.७६ बिलियन डॉलर के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। इसने प्रतिवर्ष २० बिलियन डॉलर एफ.डी.आई. आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है इससे अधिक खुशी की बात और क्या होगी।

सरकार विदेशी प्रत्यक्ष पूँजी निवेश (एफ.डी.आई.) के हाथों बिकती चली जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि देश एफ.डी.आई. के बिना नहीं चल सकता। विदेशी पूँजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कुछ भी करने पर तुली हुई है। यह भारतीय कंपनियों को विदेशी

कंपनियों के हाथों बेंचने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, इतना ही नहीं भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनी खरीद सकें इसके लिए उन्हें धन दिलाने में भी सहयोग दे रही है।

इन दिनों सरकार एफ.डी.आई. को देश में तेज गति देने के लिए स्वचालित प्रक्रिया लाना चाहती है। हरेक केंद्रीय मंत्री एवं विभिन्न राज्य सरकारें इन दिनों यह दावा करने में लगीं हैं कि वही विदेशी निवेशकों को लाने में सबसे आगे है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विदेश यात्रा की होड़ लगी हुई है।

उदारीकरण के बाद देश में २०.१८ बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है। जबकि सरकार ६०.७६ बिलियन डॉलर के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। इसने प्रतिवर्ष २० बिलियन डॉलर एफ.डी.आई. आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है इससे अधिक खुशी की बात और क्या होगी।

इसी कोशिश में शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत पूँजी निवेश (एफ.आई.आई.) १८.० बिलियन डॉलर हो चुका है। वास्तव में सरकार दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक एफ.आई.आई. को छूट देती चली जा रही है। भारतीय कंपनियों में विदेशी शेयर का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है।

इसी मार्ग से अधिक से अधिक

विदेशी निवेश बढ़ रहा है। सरकार इस सफलता के लिए अपने को धन्य मान रही है। सरकारी तंत्र लगातार देश में विदेशी कंपनियों के बढ़ते निवेश के आँकड़े प्रदर्शित करने में लगे हैं। लेकिन अपने देश में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के आँकड़ों पर शायद ही कोई ध्यान दे रहा है। सरकार विदेशियों की चासनी में इस तरह डूब चुकी है भारतीय निवेशक भाग्य भरोसे रहने पर विवश है।

इन दिनों एफ.आई.आई. और एफ.डी.आई. का स्वागत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्यमों के प्रत्येक भाग में किया जाने लगा है। बीमा, सेवाएँ, सभी उद्योग इसके चपेट में हैं। यहाँ तक कि एस.एस.आई. भी अपवाद नहीं है। सिर्फ प्रतिरक्षा क्षेत्र बचा है (लेकिन इन दिनों प्रतिरक्षा क्षेत्र में भी विदेशी पूँजी निवेश के लिए सरकार ने दरवाजा खोल दिया है। जिसका विरोध तेज गति से हो रहा है - सं.)। एस.एस.आई. के प्रभारी मंत्री ने एफ.डी.आई. के लिए निम्नलिखित विज्ञापन जारी किया है - 'एफ.डी.आई. को बढ़ावा देने का अर्थ है और अधिक संसाधन, तकनीकी और आधुनिक संसाधन, तकनीकी और आधुनिक प्रबंधन सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना।

शामिल किए जाने वाले प्रस्ताव

एफ.डी.आई. को एस.एस.आई. क्षेत्र

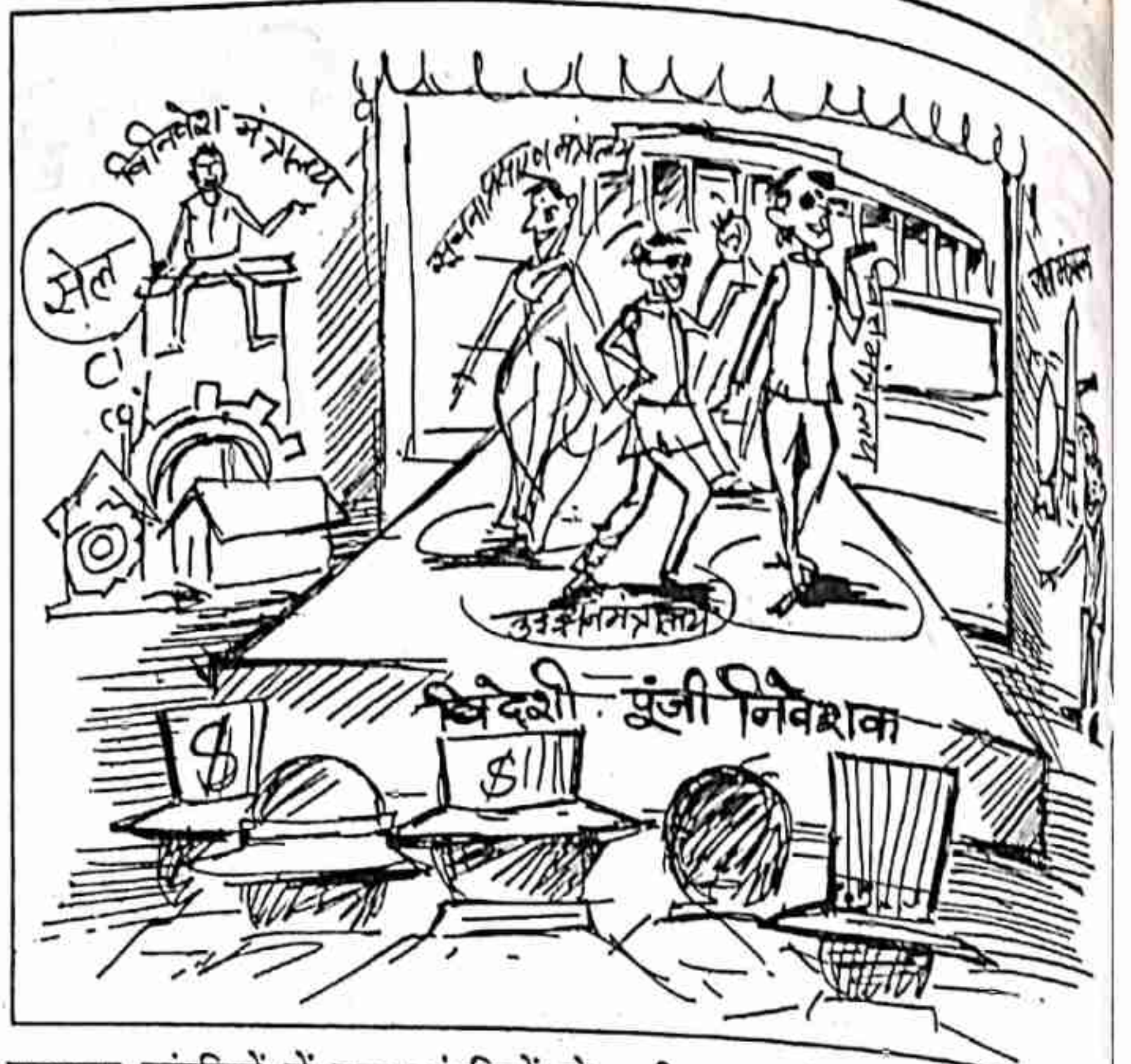
के लिए आकर्षित करना और उसकी निवेश मात्रा में स्वयं बढ़ोत्तरी के लिए रास्ता तैयार करना।

विदेशी पूँजी की मात्रा को बढ़ाना ताकि प्रबंधन भारतीयों के हाथ में से निकल जाए।

स्पष्टतः मंत्री को विश्वास है कि विदेशी धन, प्रबंधन और तकनीक के बावजूद देश का नियंत्रण इन पर होगा!! अनभिज्ञ रहना खुशियाँ देता है लेकिन इसे पूरी दुनिया के हँसने के लिए सरकारी खर्च पर विज्ञापित नहीं करना चाहिए।

यह स्थिति एस.एस.आई. जैसे क्षेत्र की है तो कोई भी इस बात की कल्पना कर सकता है कि सरकार अन्य क्षेत्रों की कितनी चिंता कर रही होगी। जहाँ निधि की कमी है। अतः 'सेल' लगा हुआ है। अब कोई भी १००% भारतीय कंपनी विदेशी खरीद सकते हैं और उन्होंने इसकी अच्छी शुरुआत भी कर दी है। निश्चित रूप से वो इसकी गति तीव्र करेंगे और पूरे भारतीय उद्योग को निगल जायेंगे। यह ज्यादा दिनों तक अशोचनीय प्रश्न नहीं होगा।

परिणाम : विदेशी यह जानते हैं कि उनके लिए भारत में अच्छा क्या है? वे केवल उन्हीं संयंत्रों को खरीदेंगे जहाँ वे आसानी से एवं तीव्र गति से पैसा बना सकें। वे उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करेंगे जहाँ उन्हें लगेगा कि वे भारतीय उद्यमियों की तुलना में बहुत पर है और दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले यहाँ ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। भारतीय बाजार यूरोपीय या पश्चिमी बाजार से ज्यादा बढ़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो हमारा विकास २०-३०% तक है जबकि पश्चिमी क्षेत्रों का विकास ३-४% तक प्रतिवर्ष है। लगभग सभी विदेशी कंपनियाँ भारत की अपनी



सहायक कंपनियों में मूल कंपनियों से ज्यादा लाभ कमा रही है।

मुश्किल से ऐसा कोई दिन बीतता है जिस दिन कोई भारतीय कंपनी बिकती न हो या विदेशियों के पक्ष में किसी संयुक्त उपक्रम की घोषणा न होती हो। दुःख तो यह है कि सरकार इन घटनाओं पर खुशी व्यक्त कर रही है।

प्रधानमंत्री ने उद्योगपति राहुल बजाज की अध्यक्षता में उद्योग एवं व्यापार परामर्श समिति की स्थापना की

विदेशी यह जानते हैं कि उनके लिए भारत में अच्छा क्या है? वे केवल उन्हीं संयंत्रों को खरीदेंगे जहाँ वे आसानी से एवं तीव्र गति से पैसा बना सकें। वे उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करेंगे जहाँ उन्हें लगेगा कि वे भारतीय उद्यमियों की तुलना में बहुत पर है और दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले यहाँ ज्यादा पैसा कमा सकते हैं।

थी। इस समिति के रपट का विवरण देते हुए श्री बजाज ने कहा "उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य, नवीनतम तकनीक, अच्छे प्रबंधन और निर्यात प्राप्त करना था जो अब तक प्राप्त नहीं हो सका है।"

इसके स्थान पर, कई क्षेत्रों में इससे स्थापित भारतीय उद्योगों को अस्थिर करने का काम किया है और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तो बिना किसी बहुत बड़े निवेश के पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया है।

फिर भी अभी सरकार के लिए जगने और वास्तविकताये स्वीकार करने में कोई बहुत देर नहीं हुई।

मूल्य : सरकार विदेशी संस्थापित निवेश (एफ.आई.आई.) की अपेक्षा एफ.डी.आई. को तरजीह दे रही है क्योंकि उसके अनुसार एफ.डी.आई. लम्बी दौड़ का घोड़ा है जबकि एफ.आई.आई. खरगोश-कछुवे की दौड़ का खरगोश है। इस सच्चाई की कीमत क्या है? सभी जानते हैं कि प्रत्येक कर्ज से ब्याज जुड़ा होता है। लम्बे समय के कर्ज छोटे समय के कर्जों की अपेक्षा उच्च लाभ कर्ज देने वालों को देते हैं।

पूँजी प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्वरूप है क्योंकि इसमें लाभ देना है जो उसी पूँजी के बैंक दर पर के कई गुना हो सकता है। इसका भी विदेशी मुद्रा में होता है। इसका लाभ का स्तर २००-३००% बढ़ा दिया गया है जो पूरी दुनिया के किसी देश में नहीं है। शेयर धारकों के मूल्य को बढ़ाना आज निगमों का मंत्र बन गया है। निजी क्षेत्र में शेयर होल्डर खूब पूर्ण बन गए हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपभोक्ता महत्वपूर्ण है। इत्यादी कीजिए कि राष्ट्र का भविष्य बड़ा होगा जब अत्यधिक ऊँचे दरों पर एफ.डी.आई. का लाभ देना पड़ेगा। अगर कहीं सरकार बड़ी मात्रा में एफ. डी.आई. लाने में सफल हो गयी तो भविष्य में इस पर ब्याज भी असाधारण रूप से ज्यादा होगा। सरकार विदेशी आसक्ति में डुबी है या यह उसे पता ही नहीं है।

सरकार विदेशी कंपनियों के प्रति बहुत उदारता दिखा रही है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सरकार ने भारत में व्यापार करने में एफ.डी.आई. की भूमिका को मान्यता प्रदान कर दी और इस बात पर सहमत हो गई है कि ये कंपनियाँ अपने कुल टर्नओवर का ५% अपने मूल कंपनियों को 'नो हाऊ' फीस के रूप में भेज सकती है। मैं यह सलाह देता हूँ कि इस ५% को भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों कुल टर्न ओवर में जोड़ा जाए। ए.आई. भी विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है। यह बदतरनीन पागलपन है।

उपभोक्ता : यह सब उपभोक्ता के हित में किया गया है, जिसके विषय में सरकार यह मानती है कि उपभोक्ता का रोपण भारतीय उद्यमियों ने लम्बे समय तक किया है। लेकिन सरकार यह भूल जाती है कि ज्यादातर क्षेत्रों में सरकार

कुल राष्ट्रीय उत्पादन का ६०% तक उत्पादन करती है।

लेकिन अंततः विदेशी कंपनियों के प्रति सरकारी उदारता के लिए मूल्य कौन चुका रहा है। निश्चित रूप से उपभोक्ता जिसका नाम सरकार उदारतापूर्वक लेती है।

अंततः अपने उच्च लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नई कंपनियाँ मूल्यों में बढ़ोत्तरी करेगी और मार्केटिंग में सनसनी खेज प्रचार कर उच्च लाभ प्राप्त करेगी। अतः मधुचंद्रिका की समाप्ति के साथ ही बड़ी मात्रा में मूल्य वृद्धि होगी यह समय जल्द ही आने वाला है।

अतः वास्तविक एफ.डी.आई.

अर्थात् फ्यूचर डेबट इंडेक्स (भविष्य कर्ज सूचकांक) वर्तमान में आ रहे और भविष्य में आने वाले एफ.डी.आई. का कई गुना होगा। सभी देशभक्त लोगों को इसे ईमानदारी पूर्वक जोड़ना चाहिए, सरकार यह कार्य नहीं करेगी। सरकार एक भूल कर रही है। हमें यू.एस.एस.आर. का अंत याद रखना चाहिए। जो कुछ कहाँ हुआ वह भारत में भविष्य में होने वाली घटनाओं की तुलना में एक पिकनिक के समान है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारी स्थिति सोवियत संघ के विघटन के बाद की रूस की स्थिति से भी बदतर होगी। ■

कानून मंत्रालय ने माँस आयात से संबंधित कानून बनाने की एनिमल हस्बैण्डरी विभाग की माँग नहीं मानी

डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते के कारण माँस एवं इससे संबंधित वस्तुओं पर लगे आयात प्रतिबंध को हटाने के बाद आयात की अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय के इस विषय से संबंधित १८९८ के कानून में बदलाव की माँग को कानून मंत्रालय ने नहीं माना। कानून मंत्रालय ने उलटे कृषि मंत्रालय के एनिमल हस्बैण्डरी विभाग (ए.एच.डी.) से अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने को कहा है।

ए.एच.डी. ने मुँह एवं पाँव रोग (एफ.एम.डी.) को ध्यान में रखते हुए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा कि परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाने के बाद माँस और इसके अन्य उत्पादों का खुला आयात हो रहा है "इन परिस्थितियों में इन वस्तुओं के आयात को खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेगुलेट करना आवश्यक है ताकि इन उत्पादों के साथ देश में बीमारियों की बाढ़ न आए जो हमारे स्वास्थ्य पर उलटा प्रभाव डाल सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा कि १८९८ के लाइव स्टाक इम्पोर्टेशन एक्ट के अंतर्गत केवल घोड़े, ऊँट, भेड़ें और केंद्रीय सरकार द्वारा सूचीकृत अन्य जन्तु ही आ सकते हैं। माँस और माँस उत्पाद इस कानून में शामिल नहीं हैं। अतः मंत्रालय ने यह प्रस्ताव दिया कि एक नोटिफिकेशन जारी कर इसमें माँस एवं उसके उत्पादों को भी शामिल किया जाए। एक ए.एच.डी. के अधिकारी के अनुसार "विश्व व्यापार संगठन के इस काल में जब हमारे उत्पादों (माँस एवं जन्तु) का निर्यात होता है तब दूसरे देशों में उनके उत्पादन तकनीक, रसायनों (इन्सेक्टीसाइड एवं पेस्टीसाइड) के उपयोग इत्यादि के विषय में पूरी जानकारी माँगी जाती है जबकि हमारे यहाँ इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।" लेकिन कानून मंत्रालय ने इत तर्कों को मानने से इंकार कर दिया और इस प्रकार के किसी भी नियम को बनाने के प्रस्ताव को नकार दिया। ■

लघु उद्योगों की समस्याएँ

और

लघु उद्योग भारती

लघु उद्योग भारती भारत के लघु उद्योगों की एक अखिल भारतीय संगठन है। इसकी स्थापना सन् १९९४ में लघु उद्योगों के विकास विस्तार तथा उनकी समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से की गयी। आज सम्पूर्ण भारतवर्ष में इसके लगभग ५००० सदस्य हैं।

लघु उद्योग भारती का मानना है कि भारत का आर्थिक विकास लघु, अतिलघु, कुटीर, ग्रामीण तथा कृषि उद्योगों के विकास से ही संभव होगा। भारत में निरंतर बढ़ती हुई विशाल बेरोजगारी का एक मात्र निदान लघु उद्योग का विकास है। यह संस्था स्वदेशी तथा स्वावलम्बन का आधार लेकर कम पूँजी वाले लघु उद्योगों का विकास चाहती है।

आज भारत के लघु उद्योग के साथ अनेक चुनौतियाँ हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज बहुत से लघु उद्योग बंद हो गए तथा बंद होते जा रहे हैं। व्यापक स्तर पर लोगों के रोजगार की संभावना क्षीण हो गयी है।

लघु उद्योग भारती लघु उद्योग के संवर्द्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। लघु उद्योग भारती के कार्यकारी सचिव श्री जितेन्द्र जोशी ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि आज लघु उद्योगों के सामने क्या-क्या कठिनाईयाँ सामने खड़ी हैं। सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर दिल्ली में १,३५,००० लघु उद्योगों को बंद कर दिया है। जिसमें लगभग १,१०,००० इकाईयाँ ऐसी हैं जो प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। फिर भी इन्हें बंद कर दिया गया। एक नई घटना सामने आयी है। कारखाने से निकलने वाले पानी के शुद्धिकरण के लिए दिल्ली के

ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सी.ई.टी.पी. का अनुमानित खर्च ७ करोड़ रुपए का था जो अब डी.एस.आई.डी.सी. द्वारा २२ करोड़ कर दिया गया है। जिसका लगभग ५०% हिस्सा उद्योगों को देना है। इसमें मूल्य बढ़ने के साथ-साथ सबसे प्रमुख समस्या यह है कि इन उद्योगों में ९०% उद्योग शुष्क इकाई हैं जो पानी का उत्सर्जन नहीं करते। और जो शेष १०% इकाईयाँ जिनसे पानी निकलता है सभी ने अपने-अपने व्यक्तिगत कचड़े का शुद्धिकरण प्लांट लगा रखा है। जिस पर इन लोगों के लाखों रुपए व्यय हो चुके हैं। इसके बावजूद इन पर यह अतिरिक्त भार लाद दिया गया है। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा ट्रांसपोर्टों पर सर्विस टैक्स लगाया गया था। लघु उद्योग भारती द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के फलस्वरूप इन पर सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया गया। इसके विरुद्ध उत्पादन कर विभाग ने याचिक दायर की है। आज भी यह समस्या ज्यों की त्यों ही है। भाड़ा बढ़ने से लघु उद्योगों के उत्पाद की लागत काफी बढ़ जाती है। आज जहाँ देश के बाजार विदेशी सामानों से सजे पड़े हैं। अतः हमारे लघु उद्योग वाले इनसे कैसे मुकाबला कर पाएंगे।

इसके अलावा लघु उद्योग भारती के अनेक प्रयासों के कारण लघु उद्योगों पर एक करोड़ मूल्य तक के उत्पाद पर उत्पादन कर से मुक्ति मिल गयी पहले यह सीमा ५० लाख तक थी। सरकारी खरीददारियों में भी काफी धांधली होने का भी पता चला है। सरकारी खरीददारी में लघु उद्योगों को निवाद शुल्क से छूट है। इसका पालन नहीं हो रहा है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के कर्मचारियों से स्वेच्छापूर्वक सेवामुक्त हो जाने का दबाव दिया जा रहा है अर्थात् उन्हें बी. आर.एस. लेने को कहा गया।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के १० कर्मचारियों की मौत हो चुकी है और कई अन्य पैरालाइसिस जैसे रोगों से ग्रस्त हो गये हैं। क्योंकि प्रबंधन ने उन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया है।

प्रबंधन ने कर्मचारियों के क्वाटरों पर इस वर्ष के शुरुआत में एक नोटिस लगा दिया कि या तो वे बी. आर.एस. स्वीकार कर ले या फिर नौकरी से निकाले जाने के लिए तैयार रहें।

३०-४५ वर्ष उम्र के १७२ कर्मचारियों का बी.आर.एस. लेने के लिए कहा गया अन्यथा प्रबंधन उन्हें नौकरी से निकाल देगा ऐसी धमकी दी गई।

जिन लोगों ने बी.आर.एस. को चुना उनका अनुभव बहुत बुरा रहा उनमें से कई बी.आर.एस. लेने के एक माह के अन्दर ही मर गये।

इस तरह की अनिवार्य सेवा समाप्ति सरकार की तरफ से नहीं की गई है। प्रबंधन ने ही अपने स्तर से यह काम किया है। उसमें सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये घटनाएँ तब शुरू हुई जब सरकार ने इसके निजीकरण की घोषणा की।

प्रबंधन ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को घोषणा के साथ-साथ इसके विरुद्ध ऊपरी न्यायालयों में अपील करने के अधिकारों का भी हनन ट्रिब्यूनल से मिलकर कर दिया है।

क्या रहा है मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के बाद

■ डॉ. गणेश कावड़िया

विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के कारण भारत ने १९९७ से ही विदेशी व्यापार में आयातों का मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना प्रारंभ किया था। इस वर्ष के प्रारंभ तक भारत २००० वस्तुओं से इस प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त कर चुका था लेकिन अप्रैल २००१ से शेष ७१५ वस्तुओं के आयात को मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त किया तबसे इस नीति का विरोध हो रहा है। किसान समूह, उद्योगपति, उपभोक्ता वर्ग तथा लोक दलों ने एक साथ मिलकर विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। यह है कि सरकार की इस नीति के हमारे बाजार में विदेशी वस्तुओं की भरमार हो जाएगी और हमारे घरेलू वस्तुएँ प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकेंगी। कारण धीरे-धीरे हमारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे बाजार विदेशी वस्तुओं का साम्राज्य हो जाएगा। अतः इस संदेह का परीक्षण करना आवश्यक है। पिछले चार वर्षों से यह लागू है तथा इस वर्ष जिन ७१५ वस्तुओं को इसमें सम्मिलित किया गया है उनके बारे में निर्णय १९९७ में ही ले लिया गया था। अतः मात्रात्मक प्रतिबंधों के बाद हमारे आयात-निर्यात स्थिति में कुछ मूल्यांकन किया जा सकता है बाजार की वर्तमान स्थिति से इस नई नीति की चुनौतियाँ तथा उसके अवसरों

का आकलन भी किया जा सकता है। इसी आधार पर हम इस नई नीति में सक्षम बनने के लिए कदम भी उठा सकेंगे। अतः हमारे बाजारों की वर्तमान परिस्थितियों का मूल्यांकन आवश्यक है।

सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ है? देश में वस्तुओं के आयात को नियमित करने के लिए सीमा शुल्क के अतिरिक्त इसकी अधिकतम मात्रा तय कर दी जाती है। उसे मात्रात्मक प्रतिबंध कहते हैं। यह मात्रा देश की आवश्यकता को देख कर तय की जाती थी और इनका आयात सरकारी संस्थाओं द्वारा या उनकी देखरेख में ही किया जा सकता था। स्वतंत्रता के समय हमारे पास काफी पौण्ड-स्टर्लिंग जमा थे अतः इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई लेकिन जब दूसरी योजनाओं के अंत तक यह कोष समाप्त हो गया तो सरकार ने कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों की गहनता कालान्तर में और बढ़ती गयी। इसमें उपभोक्ता वस्तुओं पर तो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। इन प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवरोध माना जाता है। अतः विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से भारत को भी धीरे-धीरे इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए कहा गया। इसी के तहत भारत ने इन वर्षों में कुल २७१५ वस्तुओं से इन प्रतिबंधों को हटा दिया है। इसे उदारीकृत आयात की

सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ है? देश में वस्तुओं के आयात को नियमित करने के लिए सीमा शुल्क के अतिरिक्त इसकी अधिकतम मात्रा तय कर दी जाती है। उसे मात्रात्मक प्रतिबंध कहते हैं। यह मात्रा देश की आवश्यकता को देख कर तय की जाती थी और इनका आयात सरकारी संस्थाओं द्वारा या उनकी देखरेख में ही किया जा सकता था।

नीति कहा जा सकता है।

आयात के मात्रात्मक प्रतिबंध से ७१५ वस्तुओं की फाइनल खेप को भी मुक्त कर देने के पश्चात हमारे बाजारों का मूल्यांकन करे तो स्पष्ट है कि इस काल में हमारे आयातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। वर्ष १९९९-२००० में हमारे गैर पेट्रोलियम वस्तुओं के आयात में मात्र

२.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके पश्चात अर्थात् वर्ष २०००-०१ में तो इन आयातों में ७ प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस प्रकार हमारे विदेशी व्यापार के आंकड़े इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि उदारीकृत आयात नीति के बाद आयातों में बहुत वृद्धि होगी। वास्तव में इस अवधि में हमारे कृषि पदार्थों के आयात में तो कमी हुई है। वस्तुओं का आयात-निर्यात भी मांग और पूर्ति के नियमों के आधीन ही होता है। सरकार सीमा शुल्क लगाकर आयातित वस्तुओं की पूर्ति को प्रभावित कर सकती है। इससे हमारी घरेलू वस्तुएँ उनकी तुलना में सस्ती रहती हैं। इसके अतिरिक्त रुपए की गिरती विनिमय दर के कारण भी वस्तुओं का आयात महंगा पड़ता है अतः यह कल्पना करना कि इससे आयात बढ़ जाएंगे ठीक नहीं है।

इसके अतिरिक्त हमारी स्वयं की आर्थिक परिस्थितियाँ इन आयातों को बढ़ने नहीं देंगी। कृषि पदार्थों, फल, फलों के रस, जैसी अल्प आयु वाले पदार्थों के आयात के लिए अच्छी ढाँचागत सुविधाएँ चाहिए।

अच्छी सड़क, रेल तथा वायु परिवहन की सुविधाएँ चाहिए, रेफ्रिजरेशन के कारगो चाहिए। हमारे यहाँ इन सुविधाओं का स्तर अच्छा नहीं होने के कारण इन वस्तुओं को समय पर उपभोक्ता तक पहुँचाना संभव नहीं है। अतः यह डर कि ये वस्तुएँ हमारे बाजारों पर छा जाएंगी, निरर्थक है। हाँ पोर्ट के आसपास के बाजार में अवश्य ही उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन वहाँ भी मूल्य अंतर के कारण कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा सकेंगी। आस्ट्रेलियन सेब तथा ब्राजील के अंगूर मुंबई के बाजार में तो देखे जा सकते हैं लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है कि वे झाबुआ या खरगोन

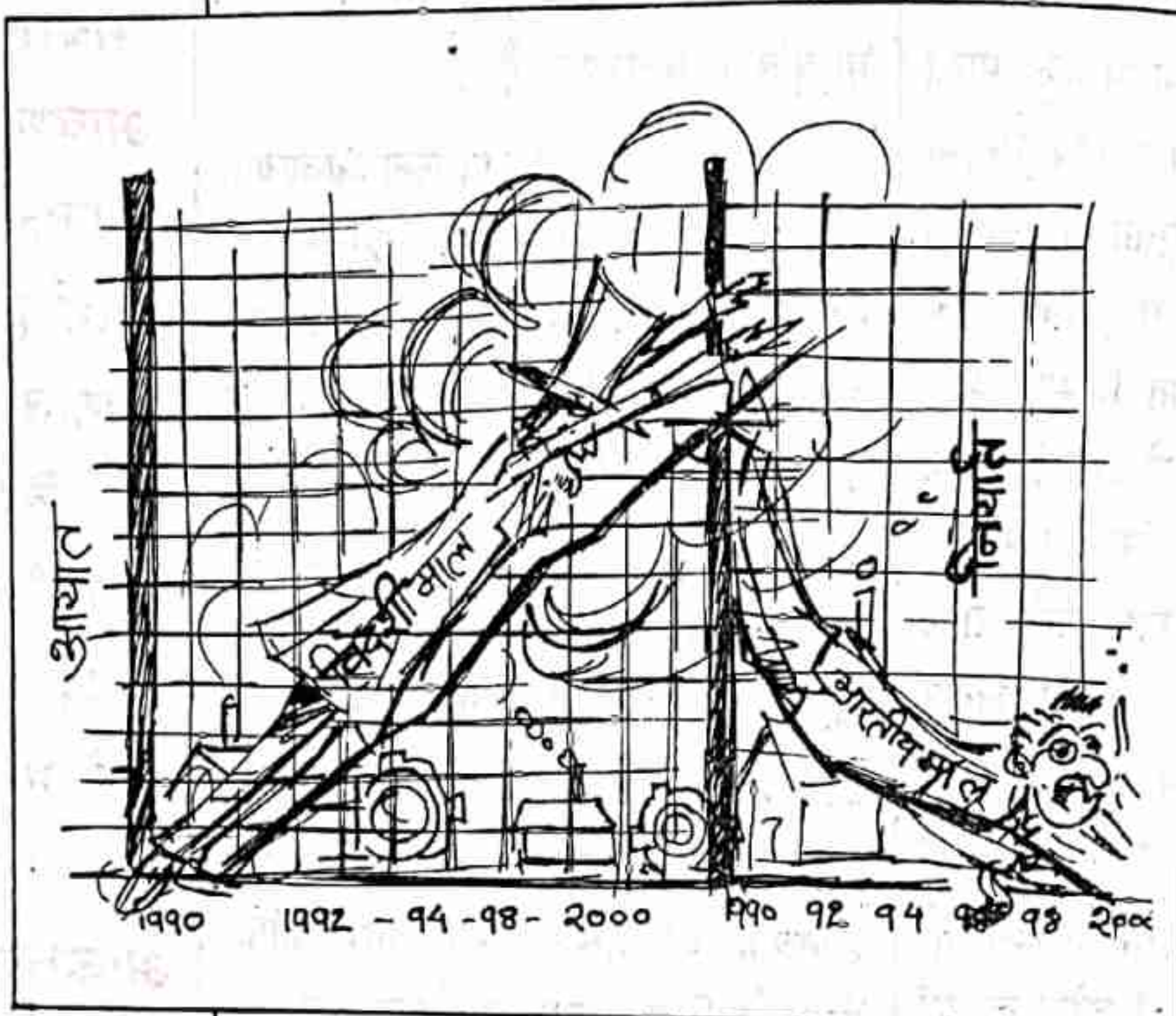
के बाजार में भी उपलब्ध हो सकेंगे। अतः हमारी ढाँचागत सुविधा इन आयातों को बढ़ने नहीं देगी।

उदारीकृत आयात नीति के कारण हमारा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का बाजार काफी भयग्रस्त है। फ्रिज १४०० रुपए, पंखा ३०० रुपए, बाइक ९००० रुपए, रंगीन टी.वी. ३००० रुपए की अफवाहों ने इस बाजार को काफी प्रभावित किया है इससे उपभोक्ता ने अपनी खरीद को कुछ समय के लिए टाल दिया है और इन वस्तुओं की प्रतीक्षा कर रहा है। आश्चर्य कि अभी तक किसी ने इन वस्तुओं को देखा नहीं है लेकिन सभी

इसके आयात को प्रतिबंधित कर लेंगे यदि किसी प्रकार यह सस्ता माल के बाजार में प्रवेश कर भी गया तो उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता का भाग अदा करती है। भारत का उपभोक्ता 'यूज एण्ड थ्रो' में विश्वास नहीं रखता वह तो चाहता है कि वह खरीदे और उसकी वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग करे अर्थात् वह टिकाऊ और भरोसे वाली वस्तु चाहता है जिसकी रिपेयरिंग भी हो सके चीन की सस्ती आयातित वस्तुएँ कसौटी पर कैसे खरी उतर सकती हैं जिनकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं

हमारा उपभोक्ता वस्तुओं को कभी खरीद नहीं कर सकता है। ये अफवाहें बाजार बिगाड़ सकती हैं, हम उद्यमियों को नष्ट कर सकती हैं। निरर्थक है, अकारण

इस समय हम वास्तविक चिंता तब तक द्वारा जो विदेशी वस्तु हमारे बाजार में बिक रही है, उसकी है। सब बड़े तटीय शहरों में हांगकांग



कह रहे हैं कि जल्दी ही बाजार में आ रही है। इन अफवाहों ने मंदीग्रस्त इस बाजार को काफी खराब कर दिया है। सरकार ने इन वस्तुओं पर १०० से १५० प्रतिशत तक का सीमा शुल्क लगा रखा है। इनके परिवहन की भी लागत है और निर्माता देश में भी उसकी लागत है। अतः कोई कैसे कल्पना कर सकता है कि ये वस्तुएँ इन मूल्यों पर उपलब्ध हो सकेंगी। यह तो ठीक उसी प्रकार का सपना है जो कभी सच नहीं हो सकेगा। हाँ, यदि कोई राष्ट्र डॉपिंग कर अपना माल हमारे यहाँ बहुत ही सस्ता बेचेगा तो हमारी सरकार भी चुप नहीं बैठेगी। एण्टी-डॉपिंग ड्यूटी लगाकर

बाजार, चाइना बाजार, सिंगापुर बाजार आदि सहज ही देखे जा सकते हैं। उदारीकृत आयात व्यवस्था के पहले है जो करोड़ों रुपयों का कारोबार कर रहा है। उदारीकृत आयात व्यवस्था में इसे नियंत्रित करना आसान होगा क्योंकि ये वस्तुएँ वैधानिक चैनल के माध्यम से आ सकेंगी और सरकार के नियंत्रण में रहेंगी। इससे हवाला बाजार के माध्यम से विदेशी मुद्रा का पलायन भी रोका जा सकेगा। अतः उदारीकृत आयात व्यवस्था में हमें अपने विदेशी व्यापार को सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा। हमें भी अपने अवसर प्रदान करेगा कि हम

इसके बाजार में प्रवेश कर सकात्मक सोच की है जिससे हम अपनी को दूर कर सकें। हमारे अभी तक सरकारी संरक्षणात्मक तहत कार्य कर रहे थे। उन्होंने सीमित बाजार को ही टेप कर लाभ अधिकतम किया है। बाजार की ओर कोई ध्यान नहीं उसे कई छोटी-छोटी कंपनियाँ अलग क्षेत्र में अपना कार्य कर इनका आपस में कोई समन्वय अलग-अलग क्षेत्र होने के कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। अतः उनकी उत्पन्न की ओर ध्यान जिससे उनकी उत्पादन लागत आती है। सरकारी संरक्षण था जो ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। विशाल मध्यवर्गीय उपभोक्ता आज भी रिक्त और खाली पड़ा। विदेशी कंपनियाँ इसी बाजार में टिकाए हुए हैं। आपने तो उनकी परवाह नहीं की। इस आयात व्यवस्था ने आपको दिया है कि इस विशाल बाजार में जो इसके लिए उनकी कार्यक्षमता मुसार वस्तुओं का निर्माण करना इसके लिए उत्पादन के पैमाने को की आवश्यकता है। साथ ही स्तर पर उत्पादन करने वाली के मध्य समन्वय की भी कता है जिससे प्रत्येक चरण पर की मितव्ययता प्राप्त की जा सके। लिए चीन हमारा अच्छा मार्गदर्शक कता है। उसने लाभ अधिकतम के स्थान पर बिक्री विस्तार के बाजार पर अधिकार किया है। हमारे में लगभग यही व्यवस्था है। हमें उत्पादन का विस्तार तथा उत्पादन के चरणों के मध्य समन्वय करने की आवश्यकता है इससे प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि

होगी। इससे न केवल हम अपना बाजार हासिल कर सकेंगे बल्कि तीसरे विश्व के बहुत बड़े बाजार में भी प्रवेश कर सकेंगे।

पिछले कुछ वर्षों से हमारा कुछ बाजार हमसे छिन गया। जैसे मसाला व्यवसाय, खाद्य तेल उद्योग, रेडीमेड वस्त्र आदि। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि इन वस्तुओं के उत्पादन में लघु उद्योग तथा भारतीय उद्यमियों का हिस्सा क्यों कम होता जा रहा है? इसको तो उदारीकृत आयात का परिणाम नहीं कहा जा सकता है? हमें खुला मसाला लेने में क्यों संकोच होता है? इस पर मनन करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन वस्तुओं की गुणात्मकता में हम खरे नहीं उतरे। हमने इनके गुणात्मक पक्ष की परवाह नहीं की। खाद्य पदार्थों में मिलावट आम बात हो गई थी। इससे हमारा इनके उत्पादकों से विश्वास उठ गया। नतीजा इनको बाजार से बाहर होना पड़ा और ये उद्योग धीरे-धीरे विदेशी कंपनियों के अधिकार में आते जा रहे हैं। इसके कारण हमारा असंगठित क्षेत्र निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। यदि इस क्षेत्र ने गुणवत्ता पर ध्यान दिया होता तो कोई भी विदेशी कंपनी इनके उत्पादन में प्रवेश नहीं कर सकती। अब मामला अंतरराष्ट्रीय बाजार का है। अतः हमें अपनी गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। गुणवत्ता की कसौटियों के कारण ही कई बार हमारे निर्यात ऑर्डर निरस्त हो जाते हैं। अतः हमारे लिए यह अवसर है कि विश्व बाजार में हम अपनी विश्वसनीयता को स्थापित करें। बाजार की कोई कमी नहीं है।

हमारी मुख्य समस्या अपने निर्यात व्यापार को बढ़ाने की है। इसके लिए हमें उन उद्योगों की खोज करनी होगी जहाँ निर्यात योग आधिक्य की संभावना है इसके लिए सरकार को मूल्य नीति का उपयोग कर इन संभावनाओं को खोजना होगा। कृषि में अपार संभावना है। सत्तर

तथा अस्सी के दशक में खाद्यान्न की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार ने मूल्य नीति का उपयोग किया। इसके तहत गेहूँ तथा चावल के सापेक्ष सरकारी क्रय मूल्यों में वृद्धि की। इससे इनके उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई और आज न केवल हमारे पास पर्याप्त अनाज का भण्डार है बल्कि निर्यात योग आधिक्य भी है। अब तो सरकार के पास भण्डारण की जगह ही नहीं है। सरकार को इस आधिक्य के लिए विदेशी बाजार तलाशना चाहिए। इसके लिए एक 'मार्केटिंग कंपनी' स्थापित करनी चाहिए। खाड़ी देशों में गेहूँ तथा गेहूँ के उत्पाद की अच्छी संभावना है। इसके साथ ही मक्का की अच्छी माँग है अतः सरकार को इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी मूल्य नीति का उपयोग करना चाहिए। इसी तरह से 'दलहन व्यापार' में तो हम एकाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उचित मूल्य नीति की आवश्यकता है। हमने अभी तक इनकी उपेक्षा की है। इस प्रकार उदारीकृत आयात व्यवस्था से डरने का समय नहीं है। हमें अपनी संभावनाओं की खोज कर उनको निखारना है। भाग्य से हमारे पास अच्छी मानवीय संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है तथा उत्पादन के लिए अच्छा वातावरण है। इसलिए हम कम से कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन कर उनकी आपूर्ति कर सकते हैं। हम उपभोगवादी नहीं हैं। 'कम खाओ गम खाओ' में विश्वास करते हैं। जीवन में मितव्ययी हैं। इसलिए कोई हमारे बाजार पर कब्जा करे यह संभव ही नहीं है। लेकिन यदि हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया और उत्पादन का पुनर्संगठन नहीं किया तो फिर कोई इसे बचा भी नहीं सकेगा। अतः सरकार को उत्पादन ढाँचे को पुनर्संगठित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तभी हम इस उदारीकृत विदेशी व्यापार का पूरा लाभ ले सकेंगे।

भारतीय कृषि पर मंडराते खत

भारत जैसे विकासशील देशों को ऐसा लगा कि शायद विकसित देशों द्वारा आर्थिक राज सहायता में कमी और अपने बाजारों को खोलने से उनके (विकासशील देशों के) उत्पाद विकसित देशों तक पहुँचाए जा सकेंगे और वे अपने किसान और अपनी कृषि को समुन्नत कर सकेंगे।

अमेरिका और यूरोपीय समुदाय के प्रयासों के फलस्वरूप ही गैट में कृषि समझौता हुआ जिसके आधार पर कृषि राज सहायता में कमी और कृषि पदार्थों की दूसरे मुल्कों के बाजारों में पहुँच के विषय में समझौता हुआ और जो बाद में विश्व व्यापार संगठन की नियमावली का हिस्सा बना। भारत जैसे विकासशील देशों को ऐसा लगा कि शायद विकसित देशों द्वारा आर्थिक राज सहायता में कमी और अपने बाजारों को खोलने से उनके (विकासशील देशों के) उत्पाद विकसित देशों तक पहुँचाए जा सकेंगे और वे अपने किसान और अपनी कृषि को समुन्नत कर सकेंगे। लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ और अमरीका और यूरोपीय समुदाय सहित विकसित देशों द्वारा भारी राज सहायता देते चले आने से और आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटने से भारत सहित अन्य विकासशील देशों के बाजार विकसित देशों के सस्ते कृषि उत्पादों के लिए अलबता जरूर खुले। आज जब विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों को लागू करने में भारी कठिनाई महसूस कर रहे हैं, विकसित देशों के सस्ते उत्पादों के साथ उन्हें भारी प्रतिस्पर्धा का सामना भी

करना पड़ रहा है और ये सब कुछ तथाकथित मुक्त व्यापार के नाम पर हो रहा है।

जबकि विकासशील देश विकसित देशों द्वारा भारी कृषि राज सहायता को कम करने के लिए कराह रहे हैं।



अमरीका और यूरोपीय समुदाय विश्व व्यापार संगठन के बावजूद भी कृषि राज सहायताओं को औचित्यपूर्ण ठहराते हैं उनका कहना है -

१. विश्व में सभी जगह कृषि को विशेष व्यवहार मिलता है और मिलना भी चाहिए क्योंकि जहाँ तक खाद्य पदार्थों का प्रश्न है उनकी माँग

डॉ. अश्विनी महाजन

तो निरंतर है जबकि पूर्ति निरंतर होती इसलिए कृषि को व्यवहार मिलना और उसे आर्थिक राज सहायता देना नहीं है।

२. यूरोपीय समुदाय का यह भी है चूँकि उनकी जनसंख्या का अधिक है इसलिए उनकी लागत ऊँची है इसके अति किसान समाज को जीवन उपलब्ध कराकर समाज के बहुमूल्य कार्य करते हैं। वे पशु

का संरक्षण भी करते हैं और प्रकार अच्छा जीवन स्तर संभाल पाता है। इन सबके कारण कि ऊँची उत्पादन लागत की भरपाई लिए आर्थिक सहायता दी आवश्यक है।

दूसरी ओर विकासशील अनावश्यक जल्दबाजी दिखाते हुए

संगठन के प्रावधानों के अनुरूप नियमों को बदलने में लगे हैं ऐसे शायद हमें यूरोपीय समुदाय से सीख लेनी चाहिए। उनका यह कि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता की अतुलनीय भूमिका के उन्हें विशेष व्यवहार मिलना हमारे लिए विशेष महत्व का है। जो विशेष महत्व देना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे स्थान पर होने के साथ हमारे देश में किसी भी अन्य की तुलना में अधिक गरीब लोग हैं और यही नहीं हमारे यहाँ एवं अन्य खाद्य की उपलब्धता कम है।

जब कृषि में न आता है तो खाद्य सुरक्षा खतरे में होती है। भारत के स में पहली बार कि कुछ फसलों में कृषि योग्य

का उपयोग भारी रूप से कम हुआ (लहन) और अन्य फसलें इसी ओर हो गई हैं। यह सब मानसून में कमी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं तथाकथित मुक्त व्यापार के हो रहा है। जिससे विकसित देशों द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त के फलस्वरूप सस्ते कृषि उत्पाद में बेरोकटोक आ रहे हैं और इस विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के रूप में शुल्कों को कम करने की और मात्रात्मक नियंत्रणों का जाना विशेष रूप से जिम्मेदार है। पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें परिस्थितियों को और गंभीर हैं क्योंकि अमरीका और यूरोपीय

समुदाय सहित विकसित देश कृषि राज सहायता को कम करने की बजाय उन्हें 'ग्रीन बॉक्स' 'ब्लू बॉक्स' इत्यादि की आड़ में बढ़ाए जा रहे हैं। यही नहीं वे अपने इस कृत्य को औचित्यपूर्ण भी ठहराते हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनकी खाद्य उपलब्धता एवं पर्यावरण के संदर्भ में कृषि को विशेष स्थान देना आवश्यक है। लेकिन हम ही उनसे कुछ सीख नहीं पाते, यह हमारी विडम्बना है।

मात्रात्मक नियंत्रणों का हटाया जाना और आयात शुल्कों को घटाने की बाध्यता के कारण खाद्य तेलों के (विशेषतौर पर सोयाबीन के) आयात में

के स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। दूसरी ओर विकसित देशों द्वारा अपनाए जाने वाले सेनेटरी एवं फैंटोसेनेटरी उपायों से भारतीय कृषि उत्पाद विकसित देशों में बहुत ही कम मात्रा में प्रवेश कर पाते हैं।

जबकि यह अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अत्यधिक राज सहायता के कारण हमारे कृषि उत्पाद विकसित देशों के कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं, भारत सरकार लगातार विश्व व्यापार संगठनों की धुन पर चलती जा रही है। यह स्पष्ट हो चुका है कि विश्व व्यापार संगठन के समझौते न केवल हमारे

किसानों के लिए बल्कि लघु उद्योगों के लिए भी ठीक नहीं है और भारत के विश्व व्यापार संगठन में बने रहने के औचित्य पर प्रश्नचिह्न लग चुका है, विश्व व्यापार संगठन के समझौतों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत ही नहीं दुनिया के तमाम

आम जनता में जानकारी के अभाव और भारत सरकार की बेपरवाही के कारण अमरीका का जैव प्रौद्योगिकी से बना सोयाबीन आसानी से भारत में प्रवेश कर जाता है। जो न केवल भारतीय कृषि हितों के विरुद्ध है बल्कि हमारी जनता के स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करता है।

कई गुना वृद्धि हुई है।

दूसरी ओर जो यह समझते हैं कि फसलें बदलकर, हम निर्यात को बढ़ाकर लाभ कमा सकते हैं, अनभिज्ञ हैं (या समझना, नहीं चाहते) कि विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुरूप ही सेनेटरी और फैंटोसेनेटरी उपाय अपनाकर ये विकसित देश भारतीय कृषि उत्पादों को अपने देशों में प्रवेश के लिये बाधाएँ खड़ी कर रहे हैं।

आम जनता में जानकारी के अभाव और भारत सरकार की बेपरवाही के कारण अमरीका का जैव प्रौद्योगिकी से बना सोयाबीन आसानी से भारत में प्रवेश कर जाता है। जो न केवल भारतीय कृषि हितों के विरुद्ध है बल्कि हमारी जनता

विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन में घुटन महसूस कर रहे हैं। यह सही मौका है कि एक ओर जहाँ विकसित देश नई व्यापार वार्ता शुरू करने पर जोर डाल रहे हैं, भारत विकासशील देशों को नेतृत्व प्रदान करते हुए 'कतर' में प्रस्तावित विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में विकासशील देशों की आवाज को बुलुन्द करते हुए विश्व व्यापार संगठन को उनके हितों में कार्य करने के लिए बाध्य करे और यदि विकसित देश विकासशील देशों की समस्याओं को न समझ सकें तो विकासशील देशों का एक पृथक मंच बनाकर एक नई विश्व व्यापार व्यवस्था की शुरुआत की जाए। ■

■ देवेन्द्र शर्मा*

राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा तंत्र को नष्ट करने के भाजपा नेतृत्व की सरकार की काशिशों को बेकार करने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं और अगर आप इस खतरे को वास्तविक नहीं मानते हैं तो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पर ध्यान दीजिए। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) के दबाव में आकर पाकिस्तान की सैनिक सरकार दशकों पुराने विभिन्न अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र को तोड़ रही है — विरोधों के बावजूद यह तंत्र तोड़ना छोटे किसानों के लिये घातक होगा।

एक बार जब सरकार कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य की घोषणा करनी बन्द कर देगी तो फिर उस पर मंडियों में पहुँचाने वाले अतिरिक्त खाद्यान्न को खरीदने का उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। किसान पूरी तरह से व्यापार और बाजार की ताकतों की दया पर होंगे, और अगर पिछले अनुभवों को देखें तो यह पाते हैं कि इससे किसानों का शोषण होगा और पिछले तीन दशकों के दौरान अनाज उत्पादन में आत्म निर्भरता किसानों के शोषण और उनके अतिरिक्त उत्पाद को न खरीदने के कारण खत्म हो जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी राज्य सरकारों से अनाजों की खरीद एवं वितरण के विकेन्द्रीकरण को स्वीकार करने के लिये कहा। इसके कारण राष्ट्र का खाद्य सुरक्षा तंत्र अस्थिर हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में



भारत में खाद्य सुरक्षा :

बढ़ते हुये खतरे

राज्यों के मुख्यमंत्रियों के “कृषि एवं खाद्य प्रबंधन पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता” विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन में अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने उनसे पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर “कुछ महत्वपूर्ण बाध्यकारी मुद्दों पर एकमत” होने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए कि विश्व व्यापार संगठन और खाद्य प्रबंधन के मुद्दे देश की कृषि एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के केन्द्र में हैं, एक कार्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो वास्तव में विपत्ति का अभिलेख है। “पहले कदम के रूप में हम भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) का पुर्नगठन करेंगे। इस वर्ष के बजट में विकेन्द्रीकरण, राज्यस्तरीय खरीद एवं वितरण के नये तंत्र का भेद खोला गया है राष्ट्रीय स्तर पर सब्सिडी

देने के स्थान पर राज्यों को खाद्यान्नों की खरीद एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों में सब्सिडी के साथ वितरण के लिये आर्थिक सहायता दी जाएगी।”

प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह ही उन पर भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक की तरफ से खाद्यान्नों की खरीद एवं वितरण तंत्र को खत्म करना बाध्यकारी बना रहा है। दूर हटने का दबाव डाला जा रहा है। इससे भी बुरी बात यह है कि विश्व व्यापार संगठन, भारत जैसे सभी राष्ट्रों के लिए खाद्यान्न खरीद एवं वितरण तंत्र को खत्म करना बाध्यकारी बना रहा है। इसके अनुसार अतिरिक्त (बफर) स्टॉक के लिये खाद्यान्नों की खरीद बाजार मूल्य पर होगी और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के छोड़कर इन्हें बेचा बाजार मूल्य पर ही जाएगा। पिछले वर्षों से जन वितरण प्रणाली को विश्व

*लेखक खाद्य एवं व्यापार नीति विश्लेषक है।

संगठन के निर्देशों के अनुसार करने के प्रयासों में सरकार वितरण प्रणाली के अन्तर्गत से ऊपर रहने वाले परिवारों को खत्म करने के लिये प्रधान सरकार का अगला कदम "विकेन्द्रीकरण" का होगा। यों ने यह कहते हुये उनके पास की खरीददारी, सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक वित्तिय एवं संरचनात्मक ढाँचा उपलब्ध इस प्रस्ताव को मानने से इन्कार था। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह ने वर्तमान व्यवस्था बनाये की जोरदार वकालत की और विकेन्द्रीकरण को "अप्रायोगिक एवं विक" बताते हुए उन्होंने वर्तमान में किसी भी परिवर्तन के विरुद्ध भी दी और कहा, सरकार को के हित में ज्यादा संरक्षणवादी करने चाहिये।"

बादल के विचारों का समर्थन आन्ध्र के मुख्यमंत्री चन्द्र बाबू नायडू ने करते हुये किया कि विकेन्द्रीकरण पूर्ण व्यवस्था है। श्री नायडू ने दिया कि विकेन्द्रीकरण के स्थान पर सी आई को और ज्यादा योग्य का प्रयास किया जाए। हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा एवं पश्चिम के मुख्यमंत्रियों ने भी इनका साथ दिया। मुख्यमंत्रियों ने यह भी माना कि व्यापार संगठन कृषि के लिए है जबकि प्रधानमंत्री ने विश्व संगठन की वकालत की।

मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री के विरोध का कारण न केवल आर्थिक चिंतन था बल्कि राजनीति

की जमीनी वास्तविकताएं भी थी। प्रधानमंत्री जहाँ अपनी हर असफलता के लिए गठबंधन को उत्तरदायी ठहरा कर अपना बचाव कर सकते हैं वहाँ मुख्यमंत्रियों के पास कोई रास्ता नहीं है। इससे भी ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण यह कि मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार की विश्व व्यापार संगठन के अनुसार चलने की नीतियों के विरोध में खड़े हो रहे जनमत को भी देख रहे थे। मुख्यमंत्रियों के लिए विकेन्द्रीकरण का प्रस्ताव स्वीकार करना राजनीतिक आत्महत्या के समान था।

उदाहरण स्वरूप केरल की ताजी राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। काँग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उसे सत्ता मिल जाये। वहाँ वामपंथी का शासनकाल ही इतना बुरा था कि उसने जनता के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। पुरानी राज्य सरकारों ने जमीनी वास्तविकताओं से मुँह फेरने का मूल्य चुकाया।

तमिलनाडू में जनता ने वापस भ्रष्टाचारी जयललिता को सत्ता सौंप दिया, यद्यपि राजनीतिक विश्लेषक तमिलनाडू में वापस अम्मा के सत्ता में आने से आश्चर्यचकित है। वास्तविकता यह है कि डी.एम.के. सरकार सस्ते कृषि उत्पादों के आयात एवं विश्व व्यापार संघ की नीतियों के कारण जनता को होने वाली हानि एवं बढ़ती बेरोजगारी की दर्शक बनी रही जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। जब करुणानिधि अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने में लगे रहे। हजारों छोटे स्तर के बुनकर बेकार होते गये और बहुतों ने आत्महत्या कर लिया। चाय एवं कॉफी के उत्पादन पर भी सस्ते आयातों के कारण बहुत उलटा प्रभाव पड़ा जो लोगों को विश्वासघात की तरह

लगा। इन्हीं वास्तविकताओं ने बादल एवं नायडू को चेताया। वे समझ गये कि विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के बिना सोचे समझे समर्थन से उनके दिन भी गिनती के रह जायेगे। वर्तमान खाद्य प्रबन्धन व्यवस्था (जो कितनी भी अक्षम हो) में किसी भी तरह के परिवर्तन से इसका सीधा घातक प्रभाव किसानों एवं उपभोक्तों पर पड़ेगा। यह निश्चित रूप से भूख एवं कुपोषण को बढ़ावा देगा। एक कल्याणकारी राज्य में जनता को अन्न उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। यह भी सरकार की ही जिम्मेवारी है कि कृषि क्षेत्र को प्रश्रय मिले।

भारत में हरित क्रान्ति के दौरान अकाल से मुक्ति के लिये समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्नों की खरीद की दोहरी व्यवस्था शुरू की गयी। अर्थशास्त्री इसे पसन्द करें या न करें इन्हीं व्यवस्था ने भारत को उसके अँधरे दिनों से निकलने में मदद की और विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाएँ इन नीतियों के विरोध में क्यों हैं। इसका उत्तर बहुत साधारण है। भारत की जन वितरण व्यवस्था अमेरिका और यूरोप के अन्न व्यापार की राह में रोड़ा है। और अगर अमेरिका भारत जैसे विशाल अन्न बाजार जहाँ दुनिया की ढ़्वाँ हिस्सा आबादी रहती है पर कब्जा नहीं कर पाया तो उसकी अपनी कृषि व्यवस्था तथा उनके द्वारा दी जा रही केन्द्रीय सब्सिडी के बोझ से ही नष्ट हो जायेगी।

दुर्भाग्य से अमेरिका को अपने आर्थिक हित पता हैं। भारत सरकार भी अमेरिकी आर्थिक हितों को जानती है। दुःख तो यह है कि अमेरिका किसानों के हितों की रक्षा में लगा है और यह एक गंभीर संकट हैं।



भविष्य की ऊर्जा : सौर ऊर्जा

आज धनतंत्रों के उदय ने राष्ट्र संभुता को उसके व्यापारिक हितों से जोड़ दिया है। व्यापार उद्योगों से जुड़े हैं और उद्योग ऊर्जा से चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के वर्तमान स्रोत मूलतः जीवाश्म ईंधन हैं जिनका योगदान देश के विदेशी कर्जे में सबसे बड़ा है तब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले स्रोतों की खोज आवश्यक है।

आज धनतंत्रों के उदय ने राष्ट्र संभुता को उसके व्यापारिक हितों से जोड़ दिया है। व्यापार उद्योगों से जुड़े हैं और उद्योग ऊर्जा से चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के वर्तमान स्रोत मूलतः जीवाश्म ईंधन हैं जिनका योगदान देश के विदेशी कर्जे में सबसे बड़ा है तब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले स्रोतों की खोज आवश्यक है। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ करोड़ों लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं आम लोगों तक ऊर्जा पहुँचाने की तकनीक का विकास आवश्यक है। इस विकास में सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

भारत की पृथ्वी पर अवस्थिति ऐसे क्षेत्र में है जहाँ सालों भर सूर्य की रश्मियाँ उपलब्ध रहती हैं। सूर्य की रश्मियों से उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग कई कार्यों में हो सकता है जैसे - विद्युत उत्पादन में, भोजन पकाने में इत्यादि।

सौर ऊर्जा का उपयोग ईसा पूर्व में भी होता था। यह माना जाता है कि ग्रीक परावर्तन के द्वारा सूर्य किरणों से आग लगाने का कार्य करते थे। ईसा पूर्व २१२ में आर्किमिडिज ने परावर्तक सतहों के माध्यम से सूर्य किरणों का उपयोग कर

रोमन नावों को जला दिया था।

यह सौर ऊर्जा सूर्य की अवरक्त किरणों में होती है। सूर्य की इस ऊर्जा का उपभोग इसकी उष्मा को एकत्रित कर या सीधे विद्युत में बदल कर की जा सकती है।

सौर ऊर्जा की उष्मा को एकत्रित करने के लिए सोलर हीटिंग यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसे फ्लैट प्लेट संग्राहक कहते हैं। यह संग्रहण ब्लैक बाडी के सिद्धांत पर है। काली वस्तुएँ उष्मा की सबसे अच्छी संग्राहक एवं अवशोषक होती हैं। इस संग्राहक यंत्र में एक डिब्बा होता है आंतरिक भाग काला रहता है। काला भाग ऊपर से एक शीशे की पारदर्शक सतह से ढंका होता है। इस यंत्र को धूप में रखने पर दर्पण से परावर्तित होकर अवरक्त एवं दृश्य दोनों तरह की किरणें शीशे की सतह को पार कर काले भाग पर पड़ती हैं जिससे थोड़े समय बाद काला भाग गरम हो जाता है। परिणामस्वरूप यह सतह अवरक्त विकिरण के रूप में उष्मा विकसित करती है। लेकिन शीशे की सतह से ढंके होने के कारण यह उष्मा बाहर नहीं जा पाती क्योंकि शीशा उच्च तरंग दैर्घ्य वाली अवरक्त विकिरणों को

■ धीप्रज्ञ द्विवेदी

आरपार नहीं जाने देता। इस प्रकार की सतह की उष्मा डिब्बे में ही रह जाती है। इस तरह के सोलर हीटिंग यंत्रों का उपयोग सौर कूकर में किया जाता है। इस तरह कूकर को बॉक्स टाइप सोलर कूकर कहते हैं। इसमें तापमान दो तीन घंटे १०० से १४०°C तक जा सकता है। इस तरह के सोलर कूकर का उपयोग भी आँच पर पकने वाले भोजन के लिए किया जाता है। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए परावर्तक सतह भी लगा सकते हैं।

इसी सोलर कूकर में थोड़ा बदलाव कर पानी गर्म करने के लिए यंत्र बना जा सकता है। इसमें काली सतह को काले रंग से रंगी हुयी ताँबे की नलियों से बना जाएगा। इस नली का एक मुँह यंत्र के स्रोत से जुड़ा होता है जबकि दूसरा मुँह नली से।

एक दूसरी तरह का भी सोलर हीटर होता है जिसमें सूर्य की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित कर उष्मा उत्पन्न की जाती है। इसमें गोलाकार या परवलयिक दर्पण का उपयोग होता है। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरणें उसके फोकस पर केंद्रित हो जाती हैं। इस उष्मा का उपयोग फोकस पर उपयुक्त बर्तन रख कर भोजन पकाने में किया जाता है। बॉक्स टाइप हीटिंग यंत्र की तुलना में इसमें उष्मा की मात्रा अधिक होती है। अतः इस तरह के परावर्तक हीटरो में बहुत अधिक गर्मी आसानी से उपलब्ध होती है। इसमें भोजन एवं पकाना दोनों हो सकता है।

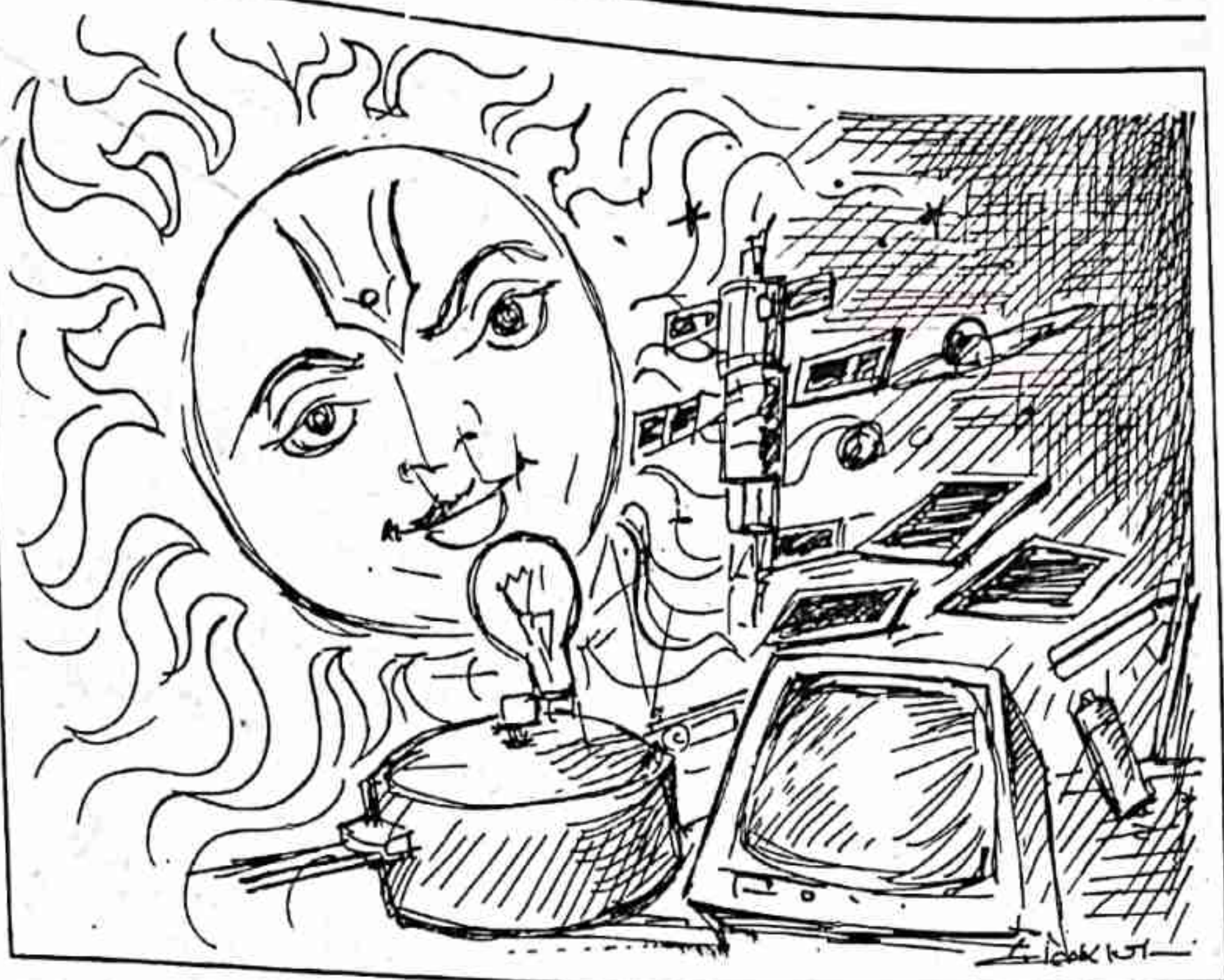
इस परावर्तक हीटर की उष्मा को

भी किया जा सकता है। इसके पानी से भरा बर्तन फोकस पर होता है। उष्मा का अवशोषण बर्तन की भाग को काला कर बढ़ाया जा है। इसी ढंग से वाष्प पैदा कर उत्पादन भी किया जा सकता है। सभी तरह के सोलर हीटरो में एक छोटी कमी थी कि इन्हें लगातार एक रखकर सूर्य के किरणों के सामने जा जा सकता। बाद में उन्हें सूर्य की सापेक्ष घूमने वाला बनाकर इस को दूर किया गया।

फ्रांस के माउण्ट लूइस पर ३,५०० कि० की सहायता से ३०००°C तक एक ही स्थान पर सूर्य किरणों का त कर किया जा रहा है।

भारत में भी इस क्षेत्र में कार्य हुए हैं। विश्व का पहला राष्ट्र था जहाँ २ में ही व्यावसायिक स्तर पर सोलर को उत्पादन प्रारंभ हुआ। आज तो वाटर हीटर और सोलर कूकर भ्र होटलो, अस्पतालों और व्यावसायिक लों पर सामान्य चीज हैं। कई सौर ऊर्जा लों की स्थापना भी सौर ऊर्जा के दोहन लिए की गई है।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन सोलर लो के द्वारा किया जाता है लगभग सौ पहले यह खोज की गई कि सेलेनियम पतले परत से सूर्य किरणों के आयतन विद्युत ऊर्जा मिलती है। यह पाया गया कि सेलेनियम के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कुल आपतित ऊर्जा का ०.६% ही होता है। फिर इसकी क्षमता अत्यंत कम थी अतः इसका व्यावसायिक या व्यावहारिक उपयोग नों किया गया। पहला प्रायोगिक सोलर सेल १९५४ में बनाया गया। इस सेल में कुल सौर ऊर्जा का १% विद्युत में बदलता था जबकि इससे ज्यादा क्षमता का उपयोग सेमीकण्डक्टरों के उपयोग से शुरू हुई।



अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए सोलर सेलो की आवश्यकता ने भी इसके विकास को प्रभावित किया।

आधुनिक सेलेनियम की ऊर्जा उत्पादन क्षमता २५% तक होती है जबकि सेमीकण्डक्टरों से बने सेलों की क्षमता १० से १५% तक होती है। वर्तमान में सोलर सेल सिलिकन एवं गैलियम का बनता है। अर्द्धचालक (सेमीकण्डक्टर) वैसे चालक होते हैं जो सामान्य तौर पर विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते अर्थात् वे अच्छे चालक नहीं होते हैं। लेकिन कुचालकों के विपरीत उनसे थोड़ी मात्रा में

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन सोलर सेलो के द्वारा किया जाता है लगभग सौ वर्ष पहले यह खोज की गई कि सेलेनियम के पतले परत से सूर्य किरणों के आयतन से विद्युत ऊर्जा मिलती है। यह पाया गया कि सेलेनियम के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कुल आयतित ऊर्जा का ०.६% ही होता है।

धारा प्रवाहित होती है। उनमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाने पर उनकी चालकता बढ़ जाती है, साथ ही अर्द्धचालको की चालकता उन पर सूर्य की किरणों के पड़ने से भी बढ़ती है सोलर सेलों में अर्द्धचालको के छोटे (सामान्यतः बहुत पतले) टुकड़ों को इस तरह से लगाया जाता है कि सूर्य के किरणों के पड़ने पर उनमें मौजूद अशुद्धियों के कारण दो टुकड़ों के बीच विभवान्तर उत्पन्न हो जिससे उनमें विद्युत का प्रवाह होने लगे। एक सेल जो ४cm² क्षेत्रफल का होता है, के द्वारा ६०mA की ०.४ से ०.५V की धाराए उत्पन्न होती है। आवश्यकता के आधार पर सोलर सेलो का उपयोग कर सोलर पैनल बनाए जाते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में विद्युत उत्पादन होता है। ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में सोलर सेल बहुत उपयोगी है। सभी कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष यान मुख्यतः ऊर्जा के लिए सोलर सेलो पर आश्रित होते हैं। भारत में रेडियो, टीवी, घरेलू उपयोग, टेलीफोन इत्यादि में सोलर सेलों द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग हो रहा है।

सौर ऊर्जा के वृहद उपयोग से पेट्रो उत्पादनों पर हमारी निर्भरता कम होगी प्रदूषण भी नहीं होगा। क्योंकि ये पूर्णतः प्रदूषण मुक्त होते हैं।

विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे अमीर कंपनियों का एकाधिकार कायम हो सके। आज इन्हें बौद्धिक संपदा प्रणाली कहा जा रहा है जिसमें पेटेंट कॉपीराइट और ट्रेडमार्क आते हैं...



गुलामी के पथ पर बढ़ते भारत की प्राकृतिक संपदा

■ मुकुन्द कुमार

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ प्राकृतिक संपदा का अकूत भंडार है। लेकिन आज सरकार की गलत नीतियों के कारण कुछ दूसरे देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजरों में भारत एक खजाना भी है और बाजार भी। सदियों से इस खजाने को दूसरे देश लूट रहे हैं चाहे वे मुगल हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज या वर्तमान में कुछ पश्चिमी देश। इस लूटमार के चक्कर में यह श्रीराम और कृष्ण का देश हमेशा गुलाम बनता रहा है। अब इक्कीसवीं सदी में यहाँ की प्राकृतिक संसाधन और बाजार की लूट रुक नए और निराले ढंग से हो रही है।

विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने

के बाद ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे अमीर कंपनियों का एकाधिकार कायम हो सके। आज इन्हें बौद्धिक संपदा प्रणाली कहा जा रहा है जिसमें पेटेंट कॉपीराइट और ट्रेडमार्क आते हैं। इस कानून के द्वारा पेटेंट मालिक का एकाधिकार कायम किया जा रहा है यानि भारत का एक हिस्सा हवाले किया जा रहा है। जैसे दवाओं का मामला है, इसमें दवा निर्माताओं को पूरा अधिकार देने का वादा किया गया है, यही वजह है कि भारत ने अपने पेटेंट अधिनियम १९७० को १९९९-२००० में दो संशोधनों के साथ बदल दिया है। संसद के मानसून सत्र में पेश होने वाले राष्ट्रीय दवा नीति से बड़ी कंपनियों को फायदा होगा, नयी दवाओं के दाम बढ़ जाएंगे,

यानि हमारी सरकार आम जनता को महंगे दवाओं का तोहफा देने जा रही है।

इस नयी दवा नीति में मूल्य नियंत्रण के दायरे में आने वाली दवाओं की संख्या में कमी की जा रही है। मौजूदा समय में मूल्य नियंत्रण के तहत आने वाली ७४ दवाएँ हैं लेकिन अब नए नियमों के कारण लगभग ३३ दवाएँ इस दायरे से बाहर हो जाएँगी। पिछली दवा नीति (१९९५) में ऐसी ७६ जीवन रक्षक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में रखा गया जो सर्वाधिक बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं, और इन दवाओं का थोक सलाहना करोड़ों रुपया था। बाद में दो दवाओं को इस दायरे से निकाल दिया गया था और मौजूदा समय में मूल्य नियंत्रण के

७४ दवाएँ हैं। मूल दवाएँ करीब १०० करोड़ से चालीस प्रतिशत और इसमें से चालीस प्रतिशत मूल्य नियंत्रण के दायरे में है नयी नीति के अनुसार अगर किसी दवा का थोक बिक्री २० करोड़ है और निर्माण पाँच निर्माताओं द्वारा किया है और इन निर्माताओं की पचास की भागीदारी भी बाजार में है तो मूल्य नियंत्रण में रखे जाने की जरूरत है। ठीक इसके विपरीत अगर इन के निर्माता पाँच से अधिक होते हैं उनका बाजार पर पचास फीसदी नहीं होता है तो उन्हें मूल्य नियंत्रण में नहीं आना चाहिए। ऐसी पन्द्रह दवाएँ अभी नियंत्रण के तहत आती हैं जिनके ३० निर्माता हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार इस नियम के नयी नीति में कुछ ऐसी दवाएँ मूल्य नियंत्रण के दायरे में आ सकती हैं जिनका थोक बिक्री २० करोड़ तो है मगर हो सकता है कि वह उतनी जरूरी नहीं हो, जितनी जरूरी दवाएँ इस से बाहर हो जाएँगी। दूसरे जिन दवाओं को मूल्य नियंत्रण से बाहर किया गया है, उनके दाम आसमान छूने लगेंगे जो गरीब जनता के हित में नहीं हैं। गौरतलब है कि मौजूदा समय में बाजार में एक ही फार्मूले की अलग-अलग नकल वाली दवाओं की भरमार है, जिनके दाम पाँच पचास से लेकर सौ प्रतिशत तक अंतर है। नयी नीति में दवाओं को मूल्य नियंत्रण से हटाने के पीछे दो तर्क दिए जा रहे हैं, एक आयात को उदार बनाना और दूसरे प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए दवाओं की कीमतें स्वतः ही कम हो जाएँगी। मंत्रालय के ये दोनों तर्क दमदार नहीं हैं, क्योंकि देश में ड्रग उत्पादन पर्याप्त है और भारतीय कंपनियाँ विदेशों में भी दवा कारोबार फैला रही हैं, इसलिए दवाओं को उदार बनाने की कोशिश सिर्फ

विदेशी दवा कंपनियों को न्यौता देने का प्रयास है और ये विदेशी कंपनियाँ देश की छोटी दवा कंपनियों को निगल जाएँगी।

प्रतिस्पर्धा के कारण दवा मूल्यों में स्वतः गिरावट आने का तर्क भी यहाँ सटीक नहीं बैठ रहा है क्योंकि दवा की जानकारी आम लोगों को कम ही होती है मरीज दवा सिर्फ डॉक्टर या केमिस्ट की सलाह पर खरीदता है और ये दोनों बड़ी कंपनियों के शिकंजे में हैं। यह डॉक्टर के ऊपर निर्भर है कि वह मरीज को सस्ती दवा लिखे या महँगी, अगर डॉक्टर सस्ती दवा लिखता भी है तो केमिस्ट उसी फार्मूले की महँगी दवा देने की कोशिश करेगा।

इस तरह प्रतिस्पर्धा से कीमतें कम होने का फायदा आम लोगों को तभी मिल सकता है जब डॉक्टर, केमिस्ट और दवा कंपनियों के विपणन नीति के मकड़जाल पर सरकार अंकुश लगा सके।

इन बड़ी कंपनियों की निगाहें दवाओं के साथ-साथ हमारी समृद्ध जैव विविधता और किसानों के बीज पर भी है। इसी को देखते हुए भारत ने पौधों की किस्म संबंधी विधेयक जो साहिब सिंह संयुक्त समिति के पास है, लाने का फैसला किया है। यह विधेयक कई किस्म के पौधों और बीजों के लिए नए तरह का संपदा अधिकार कायम करेगा। बीज किसानों की जीवन रेखा है किसान अपने बीजों का इस्तेमाल करते हैं और बचे हुए को बाजार में बेच आते हैं, लेकिन अब बीज बनाने वाली बड़ी कंपनियाँ दावा करेंगी कि सारे नए बीज उनके हैं किसानों को मजबूरन उनसे बीज खरीदना होगा। कुछ दिनों बाद शायद ये मुमकिन हो जाए कि ये बीज कंपनियाँ हमारे कृषि को नियंत्रित करने लगेंगी। साहिब सिंह समिति को इस सबकी जानकारी है, वह परेशान है और नहीं

चाहते की किसानों के वोट उनसे छिटक जाएँ, इसलिए उन्होंने विधेयक में किसानों के अधिकार को भी जोड़ा है। अब यह पौधों की किस्म संबंधी और किसान अधिकार संरक्षण विधेयक १९९९ हो गया है। लेकिन नया विधेयक क्या किसानों को बचा पाएगा?

दरअसल बीज तो प्रकृति की देन है, प्रभु का प्रसाद है, मनुष्य उसे सुधार सकता है, लेकिन प्रकृति की देन को लालची बीज कंपनियों के नाम कैसे किया जा सकता है। हमारा मानना है कि विधेयक को किसानों के लिहाज से तैयार करना चाहिए। साहिब सिंह समिति ने एकाधिकार सौंपने की तैयारी की है। असल में उन्होंने ताकतवर बीज कंपनियों को भारत का एक हिस्सा दे दिया है, यह खतरनाक भी है और गैर जरूरी भी।

यही नहीं, जैव-विविधता विधेयक भी आने की तैयारी में है। इस विधेयक में संपदा अधिकार और एकाधिकार को स्थापित नहीं किया जाएगा, इसकी जगह विदेशी कंपनियाँ और लोगों को हिस्सेदारी दी जाएगी एक तरह से इस विधेयक के माध्यम से लूट का न्यौता दिया जा रहा है, विधि आयोग ने भी अपनी १७१वीं रिपोर्ट में इस पर चिंता जतायी है। इन विधेयकों के जरिए हम विदेशी कंपनियों को अपनी खेती बाड़ी पर कब्जा दे रहे हैं, उन्हें बीज बाजार सौंप रहे हैं, अपने संसाधनों को लूट के लिए खोल रहे हैं। यही तो पश्चिमी देशों ने १९४७ तक हमारे साथ किया था, ५४ साल बाद हम फिर विदेशी कंपनियों को भारत के प्राकृतिक संसाधन पर कब्जे का निमंत्रण दे रहे हैं। क्या हमारी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को भूल गयी है? क्या हमें आर्थिक स्वतंत्रता के लिए फिर से लड़ना होगा, इस पर सरकार और आम जनता विचार करे और एक खुशहाल भारत बनाए।

संस्कृति का शक्ति-स्रोत

मध्यकालीन आक्रांताओं की पराधीनता से क्षीण हुए भारत की व्यवस्था को समूल नष्ट करने वाले उपकरणों की खोज में अंग्रेजों ने काफी परिश्रम किया था। फिर भी उनके दुष्प्रयासों को नाकाम करनेवाले भारत के बौद्धिक-योद्धाओं ने जमकर लोहा लिया था। अंग्रेज जिस दिशा में विध्वंस के षड्यंत्र करते थे, भारत के बौद्धिक-योद्धा उस दिशा में मोर्चा खोल खड़े हो जाते थे।

■ डॉ. प्रमोदकुमार दुबे

अपने हिंसे का देश पाकिस्तान नाम से दो टुकड़ों में ले लिया। राजसत्ता स्थापित हो जाने के बाद भी इस देश का इस्लामी उपकरणों की खोज में अंग्रेजों ने काफी परिश्रम किया था। फिर भी उनके दुष्प्रयासों को नाकाम करने वाले भारत के बौद्धिक-योद्धाओं ने जमकर लोहा लिया था। अंग्रेज जिस दिशा में विध्वंस के षड्यंत्र करते थे, भारत के बौद्धिक-योद्धा उस दिशा में मोर्चा खोल खड़े हो जाते थे।



भारत की संस्कृति का शक्ति-स्रोत कहाँ है? इसके स्वरूप को निर्मित करने वाली अंतर्भूत शक्ति कैसी है? यह एक है या अनेक है? विदेशियों ने बताया कि भारत में अनेक संस्कृतियाँ हैं, उनमें बड़ा भारी अंतर है, किसी से किसी का कोई तालमेल नहीं है। दक्षिण और उत्तर भारत की संस्कृतियाँ बिल्कुल अलग-अलग हैं। उन्होंने दर्जनों अंतर गिनाए। हमने भी दर्जनों अंतर गिने।

राज्य के लिए क्षेत्रवाद का आग्रह, जातियों का समीकरण, भाषा और संस्कृति के द्वंद्व आवश्यक होते हैं। स्वतंत्र भारत की जनतांत्रिक राज्य व्यवस्था के लिए ये उपकरण जरूरी थे। इन्हें स्वाभाविक रूप में सभी ने अपनाया। आंचलिक संस्कृतियों का भेद भिन्नता के नाम पर पाक-साफ ईमानवाले लोगों ने स्वतंत्रता मिलने के साथ ही

जेहाद दारुल इस्लाम के लिए जारी है और दूसरी ओर भारत एक धर्म निरपेक्ष राजनीतिक चरित्र में लगभग उन्हीं उपकरणों को सार्थक मानकर आगे बढ़ता जा रहा है, जिन्हें कभी अंग्रेज बहादुरों ने बनाया था। अंग्रेज बहादुरों को भारत से क्या मतलब, उन्हें आर्थिक शोषण के लिए इस देश को उपनिवेश बनाना था। उन्होंने इसके अभ्युदय की प्रेरक चितिशक्ति के बोध को हर क्षेत्र से नष्ट किया।

मध्यकालीन आक्रांताओं की पराधीनता से क्षीण हुए भारत की व्यवस्था को समूल नष्ट करने वाले

के बौद्धिक-योद्धाओं ने जमकर लोहा लिया था। अंग्रेज जिस दिशा में विध्वंस के षड्यंत्र करते थे, भारत के बौद्धिक-योद्धा उस दिशा में मोर्चा खोल खड़े हो जाते थे। शिक्षा-संस्कृति धर्म के विविध क्षेत्रों में जो बौद्धिक लड़ाईयाँ हुईं, उनके उपेक्षित साक्ष्य आज भी देखे जा सकते हैं। लेकिन जब स्वतंत्र भारत के कर्णधारों ने निराश किया, देशी चेहरों के अंग्रेजों ने अंग्रेजों के उपकरणों से दैशिक-रक्षा की शक्तियों को मारा, तब दुहरी पीड़ा से राष्ट्र भक्त मन टूटने लगा। इसी क्रम में आज की राजनीति ने स्वयं को एकमेव सर्वोच्च शक्ति मान लिया

ने भाषणों-वक्तव्यों, विकास कानूनों और सैन्यबल पर राजनीति नहीं जानती अथवा चाहती कि भारत का अपना भूगोल भी है। इसका अमूर्त कतना समृद्ध और सामर्थ्यवान शक्ति करके राष्ट्र की सुरक्षा को जा सकता है।

की राष्ट्रीयता केवल राजशक्ति प्रश्रय से पोषित होने वाली निहित नहीं है। यह भारत की शक्ति की राष्ट्रव्यापी शक्ति में है। यह राजनीति से शक्ति है। इसके से मृयमाण राजशक्ति हो उठती है। इस साम्राज्य के निर्माण वर्ष तक करोड़ों लोगों और तपस्या लगी है। बौद्धिक साम्राज्य एक ज्ञा निर्मित है। हमारे ही सुदृढ़ संस्था के है। आज जब इसके टुकड़े ज्ञान विदेशों में न समझे जाने लगे हैं हरो के अंग्रेजों को भी

कुछ-कुछ व्यवसायिक उपयोगिता में आ रही है। आज के श्रमिकों के बीच नवीन-सृजन दृष्टि से मूल संस्कृति के शक्ति-स्रोत को न्याय आवश्यक है।

इस विषय के विवेचन के लिए जाना-पहचाना पौराणिक आख्यान रीति। दक्ष प्रजापति ने एक विराट यज्ञ किया। कहाँ? कनरवल, हरिद्वार दक्ष ने सभी देवी-देवताओं को ज्ञात किया, सभी ऋषि-मुनियों को भी भेजा, लेकिन शिव और उनके शेर के किसी सदस्य को पूछा तक

नहीं। जबकि महादेव शिव से दक्ष की पुत्री सती ब्याही हुई थीं। उस यज्ञ में सभी दिशाओं से अपनी-अपनी सवारी पर चढ़कर देवी-देवताओं के समूह जा रहे थे। जब सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सभी जन जा रहे हैं, उन्होंने पति से कहा, 'हमें भी चलना चाहिए।' पति ने मना कर दिया, 'कैसे जाएँगे, जब कोई न्योता नहीं है। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, अनादर होता है।' पर, सती ने तर्क दिया 'माता-पिता के घर जाने में न्योता की क्या आवश्यकता। इतने बड़े



यज्ञ के आयोजन में मेरे पिता भूल गए होंगे।' शिव ने सती को दुबारा मना किया। सती ने उनकी बात काटी, जिसे माता-पिता हो ही नहीं, जो स्वतः और स्वयंभू हो, वह क्या जाने कि माता-पिता का लाड़-दुलार होता क्या है। शिव की बातों को किनारे रख सती दक्ष के घर पहुँची। उन्हें देख दक्ष ने मुँह फेर लिया। पिता की उपेक्षा सहकर सती अपनी माता के पास पहुँची। माता ने भी उपेक्षा की। सती पीड़ा से भर गई। इसके बाद उन्होंने देखना चाहा, क्या इस विराट यज्ञ में शिव के लिए कहीं कोई स्थान है? उन्हें निराशा हाथ लगी। दक्ष के यज्ञ में विचार

और संकल्प के किसी स्तर पर भी शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई। पति की अवज्ञा का दुख और माता-पिता की उपेक्षा की चोट ने उन्हें कहीं का नहीं रहने दिया। तब सती ने योगाग्नि से अपने जीवन का अंत कर लिया।

कैलास पर ध्यानस्थ बैठे शिव ने सारी घटनाएँ देखी। सती का अंत उन्हें असह्य हो गया। उनका रौद्र रूप हुँकार उठा। उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर देने के लिए अपने गणों को भेजा। दक्ष की गर्दन काट डाली गई। सभी सहभागी भाग खड़े हुए। योगाग्नि से जली सती का निष्प्राण शरीर अपने कंधे पर रख बावले हुए महादेव दसों दिशाओं में भटकने लगे। पिता और पति के द्वंद्व में, सामर्थ्य और सदलक्ष्य के मध्य उत्पन्न हुई विषमता के कुण्ड में स्वयं को विसर्जित कर देने वाली सती की आसक्ति से शिव मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तब विष्णु ने शिव को विगत प्रसंगों से मुक्त करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया।

विष्णु के चक्र से निष्प्राण सती का एक-एक अंग कटकर धरती पर गिरने लगे।

आसेतु-हिमाचल भारतवर्ष के सभी अंचलों में एक-एक अंग गिरे। इन अंगों के गिरने से एक-एक मातृका वर्णों की ध्वनियाँ गूँजती थी। योगिनी हृदय, ज्ञानार्णव आदि तंत्र ग्रंथों के अनुसार सती की दग्ध काया इक्यावन प्रमुख खंडों में कटी। इन अंगों के गिरने से 'अ' से लेकर 'क्ष' तक के वर्णाक्षरों की ध्वनियाँ हुई। 'शिव चरित्र' नामक ग्रंथ भी यही स्वीकार करता है। पर, तंत्र चुडामणि नामक ग्रंथ बावन खंडों में सती के

निष्प्राण शरीर के कटने की चर्चा करता है, और देवीभागवत में एक सौ आठ खंडों के विभाजन की बात उठी है। यह विवाद का विषय नहीं बनता, वैचारिक भेद से वास्तविकता खंडित नहीं होती। अंग-प्रत्यंग के भेद से अर्थात् करतल और अंगुलियाँ, अंगुलियों के साथ अंगूठी इस प्रकार के भेद-प्रभेद से संख्या में विस्तार संभव है। जहाँ-जहाँ ये अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठें बनीं। इनके अंगांगी भेद से उपपीठें भी स्थापित हुईं। लेकिन, वर्णाक्षरों के आधार पर प्रधान शक्तिपीठों की निश्चित संख्या ही मान्य है।

ये शक्ति पीठें अखंड भारतवर्ष की अंतर्भूत शक्ति और स्वरूप का साक्षात्कार कराती हैं। ये शक्ति पीठें काश्मीर के अमरनाथ की हिमशक्ति पीठ से लेकर कन्याकुमारी और श्रीलंका तक, हिंलाज, बलूचिस्तान से लेकर गुह्येश्वरी, नेपाल और चटगाँव, बंगलादेश तक विस्तृत भारत के सांस्कृतिक भूगोल का निर्धारण कराती हैं।

कितनी अद्भुत है यह संस्कृति धारणा केवल एक मूल प्रकृति से भारत की सभी आँचलिक प्रकृतियाँ निकली, केवल एक मूल संस्कृति से सभी आँचलिक संस्कृतियाँ निकली, एक ही मूल वर्णाक्षरों से भी भाषाओं-बोलियों का जन्म हुआ। सभी भाषाओं और आँचलिक संस्कृतियों को इक्यावन वर्णाक्षरों से अभिव्यक्त होती मानना एक अभिन्न से विभिन्न के सम्बंध को निर्धारित करना है। एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर पौराणिक आख्यान बना सकता है लेकिन एक व्यक्ति भारत भूमि के दुर्गम स्थानों पर चारों ओर शक्ति पीठें नहीं बना सकता। एक चित्त

के, एक ही मन और विचार के अनेक व्यक्तियों के प्रयासों से इन शक्ति पीठों की स्थापनाएँ हुई होंगी। भारत के सभी आँचलों के निवासियों ने इस कार्य में श्रद्धा-विश्वास रखा होगा। विशेषता तो यह भी है कि आँचलिक प्राकृतिक संसाधन और रुचियाँ के अनुसार अपनी-अपनी पूजा-पद्धतियाँ भी प्रचलित हैं। यह कार्य किसी एक साम्राज्य की शक्ति ने किया होता तो सभी स्थान पर एक समान पूजा-पद्धति प्रचलित होती।

आज के भारत में सिर्फ दैशिक ईश्वरीय मत मतान्तर नहीं है, जिनका

ऐतिहासिक पहचान में राष्ट्र-जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए देश और काल का बोध आवश्यक है। देश स्थिति है, सांत है, धरती है, तीर्थ है, यही सती है, पार्वती-प्रकृति है, काल गति है, अनंत है, इतिहास और पर्व है, यही शिव है, अक्षोभ पुरुष है। इन दोनों की संक्रांति से राष्ट्र-जीवन का मंगल बनता है, पर्व और उत्सव बनते हैं, संस्कृति बनती है। संस्कृति ही एक संपूर्ण सत्ता है।

आपसी सम्बंध तय करना आसान है। इस देश में ईसाई और इस्लाम की धाराएँ भी हैं, जिनकी जड़े बाहरी देशों से आकर जमीं हैं। सूफी साधकों के प्रेम प्रवाह और मुस्लिम आक्रांताओं के बल प्रयोग से धर्मांतरित हों अथवा ईसाई बने हिन्दू उनमें आँचलिक संस्कृतियों के रस का स्रोत अभी भी विद्यमान हैं। कई स्थानों पर धर्मान्तरित हुए लोग भी देव स्थानों को अपना मानते हैं। यह मान्यता शक्तिपीठों अथवा अन्य देवस्थानों द्वारा आँचलिक अस्मिताओं के निर्माण के कारण है। यही धारणा भारत की

संस्कृति का वास्तविक शक्ति-स्रोत धर्म निरपेक्षता इस मूलभूत स्रोत को राष्ट्र की अस्मिता से निरपेक्ष करके कमजोर बनाती है। राजनीति के चेहरे पर पड़ा धर्मनिरपेक्षता का आयातित मुखौटा संस्कृति की वास्तविक समझ से व्यर्थ होकर गिर सकता है। इसकी आवश्यकता विभेदों को दूर करने से पड़ती है, लेकिन यह विभेदों तक ढाल बन सकेगा, दिन प्रतिदिन की परिस्थिति बदलती जा रही है। विभेदों का उत्पात धर्मनिरपेक्षता से धमने वाला। राजनीतिक शक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा राष्ट्र की मूल प्रकृति निर्धारित कर सकती है।

यही महाकाल की र
है। इसीने आँचलिक अस्मि
को रचा है। यही समग्र र
सांस्कृतिक चेतना का नि
हो सकती है। देश और
की आधिदैविक सत्ता व
उक्त पौराणिक आख्या
बताया गया है। ऐतिहा
पहचान में राष्ट्र-जीवन
निरंतरता बनाए रखने के
देश और काल का
आवश्यक है। देश स्थिति है, स
धरती है, तीर्थ है, यही स
पार्वती-प्रकृति है, काल गति है, उ
इतिहास और पर्व है, यही सि
अक्षोभ पुरुष है। इन दोनों की सं
राष्ट्र-जीवन का मंगल बनता है, र
उत्सव बनते हैं, संस्कृति बन
संस्कृति ही एक संपूर्ण सत्ता है।
वर्हियोग की प्रक्रिया है। यह जो
इसमें समाहित करने की अदृष्ट
है। जब तक संस्कृति की
शिथिल पड़ी रहेगी, विभेदकारी
राष्ट्र जीवन को काटती रहेंगी।

और पर्व राष्ट्र को एकात्म-सूत्र का कार्य करते रहे हैं।

लेखित पौराणिक आख्यान में सृष्टि-यज्ञ शिव का सृष्टि-यज्ञ शिव

रहित है। दक्ष असीम क्षमता से भारी से भारी दक्षता और

हैं, यदि उसका उद्देश्य नहीं है। आज विज्ञान का

अंतरिक्ष भेदन की दक्षता रहा है। चारों ओर विध्वंसक

को अर्जित करने की होड़ लगी सी धारणा अंकुश हो सकती है

अर्जित करने के इन प्रयासों पर? विश्व कल्याण की

यह बौद्धिक विरासत भारत के पास है।

भारतीय संस्कृति की है। यह सबको

कती है। किसी का नहीं चाहती।

भारी संस्कृति की इसी ने विजातीय तत्वों को

दिया। जिस किसी ने संस्कृति से सम्बंध रखा,

थान प्राप्त हुआ। इस्लाम ने वाले सूफियों ने हमारे

तत्वों - संगीत, छंद, लोक त्यादि को अपने मत के प्रचार का

बनाया। उन्हें हमारी संस्कृति में मिला, लोक में उनकी प्रतिष्ठा

न्युनिस्ट विचार को भी देश में मिला जबकि उन्होंने संस्कृति के

अपने विजातीय विचारों के साथ किया। ये दोनों सहिष्णु चरित्र के

। इनका उद्देश्य अलग सांस्कृतिक को रचना करना और परंपरा की

गति को अवरुद्ध कर देना है। पर अपने वास्तविक रूप में वैसे

नहीं है जिसमें दूसरे विचारों को मिले। फिर भी उन्हें देश के

सर्वमत जनतंत्र में स्थान मिला है। यदि इनका एकक्षत्र अधिपत्य रहे तो उसमें दूसरे विचार नहीं रहेंगे। इसी प्रकार इस्लाम का चरित्र तालिबानी हुकुमत में प्रकट होने लगा है। इनके यहाँ भी सिर्फ इन्हीं के लिए प्रश्रय है, शेष के लिए नहीं।

हमारी सहिष्णुता का आधार महाकाल और मूल प्रकृति के बोध में है, शाश्वत काल की धारणा में है। पर हमें ध्यान रखना होगा कि शाश्वत की अवधारणा मानने का अर्थ काल के युगीन और क्षणिक वर्गों में होने वाले

हमारी संस्कृति की इसी सहिष्णुता ने विजातीय तत्वों को भी प्रश्रय दिया। जिस किसी ने हमारी संस्कृति से सम्बंध रखा, उसे स्थान प्राप्त हुआ। इस्लाम को मानने वाले सूफियों ने हमारे सांस्कृतिक तत्वों - संगीत, छंद, लोक कथा इत्यादि को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। उन्हें हमारी संस्कृति में स्थान मिला, लोक में उनकी प्रतिष्ठा हुई।

हस्तक्षेपों से विरत रहना नहीं है। राजनीतिक इतिहास में आक्रांताओं से युद्ध हुए, सांस्कृतिक मोर्चों पर भी विजातीय हस्तक्षेपों को मुँह तोड़ उत्तर मिला। सूफी प्रभाव में रचे प्रेम-कथानकों के साहित्य की आलोचना करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है - उन दिनों मधुमालती, मृगावती, हीर और राँझा, ढोला और मारु, सारंगा और सदावृक्ष आदि निजन्धरी नायक-नायिकाओं की प्रेम कहानियाँ आजकल के सस्ते ढंग के उपन्यासों का काम करती थीं। इस प्रेम संबंधी कहानियों को लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। सत्रहवीं शताब्दी के जैन

कवि बनारसीदास ने अपने आत्मचरित 'अर्द्ध कथानक' में लिखा है कि मधुमालती और मृगावती नामक पुस्तकों के पढ़ने का उन्हें ऐसा चस्का लगा था कि दुकान का सब काम-काज छोड़कर घर में ही बैठे रहते थे -

अब घर में बैठे रहे नाहिंन हाट बाजार।
मधुमालती मृगावती पोथी दोइ उपचार॥

इस विषय में लिखते हुए आचार्य द्विवेदी का पहला वाक्य है - 'गोस्वामी तुलसीदास जी के पहले लोकभाषा में प्रेम कथानकों का ऐसा साहित्य काफी संख्या में लिखा गया था, जिसके कथा

अंश का आधार लोक प्रचलित कथानक थे।' गोस्वामी जी की चौपाई -

'कीन्हें प्राकृत जन गुनगाना।
सिर धुनी गिरा लागि पछताना॥'

ऐसे ही प्राकृत चरित के विरुद्ध कहा गयी थी। अभिप्राय यह कि प्रेम कथानकों पर रचे साहित्य से जनमानस नीचे जा रहा था। उनसे वही दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा था जो सस्ते ढंग के उपन्यास पैदा करते हैं।

तुलसीदास जी की लोकप्रिय रचना श्रीरामचरित मानस ने इन अपसंस्कृतिकारी रचनाओं का सफाया कर संस्कारवान समाज-मानस का निर्माण किया। अंग्रेजों का समय हो या कम्युनिस्टों का समय इनके ध्वंसक प्रयासों के विरुद्ध वैचारिक लड़ाईयाँ हुई हैं, तभी हमारी शाश्वत संस्कृति की निरंतरता बनी हुई है। शाश्वत सांस्कृतिक अस्मिता मानकर केवल हाथ पर हाथ रख बैठ जाने से विनाश नहीं रुकेगा। हमें अपनी मंगलकारी संस्कृति को लोक और लोकतर के व्यष्टि और समष्टि स्तरों पर जागृत रखना होगा।

इन दिनों भी अनेक माध्यमों से कुवृत्तियों को प्रेषित करने वाले सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं, जिनके एक-एक आघात बहुत सोंचे-समझे ढंग से सामाजिक संरचना को तोड़ने के लिए, जीवन मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए, परंपरा, आस्था और राष्ट्रभक्ति को विनष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति को अपनाते हुए किए जा रहे हैं। ऐसे विषम समय में जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। जनमानस को प्रदूषित करने वाले आज के वातावरण में हमें राष्ट्र चिति की जागृति के सभी साधनों की ओर ध्यान देना होगा।

भारत के अंचल-अंचल में पूजित हो रहीं शक्ति पीठें चिति-शून्यता से जातियों की रक्षा करती हैं। जब किसी जाति की चिति अर्थात् निज की अस्मिता का विस्तृत बोध देने वाली मनोज्ञ समाप्त हो जाती है, वह जाति पराधीन बन जाती है। उसका पतन हो जाता है। देखा यह जाता है कि जब उन्नति का समय आता है, चिति शक्ति का उदय होता है। श्री बद्रीशाह तुलधरिया ने अपने दैशिक शास्त्र में लिखा है कि 'चिति से जागृत और एकीभूत हुई समष्टि की प्राकृतिक क्षत्रशक्ति अर्थात् अनिष्टों से रक्षा करने वाली शक्ति 'विराट' कही जाती है। यह विराट व्यक्तियों के हृदय में चिति के प्रकाश से ही जागृत होता है, चिति के अंतर्हित होने पर विराट का भी हास होता चला जाता है। यह विराट जाति रूपी शरीर का प्राण है।' दैशिक शास्त्र में चिति शक्ति से संपन्न जनजीवन को राष्ट्र का आधार माना गया है। चिति शक्ति का उदय भगवती प्रकृति के अधीन होता है। हमारे ऋषियों ने चिदशक्ति रूपा मूल प्रकृति को अपना आराध्य बनाया, आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना को जीवन का आधार

माना। यही आधार राष्ट्र के प्रत्येक अंचल में शक्ति पीठों के रूप में भारतवासियों को प्राप्त हुआ। इन्हीं शक्ति स्रोतों से जन-मन में आह्लाद प्रवाहित होता रहा है यही से उत्सवों के उल्लास फूटकर बहते रहे हैं। गीत-नृत्य कला-साहित्य में संस्कृति सृजित होती रही है। यही से चेतना की धाराएँ निकलकर राष्ट्र को प्राणवान बनती रही।

आद्य जगतगुरु शंकराचार्य ने भारतवर्ष को काश्मीर की हिमशक्ति पीठ नेपाल की गुह्येश्वरी शक्ति पीठ और कन्याकुमारी शक्ति पीठ की तीन बिन्दुओं से निर्मित होने वाले महात्रिकोण के रूप में देखा जिसके मध्य बिन्दु के रूप में काशी के बाबा विश्वनाथ महादेव शिव को माना। श्रीयंत्र के त्रिकोण के रूप में महाशक्ति

रूपा भारत माता का यह देश राष्ट्र की संस्कृति के शक्ति-स्रोत साक्षात्कार है। इसी प्रकार परमेश्वर के अभ्युदय की सिंहगर्जना करने वाले स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी खड़ा होकर स्वर्ण सिंहासनासने पर भारत माता का दर्शन पाया था। अरविन्द सहित अन्य राष्ट्र-भक्तों ने भी भारत के शक्ति स्वतंत्र मातृरूप में अनुभव किया।

भारत मातृभूमि है। आचार-विचार में मातृ प्रधान और समाज की मान्यता है तो कि यह शक्ति पीठों की भूमि है। प्रकृति मातृरूपा है। इसकी शिवाभिमुख है, कल्याणकारी है, इसकी संस्कृति भी मंगलकारी है।

हलचल

रक्षा क्षेत्र में निवेश नहीं होने दें

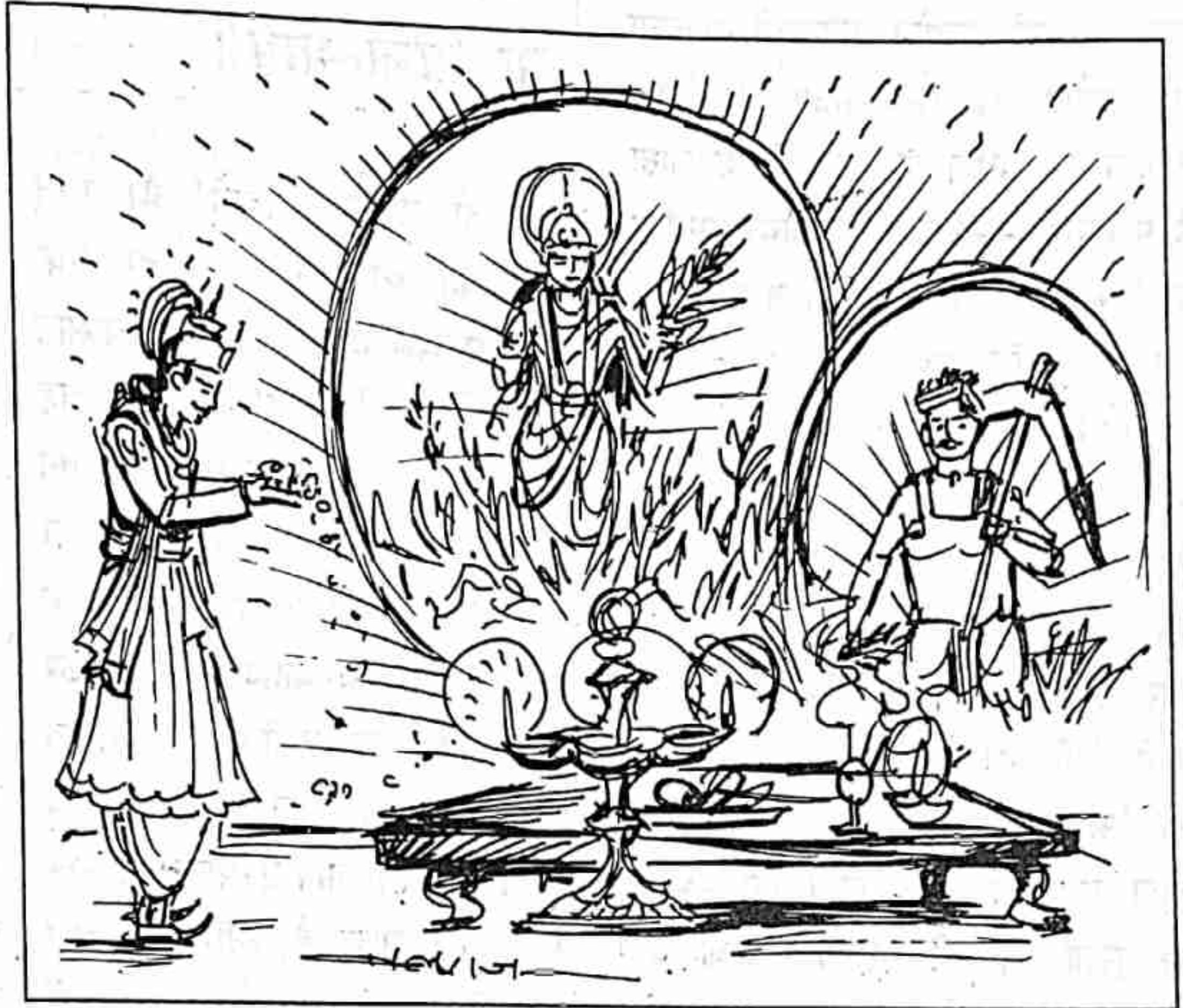
स्वदेशी जागरण मंच, भोपाल में प्रांत के संयोजक जगदीश गुप्त पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि मंच अब स्वदेशी लड़ाई में आरपार के मूड में है। चाहे सरकार हो या कोई भी राजनीति दल स्वदेशी और देशहित के मामले में किसी से कोई समझौता होगा। काँग्रेस समेत सभी दोमुँही नीतियों वाले दलों का विरोध जरूरी एक ओर मनमोहन सिंह उदारीकरण और आर्थिक सुधारों का खुल समर्थन करते आए हैं तो दूसरी ओर माधवराव सिंधिया और कां. अध्यक्ष सोनिया गाँधी केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध ज्ञापन दे रहे हैं। काँग्रेस अपनी आर्थिक नीति पर श्वेत पत्र जारी करे।

प्रांत संयोजक ने जोर देकर कहा कि स्वदेशी जागरण मंच किसी कीमत पर रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश नहीं होने देगा। यह आर्थिक सुधारों दूसरे चरण पर बातचीत का भी विरोध करेगा। उरुग्वे दौर के प्रथम चरण निर्णयों की समीक्षा हो और इसी संदर्भ में दूसरे चरण की वार्ता होनी चाहिए विकसित देश इसके लिए तैयार हों, विकासशील देश हानि सहते हुए रह सकते।

उच्चाटन

दी साहित्य के उत्कृष्ट ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय के निबंध 'उच्चाटन' में किसान का भारतीय परंपरा में स्थान, उसकी अर्थदृष्टि और नई व्यवस्था में दशा का चित्रण वर्णन है। इस निबंध के प्रारंभिक अंश छोड़कर शेष निबंध अपने पाठकों के लिए रखा जा रहा है. सं.

इसे लगता है कि सौंदर्य के लिए वैदिक शब्द 'श्री' सर्वाधिक सार्थक है; क्योंकि 'श्री' में सुंदरता ही नहीं बल्कि सौभाग्य और दूध-पूत की व्यंजकता का भी अंतर्भाव है। इन हरे-भरे को देखकर ही लगता है कि धरती व विश्वंभर देवता विष्णु की पत्नी इसका विश्वंभरा नाम सार्थक है। तो वैष्णव आचार्य वेदांत देशिक ने पुलकित कंठ से प्रार्थना की थी 'सर्व देवी सकल भुवन प्रार्थना धेनुः'। यह उक्ति सोने-चाँदी और की स्वामिनी, कठोर हृदया लक्ष्मी नहीं घटित होती। वह तो वस्तुतः निर्मल लाल साँझों की अतृप्त श्रम की यक्षिणी है। उसके फेर में पर नींद हराम है। वह वस्तुतः 'नयिका' है। 'सूर्मी' अर्थात् सूर्य, जिसे प्राचीनकाल के दंड के अनुसार आग में तप्त करके दे दिया जाता था और अपराधी उसे आलिंगन करना पड़ता था। सुख और स्वास्थ्य तो वह ही देती है, जिसका विकास वैशाखियों के अनुसार, भू-देवी से होता है। यह रुपए-पैसे वाली यक्षिणी तो मय, हताशा, त्राहि और तृषा को प्रदान करती है। ऐसी अवस्था में 'सर्व भुवन प्रार्थना कामधेनुः' का यह कैसे दिया जा सकता है।



यह धरती बड़ी सती है, बड़ी ही सच्ची। इमली बोओगे तो इमली देगी, आम बोओगे तो आम। वैसे अपनी भाषा में आम लगाया जाता है, बोया नहीं जाता। तो भी कबीरदास का भूत जब भाषा पर सवार होता है तो यह बो भी दिया जाता है। 'बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाया' यानी जैसा बोओ वैसा काटो। अर्थशास्त्र और राजनीति का इतिहास ही धरती की पवित्रता के साथ विश्वासघात का इतिहास है। धरती की शस्य-श्यामला सुंदरता किसान के परिश्रम का मधु पीकर जनमती और बढ़ती है। सूरज, मेघ और हवा के साथ किसान के हाथ जुड़ जाते हैं तो सारी दुनिया के लिए

दो कौर जुट पाता है। किसान पंच महाभूतों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर सृष्टि के लिए प्राण और रस की उपासना करता है। सूरज के हाथ, पवन के हाथ, मेघ के हाथ के साथ-साथ किसान के हाथ जुड़ जाते हैं, तब कहीं जाकर यह खेती संपन्न होती है। हमारी धरती पर खेती की दाग-बेल निषाद (मुंडा-कोल) नस्ल के लोगों द्वारा डाली गई। नदी तट पर जंगली घासों में धान का दाना आदिम निषाद के द्वारा ही पहले-पहल आविष्कृत हुआ था। परंतु कृषि सभ्यता को अपनी जातीय संस्कृति का आधार बनाया आर्य ने। 'आर्य' शब्द के मूल में 'हिंदी-यूरोपीय आर्य' धातु 'अर' है, जिसका अर्थ

होता है कर्षण। पुराने यूरोप में आर्य जाति के लिए 'वीरस' शब्द चलता था, जिसका अर्थ मृगया से जुड़ा है और संभवतः संस्कृत 'वीर' के मूल में भी यही शब्द है। निषादों की खेती नदी तट पर कुदालवाली खेती थी। यद्यपि आदिम हल के भी वही आविष्कारक हैं; परंतु 'कृषि' को अपनी सभ्यता का प्रगति-रथ आर्य ने उसी तरह बनाया जैसे आज के युग में भारी उद्योग पश्चिमी सभ्यता का प्रगति-रथ बना हुआ है। भारी उद्योगों का प्रवेश के माने ही हो जाते हैं पश्चिमी सभ्यता की विजय। आर्यत्व के विस्तार के पीछे भी दो तत्त्व थे — एक तो कृषि सभ्यता, दूसरी व्यापक सार्वभौम भाषा। यही कारण है कि आर्य सभ्यता में 'किसान' शब्द को बड़ा ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया। रामायण काल में प्रत्येक ऋषि और प्रत्येक राजा की अपनी निजी खेती होती थी। राजा की निजी सीरदारी को 'सीता-भूमि' कहते थे। रामायण काल में राजा की अपनी कृषि-भूमि की संज्ञा ही थी 'सीता'। राजा के आर्थिक जीवन में इस सीता-भूमि की श्री का महत्वपूर्ण स्थान था। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ हुआ 'राज-कृषि' या 'राजा-भूमि'। व्यक्तियों के नाम भाषा में चालू संज्ञाओं पर ही रखे जाते हैं। उस युग की एक प्रसिद्ध रानी का नाम 'सीता' इस संज्ञा के महत्व को व्यक्त करता है, जो विश्वप्रसिद्ध रघुपति रामचंद्र की पत्नी थीं। राजा का व्यक्तिगत जीवन धर्मपत्नी, श्रद्धा और सीता-भूमि — इन्हीं तीनों का आधार लेकर चलता था। महाभारत काल में भी यह विधान था कि जो कृषक नहीं, वह सभा का सभासद् नहीं हो सकता। वस्तुतः समाज में दैनिक चालू पाकयज्ञ का उत्सवी यजमान तो किसान ही है। शेष सारा

'किसान' शब्द को बड़ा ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया। रामायण काल में प्रत्येक ऋषि और प्रत्येक राजा की अपनी निजी खेती होती थी। राजा की निजी सीरदारी को 'सीता-भूमि' कहते थे। रामायण काल में राजा की अपनी कृषि-भूमि की संज्ञा ही थी 'सीता'। राजा के आर्थिक जीवन में इस सीता-भूमि की श्री का महत्वपूर्ण स्थान था। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ हुआ 'राज-कृषि' या 'राजा-भूमि'।

संसार तो उसका 'पवनी' है। परंतु मनुष्य की व्यवस्था के भीतर एक कपटाचार घुस आया और यह किसान 'दाता' होकर भी 'दास' बन गया। वह न केवल राजा और राजपुरुष गण का शिकार बना, न केवल सामंत-जमींदार ने ही उसका शोषण किया; बल्कि साधु-संत, बनिया-महाजन से लेकर 'श्रमिक' तक सब उसीको नोच रहे हैं और सबके शोषण का लक्ष्य एकमात्र किसान ही है। नौकरी-पेशावालों के पास संगठित शक्ति है, श्रमिक के हाथ में स्थायी 'वोट' बैंक है। अतः उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए क्या सत्ताधारी, क्या विरोधी — दोनों खेमों में होड़ लगी है; उन्हें शह देने की प्रतियोगिता मची हुई है कि कौन दल श्रमिक को फसल बोने वाले, फसल उगाने वाले किसान का शोषण करने के लिए अधिक-से-अधिक अवसर देने को कटिबद्ध है। अवश्य ही, सत्ताधारी और विरोधी दोनों व्यूह 'किसान' के नाम की शपथ ऊँचे स्वर में लेते हैं; परंतु ये सब भाषा के माध्यम से खेती जा रही कपटलीला मात्र है। अंग्रेजी जमाने में 'किसान' की शपथ खाते हुए उसका उसका राजनीतिक मंच जमींदार दखल किए रहा, तो आज वामपंथी

राजनीति के युग में उसका मंच मंच के हाथों में है। भारतीय वाम राजनीतिज्ञों के मन में चोर बैठा है। ऊपर से किसान-मजदूर की बातें कहे गए भी भीतर-भीतर किसान को स्वार्थ का धारक मानते हैं और मंच को प्रगतिशील चेतना का।

दुर्भाग्यवश संगठित कर्मचारी संगठित श्रमिक भी किसान के शोष की भूमिका में उतर चुके हैं। यह व सुनने में अटपटी लगती है। ऐसी कहना समय की हवा के खिलाफ बोलना है। एक ऐसा दबाव का वातावरण तैयार कर दिया गया है कि जिसे प्रतिदिन अनुभवलब्ध सत्य के रूप भोग रहे हैं, उसे सत्य कहने का साहस हमारे पास नहीं। चालू मुहावरे खिलाफ बोलने का अर्थ होगा 'कुण्ठ' बुद्धिजीवी घोषित होना। प्रेस और अ प्रचार-साधनों द्वारा कुछ शब्द, कुछ मुहावरे तथा कुछ मानदंड इस प्रकार आरोपित कर दिए गए हैं कि उन दाँएँ-बाएँ जाकर कुछ कहना, बोलना लिखना एक अक्षम्य बौद्धिक अपराध माना जाएगा। आज कोई भी व्यक्ति सरकारी दमन और सरकारी हिंसा खिलाफ बेखटके बोल सकता है वस्तुतः ऐसा करना तो आज बौद्धिक

'शॉर्टकट' बन गया है और कुछ शब्द और मुहावरे कर दिए गए हैं। सभी को का की तरह टें-टें करते परंतु सामूहिक दबाव और हिंसा के प्रति हम ओष्ठ नहीं होते। हमारी तर्जनी ओष्ठलग्न है। राज्य की दमशक्ति तो है और इस प्रत्यक्ष से लड़ाई आसान है; परंतु समाज को और 'मास मीडिया' द्वारा बहुमत की दमनशक्ति और कोई प्रतिकार नहीं। यह है। इसके घोषित मुहावरे के जाने पर 'कुजात' या 'नक्कू' के का महाभय है। एक लुप, वाचाल और प्रगल्भ वर्ग सूक्ष्म एवं अप्रत्यक्ष तरीके से 'वाणी' को नियंत्रित कर रहा है। आज यदि कोई बुद्धिजीवी ने का साहस करे कि श्रमिक किसान का शोषक है तो वह समूह या बहुमत द्वारा तय मुहावरे के खिलाफ जा रहा है। उसे सामूहिक दमनशक्ति का होना पड़ेगा। प्रत्येक युग में 'गौ-ब्राह्मण' बना लिये जाते हैं उनके खिलाफ कुछ कहना हो जाता है। आज के युग का ह्राण यह श्रमिक है। परंतु वस्तु तो यह है कि अपनी कामचोरी, बाजी और निष्ठाहीनता द्वारा आज वर्ग किसान का शोषण इस प्रकार रहा है कि इसे न्याय नहीं जा सकता। अवश्य ही हरित के सूत्रधार और बड़े किसानों के में यह बात लागू नहीं होती। छोटे किसानों की तो दशा इन घों के कारण दयनीय हो जाती है। खेत की कटाई और दबाई के

तीस एकड़ का काश्तकार आज उत्तर भारत में अच्छा खाता-पीता माना जाता है। परंतु अपनी खेती के बल पर वह अपने बच्चों को 'मेडिकल' या 'इंजीनियरिंग' नहीं पढ़ा सकता, जो कि चालू मुहावरे में वह 'स्थापित व्यवस्था' का अंग है और 'बुर्जुआ' है। दूसरी ओर शहर का एक चपरासी चाहे तो ऐसा कर सकता है; यद्यपि उसे वामपंथी भाषा में 'सर्वहारा' की सुरक्षित उपाधि मिली है। ऐसा क्यों?

समय ही देखें, तो श्रमिक फसल का एक-तिहाई से ज्यादा लूट ले जाता है, एक-तिहाई से ज्यादा तो उसका व्यय ही हो जाता है। शेष बीस प्रतिशत के आसपास उसकी अपनी उपलब्धि है और वह सरकार तथा बिचौलियों की कृपा से माटी के मोल बिकती है। चैत मास में वह अपनी उपजाई फसल प्याज को बेचना चाहता है (और बेचना तो पड़ेगा ही; क्योंकि इज्जत-आबरू, शादी-ब्याह आदि के खर्च जो हैं) तो यह बिकेगी बीस रुपए प्रति मन, पर वही चार मास बाद कम-से-कम एक सौ बीस के भाव बिचौलिया व्यापारी बेचेगा। बाजार में जब मूल्य सूचकांक उठेगा तो शिक्षित श्रेणी के श्रमिक अर्थात् कर्मचारी का वेतनमान व भत्ता बढ़ा दिया जाएगा और इस बढ़ोत्तरी का प्रभाव अन्य वस्तुओं के मूल्य पर पड़ेगा, जो जीवन

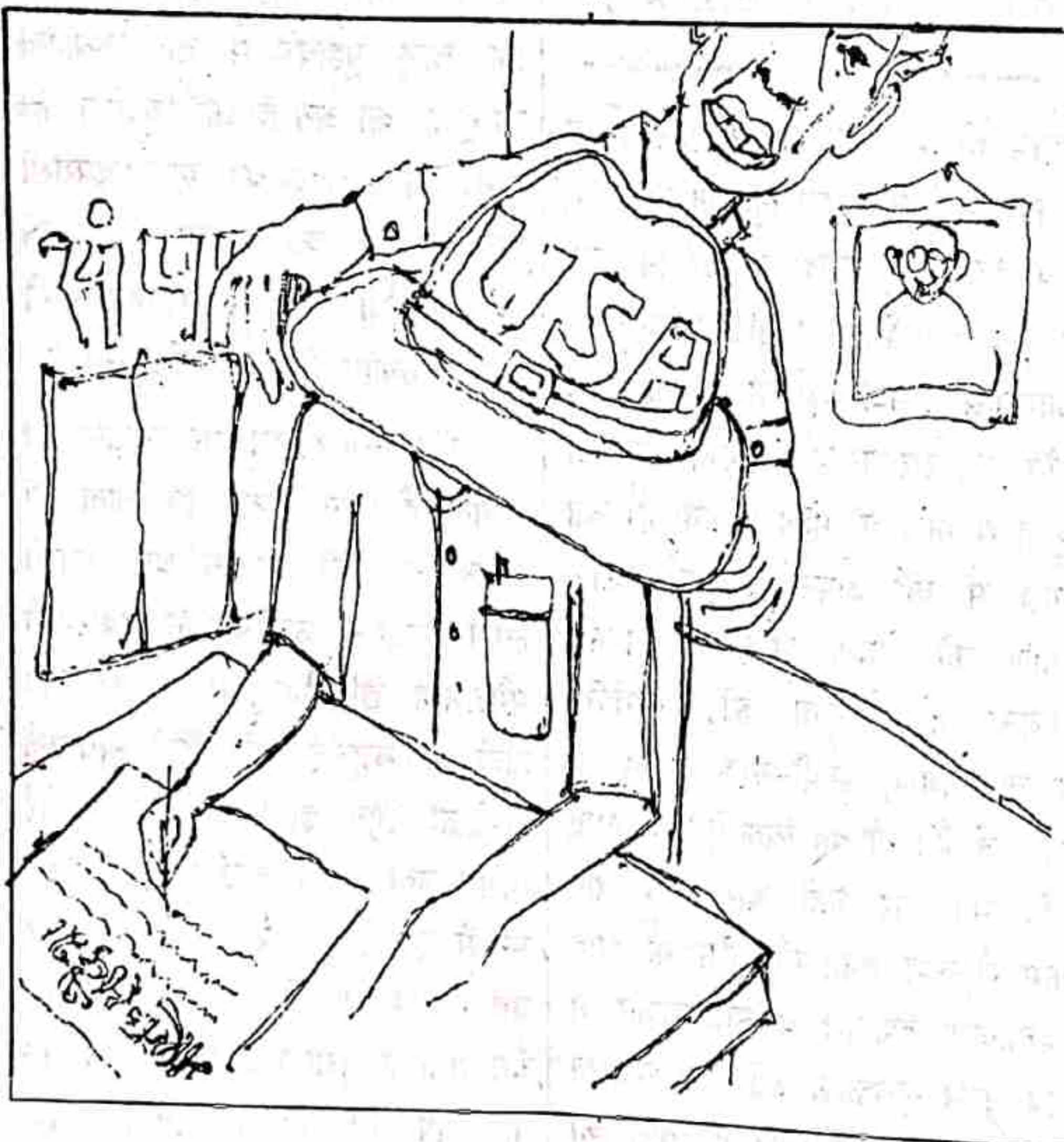
के लिए आवश्यक है। किसान को छोड़कर बाकी सभी वर्ग अपनी क्षतिपूर्ति अपना-अपना भाव बढ़ाकर कर लेंगे; परंतु किसान के जिम्मे रहेगा केवल महंगाई का बोझ बर्दाश्त करते जाना। पूरे देश में एक 'कृषकमेध यज्ञ' चालू है, जिसमें ऋत्विज हैं वाणिक, होता हैं राजनीतिज्ञ, ब्रह्मा हैं उस राजनीतिज्ञ के पक्षधर बुद्धिजीवी और यजमान हैं उपभोक्ता समाज और श्रमिक वर्ग। किसान की भूमिका बलिपशु की है। वह अकेले पड़ गया है। न दक्षिण खेमे में उसका कोई मुखपात्र या बंधु है, न वाम खेमे में। कसम दोनों ही किसान की खाते हैं। तीस एकड़ का काश्तकार आज उत्तर भारत में अच्छा खाता-पीता माना जाता है। परंतु अपनी खेती के बल पर वह अपने बच्चों को 'मेडिकल' या 'इंजीनियरिंग' नहीं पढ़ा सकता, जो कि चालू मुहावरे में वह 'स्थापित व्यवस्था' का अंग है और 'बुर्जुआ' है। दूसरी ओर शहर का एक चपरासी चाहे तो ऐसा कर सकता है; यद्यपि उसे वामपंथी भाषा में 'सर्वहारा' की सुरक्षित उपाधि मिली है। ऐसा क्यों?

ऐसा क्यों? इस पर कितना ही सोचता हूँ, मन खट्टा हो जाता है। सामने नदी की पापहरा धारा काली लगने लगती है। उस पार के दियारे की मंगलमयी छवि अश्रुपात करती ज्ञात होती है। ऋतुचक्र की हवाएँ विषबीज बिखेरती ज्ञात होती है। कहीं कोई विराम नहीं, कहीं कोई सांत्वना नहीं। मन में एक शत्रु प्रवेश कर गया है और वह भावानुप्रवेश के द्वार पर ही जमकर बैठ गया है तथा निरंतर उच्चाटन मंत्र का जाप कर रहा है। लगता है कि उसके इस घोर 'जाप' को विफल करने में मैं असमर्थ हूँ। अतः अब मुझे क्षमा कर दो।

प्रिंट मीडिया में विदेशी पूँजी निवेश का परिणाम

जनतंत्र के भवन के चार स्तंभों में से एक स्तंभ समाचार माध्यमों को माना जाता है। यह जनता

की उसी कसौटी पर रहकर समाचार माध्यम भी कार्य करते हैं जिस पर राजनीति खड़ी होती है।



और राजसत्ता के बीच सम्वाद बनता है। जनता की आकांक्षा और सत्ता के कार्यों को जनहित

जन प्रतिनिधित्व का यह क्षेत्र भी राजसत्ता से कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इस माध्यम की एक सीमा

तब रेखांकित हो जाती है जब व्यवहारिक स्वरूप को देखा जाय। यह क्षेत्र उद्योगपतियों के धन स्रोत आधारित है। उद्योगपति स्वाभाविक से राजसत्ता से लाभ उठाने के सरकार का पक्षपाती बन सकें अथवा आर्थिक लाभ के लिए मानस का विकृत करने वाले वि एवं अन्य विषयों का उपयोग कर रहे हैं। मुख्यतः समाचार माध्यम विज्ञापन पैसों से चलते हैं। यह इस क्षेत्र की विडम्बना है। व्यवसायिक दृष्टि से साधनों की जरूरत होती है। इनके टिकना कठिन है।

प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में निवेश होना चाहिए अथवा नहीं, विषय पर कुछ वर्षों से बहस चल रही है। संभवतः उदारीकरण के आने दिनों में ही प्रिंट मीडिया में निभागीदारी की चर्चा आरंभ हो गई। इससे देश के प्रबुद्ध जन ही नहीं बल्कि के अस्तित्व में आस्थावान राजनेता चिंतित हो उठे थे। जब-जब इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की चर्चा उठी, १९९१ में लिए गए कैबिनेट के एक निर्णय उल्लेख सामने आया। जिसमें भारत में प्रिंट मीडिया में विदेशी पूँजी के प्रवेश प्रतिबंध लगाया गया है। निश्चय ही प्रतिबंध जनतंत्र के अस्तित्व को बरखाने के लिए एक आवश्यक कदम। यदि इस क्षेत्र में विदेशी पूँजी को प्रवेश दी जाती है तो आर्थिक लाभ के लिए जनमानस का भ्रष्ट करने वाले दुष्टों को रोका नहीं जा सकता है। जनहित और राष्ट्रहित की आशा अखबारों से नहीं जा सकती। कई यूरोपीय समाचार पत्रों की दशा यह है कि उन्हें अपनी विपणन के लिए चटपटी सैक्स खबरों की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसी खबरों के लिए समाचार पत्र के लोग शिकारी

फिरते हैं। इस शिकार के रूप में युवरानी डायना की मौत को देखा जा सकता है। बरवालों से बचने के लिए डायना चालक को बहुत तेज गति से कर भागना पड़ा था और इसमें हुई इंग्लैंड के युवराज चार्ल्स को लेकर डोडी नामक होटल युवक के साथ मौजमस्ती में लगी की मौत अखबार की बिक्री को देखें तो हीट खबर कहा जा है। यह है खबर के दुकानदारी का आर्थिक पक्ष।

समय कोई सैक्स-काण्ड, कई दुर्घटना कमाई का माध्यम बनता कमाई के नशे में रहने वालों का पेट सिर्फ पैसा होता है। उन्हें कुछ सोचना स्वीकार नहीं होता। चित्र का खबर उद्योग कभी-कभी जत और संभावित खबरों से भी काम चलते हैं। यूरोप आदि देशों का कमाना सबसे बड़ा धर्म है। ऐसी में जनमानस भी इस प्रवृत्ति से जुड़ है। इसका परिणाम यह हुआ है कि का जनमानस कुंद हो गया है।

वहाँ के अधिकतम लोग उपभोक्ता में ढल चुके हैं। भौतिक सुख, व्यवहारिक कुशलता, दक्षता

विशेषज्ञता होने के बावजूद उनमें संवेदनाओं का हास हो चुका है, जिन संवेदनाओं से सद्विचारों का परिवर्तनकारी ज्वार उठता है। वैचारिक आन्दोलन से राजनीतिक सुव्यवस्था बनती है। ऐसी सामाजिक चेतना का जागरण उस समाज में संभव नहीं होता जिसे समाचार माध्यम निम्न स्तर पर गिरा देता है। पतित हुए समाज का भौतिक सुख साधन किसी काम का नहीं होता। यह एक प्रकार की अमानवीय गुलामी की दशा है और भेड़-बकरियों की जिन्दगी।

इन दिनों जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डी.टी.एच. जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए सरकार की ओर से प्रश्रय मिल रहा है, प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से विदेशी पूँजी के लिए रास्ता खोले जाने की संभावना बढ़ने लगी है। हालाँकि सरकार अभी भी इस संवेदनशील क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश को प्रश्रय देने की बात खुलकर नहीं कर रही है। इस पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। लेकिन वैज्ञानिक विषयों और मेडिकल पत्रिकाओं के क्षेत्र में प्रिंट करने की अनुमति दी जाने से यह लग रहा है कि प्रिंट मीडिया की ओर विदेशी निवेशकों को छूट मिलने लगी है।

एक दूसरा मार्ग भी इस क्षेत्र में बनता जा रहा है वह चिन्ता का विषय है। देश के अखबार घरानों से जुड़े बड़े पत्रकारों ने एक एसोसिएशन बनाकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया है। पायनियर, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और दैनिक जागरण भी है। यह एसोसिएशन इस प्रयास में है कि विदेशी पूँजी निवेश को अनुमति मिल जाए। यदि प्रत्यक्ष पूँजी निवेश की अनुमति नहीं मिले तो एफ. आई.आई. यानि फाइनेशियल इंस्टीट्यूशन इनवेस्टर्स एन.आर.आई. और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की अनुमति दी जाए। इनका कहना है कि धनाभाव के कारण इस उद्योग का विकास नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार ४९% विदेशी पूँजी निवेश की अनुमति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुई है, प्रिंट मीडिया में भी यह अनुमति मिले। यह आशा यदि सफलता बनती है तो राष्ट्र की संप्रभुता व्यवसायिकता के आगे झुकेगी जनमानस की समाष्टि चेतना और चरित्र का हास होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि विचार-स्वतंत्रता समाप्त होगी। पूँजी निवेश के वर्तमान माहौल में यह घटना भी मील का ऐसा पत्थर बनेगा, जिस पर सिर पीटना मौत के समान होगा। ■

बीटी कपास के बाद अब सरसो की बारी

भारत में माहिको-मोनसैन्टो द्वारा विकसित बीटी कपास के परीक्षणों के बाद अब जेनेटिकली विकसित सरसो बीज के परीक्षण की बारी है। इसका काम बहुराष्ट्रीय कम्पनी अवेन्टीस ग्रुप या अधिकृत दिल्ली की कम्पनी प्रो प्रो बी जी एस ने किया है। प्रो एग्रो ने नियम की एक कम्पनी से जी एम

(जेनेटिकली मोडीफायड) बीज १९९४ में खरीदा और भारतीय प्रजाति के साथ मिलाकर एक नये प्रभेद का विकास किया और उसका सीमित स्तर पर परीक्षण किया गया। इन परीक्षणों के परिणाम उत्पादन की दृष्टि से देखकर इनको पूरे देश के पाँच राज्यों के ५२ स्थानों पर परीक्षण इस वर्ष किया जाएगा। यह

अन्तिम पर्यावरणीय परीक्षा के लिए भी तैयार है।

ननहेम्स प्रो एग्रो सीड्स के प्रबंध निदेशक अरविन्द कपूर के अनुसार २०-२५% तक ज्यादा उत्पादन देगी। कम्पनी ने इसके अलावा टमाटर, बैंगन, फूलगोभी एवं बन्दगोभी पर भी कम्पनी ने परीक्षण किया है। ■

विजय विश्वास के साथ संपन्न हुई

राष्ट्रीय परिषद (स्व.जा.मंच) की बैठक

शिमला (हिमाचल प्रदेश) में २-३ जून २००१ को राष्ट्रीय परिषद् (स्वदेशी जागरण मंच) की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में देशभर से परिषद् के सदस्य भाग लेने आए। इसमें सर्व श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी, मदनदास जी, एस. गुरुपति, महाजन, गोविन्दाचार्य, मुरलीधर राव इत्यादि वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। इस आयोजन में एक शाम जन सभा हुई। तेज हवा के बावजूद शिमला के लोग इस सभा में काफी संख्या में बड़ी तन्मयता और जागरुकता के साथ वक्तव्य सुनते रहे। सर्वश्री महेन्द्र पाण्डेय, वीरेन्द्र सिंह और गोविन्दाचार्य ने क्रमशः सभा को सम्बोधित किया। श्री महेन्द्र पाण्डेय देश और समाज की आर्थिक दशा और विषम परिस्थिति पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला। श्री वीरेन्द्र सिंह ने किसान दुर्दशा के लिए सरकार की अनदेखी को कारण बताते हुए बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को रेखांकित किया। गोविन्दाचार्य ने बड़े समग्र रूप से स्वदेशी के परिवर्तनकारी आन्दोलन और इसकी रचनात्मक स्वरूप को लोगों के सामने रखा। उनका पूरा भाषण धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन मूल्यों से ओतप्रोत था।

राष्ट्रीय परिषद् के अंतिम सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जिस गुरु वाक्य को सहभागी सदस्य मानस में रोपा, वह है आत्मविश्वास के बदले 'विजय विश्वास' रखना चाहिए। आत्मविश्वास चूक सकता है विजय विश्वास में कहीं से हार की जगह नहीं है।

इस बैठक में रक्षा क्षेत्र में विदेशी भागीदारी के विरुद्ध २५-२६ और २७ को स्वदेशी जागरण मंच विद्यार्थी और भारतीय मजदूर संघ के संयुक्त तत्वावधान में संसद पर धरना करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में निम्नलिखित पाँच प्रस्ताव पारित हुए...

पारित प्रस्ताव-१

रक्षा क्षेत्र में विदेशी भागीदारी का निर्णय रद्द हो

हाल ही में रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों को विदेशियों के लिए खोलने की घोषणा से ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी पूँजी आकर्षित करने के प्रयास में सरकार अपना विवेक खो चुकी है। रक्षा क्षेत्र को विदेशी पूँजी के लिए खोला जाना न केवल समस्त वैज्ञानिक समुदाय के सुविचारित मत के विरुद्ध है, बल्कि यह १९९१ में घोषित उद्योग नीति जिसमें रक्षा क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था, के भी विरुद्ध है। रक्षा क्षेत्र

को विदेशी भागीदारी के लिए खोला जाना सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता की घोषित वचनबद्धता को भी नकारता है। इस नीति से देश न केवल स्थायी रूप से विदेशों पर निर्भर हो जाएगा, बल्कि इस दिशा में राष्ट्र स्थानीय पहल से भी वंचित रह जाएगा। अंततः हम ऐसी स्थिति तक पहुँच सकते हैं जिसमें न केवल आर्थिक बल्कि विदेशी नीति भी विदेशी पूँजीवादी हितों से प्रभावित होगी। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भारी खतरा पहुँचेगा।

दवा, विमानपत्तन, बैंकिंग, मूल विकास तथा अन्य क्षेत्रों में विदेशी पूँजी अनुमति देने से, विदेशी पूँजीगत हितों भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण का विदेशी पूँजी के प्रति बेरोक-टोक सरकार के निर्णयों से पूरी तरह से उबार चुकी है।

अतः स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद मांग करती है कि व्यापक राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में विदेशी भागीदारी के निर्णय रद्द किया जाए। इस मांग के पक्ष में स्वदेशी जागरण मंच और इसके समविचारी संगठन दिल्ली में २५, २६, २७ जून २००१ को संसद के समक्ष सत्याग्रह करेंगे और इसी प्रकार से सभी प्रांत क्षेत्रों में सत्याग्रह किया जाएगा।

डाभोल विद्युत परियोजना रद्द हो

वर्देशी जागरण मंच वर्ष १९९४ से
मै एनरॉन के विरुद्ध आंदोलन छेड़े
वर्देशी जागरण मंच द्वारा एनरॉन के
ऊर्जा परियोजना का विरोध निम्न
से है -
परियोजना को स्वीकृत

से है -
 गण ने इस परियोजना को स्वीकृत
 करने हेतु धोखाधड़ी और गलत
 तरीकों की। (i) गणदर्शित

अनियमिततायें जैसे :- (i) पारदर्शिता
नितांत अभाव क्योंकि कोई राष्ट्रीय
वैश्विक निविदायें आमंत्रित नहीं।

(ii) ऊँची परियोजना लागत के कारण जलों की असहनीय लागत। (iii) मूल के विरुद्ध और कई बार उसे

प्रोथित करके स्वीकृति। (iv) महंगे
प्रोथित तरल इंधन पर आधारित होने
कारण ऊंची ऊर्जा लागत और अगले

स वर्षों तक विदेशी मुद्रा का पलायन।
पनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखते
ये, राज्य सरकार द्वारा गारंटी तथा केंद्र
ना, ना, कृष्णम गारंटी देने के

कार द्वारा कौण्टर गारंटी देने के
एक राष्ट्रीय लज्जा का विषय।
देशी जागरण मंच के प्रयासों की
विधेयों सहित सभी लोगों ने की

विधियों सहित सभी लोगों ने की।
 केर किया गया कि स्वदेशी जागरण
 र किए गए अध्ययन एवं अभियान
 स्वरूप अन्य परियोजनाओं की

लागत को भी १५००० करोड़ रुपए तक कम किया जा सका। स्वदेशी जागरण मंच का इस संबंध में प्रतिवेदन इस प्रकार की विद्युत परियोजनाओं की लागत मूल्यांकन का आधार बना।

पिछले ८ माह के घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और महाराष्ट्र सरकार भी एनरॉन की लागत को सह नहीं सकती और उन्हें कंगाल कर देगा। सब स्वीकार करते हैं कि एनरॉन देश पर एक भार बन चुका है।

एनरॉन पर हर्जाना लगाने और विद्युत खरीद समझौते सहित एनरॉन समझौते को रद्द करने (चाहे देरी से सही) के लिये स्वदेशी जागरण मंच महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को बधाई देता है।

एनरॉन परियोजना के बारे में पिछली केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई गलतियों को उजागर करने के लिये स्वदेशी जागरण मंच गोडबोले समिति और विशेषतौर पर डॉ. माधव गोडबोले को बधाई देता है।

इन सब के बावजूद केंद्र सरकारों द्वारा ऊंची लागत वाली एनर्शन की बिजली दूसरे राज्यों को वितरित करने संबंधी संभावनाओं को तलाशने के प्रयासों के प्रति स्वदेशी जागरण मंच विशेष चिंता व्यक्त करता है और मानता है कि ऐसा प्रयास राष्ट्रहितों के

प्रतिकूल ही नहीं बल्कि देश के प्रति विश्वासघाती भी होगा। स्वदेशी जागरण मंच मांग करता है कि ऐसे प्रयासों पर तुरंत रोक लगा दी जाए।

स्वदेशी जागरण मंच एनरॉन की बिजली देश के अन्य राज्यों में वितरण संबंधी प्रयासों को रोकने के लिए तत्पर रहेगा। एनरॉन के बचाव में उठाए गए कदमों के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच, केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपेगा। स्वदेशी जागरण मंच, महाराष्ट्र सरकार के इस परियोजना में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप के संदर्भ में जांच के लिये एक ज्ञापन सी. बी. आई. के समक्ष भी पेश करेगा।

स्वदेशी जागरण मंच का यह सुविचारित मत है कि एनरॉन के विरुद्ध संघर्ष निर्णायक दौर में पहुँच चुका है और एनरॉन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले सभी पक्षों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान करता है। स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद मांग करती है कि -

१. एनरॉन को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर रोक लगाई जाए।
२. एक धोखेबाज बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ व्यवहार के संबंध में एक उदाहरण के रूप में डाभोल ऊर्जा परियोजना को तुरंत रद्द किया जाए।
३. गलत कार्यों को छानबीन कर दोषनिर्धारण के लिए एक निष्पक्ष न्यायिक जाँच करवाई जाए।
४. एनरॉन प्रकरण से धोखाधड़ी और रिश्वत खोरी के संदर्भ में सी.बी.आई. द्वारा आपराधिक जाँच प्रारंभ की जाए। ■

**रोजगार सृजन के लिए
संगठित क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए**

सरकार के भीतर और बाहर बढ़ते दबाव से स्वदेशी जागरण मंच का जो सही सिद्ध हुआ है कि राष्ट्रीय समस्या की रीढ़ वास्तव में संगठित

क्षेत्र नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र है। सरकार ने भी असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना आरंभ की है, जिससे इस क्षेत्र में लगे कर्मियों की दशा सुधरेगी। फिर

भी स्वदेशी जागरण मंच, पिछले दशक से विभिन्न सरकारों द्वारा असंगठित क्षेत्रों के लिए लगातार परस्पर विरोधी नीतियों के संदर्भ में अत्यधिक चिंतित है। क्योंकि ये

नीतियाँ असंगठित क्षेत्र के लिए केवल प्रतिकूल ही नहीं, बल्कि शत्रुतापूर्ण भी थीं।

भूमंडलीकरण के एक अग्रणी प्रवर्तक के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गठित रोजगार अवसरों के लिए कार्यदल ने भी अर्थव्यवस्था के स्थायित्व एवं रोजगार अवसरों के संदर्भ में असंगठित क्षेत्र के पक्ष में ही अपनी राय व्यक्त की है। कहा जाता है कि उक्त कार्यदल ने यह कहा है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। पिछले दस वर्षों में संगठित क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि दर आधी रह गई है। यह संगठित क्षेत्र के प्रति सरकार के एकांगी ध्यान देने के बावजूद हुआ है। यह निर्विवाद ही नहीं बल्कि स्वीकृत तथ्य भी है कि असंगठित क्षेत्र ही रोजगार अवसर प्रदान कराने में सक्षम है। परम्परागत अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में असंगठित क्षेत्र में करोड़ों किसान, खेतीहर मजदूर, कारीगर और अन्य स्वरोजगार युक्त वर्ग के

लोग सम्मिलित हैं। असंगठित क्षेत्र से राष्ट्रीय आय, निर्यात एवं बचत का ६० प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। देश की ९० प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या इसी क्षेत्र में कार्यरत है। इस सबके बावजूद विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई विवेक शून्य भूमंडलीकरण एवं गलत दिशा में उदारीकरण की नीतियों के प्रभाव से असंगठित क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र को कालवाह्य एवं अनार्थिक समझकर इसे समाप्त करना और उसे संगठित क्षेत्र में बदलना आवश्यक कहा जाता रहा। एक ओर तो असंगठित क्षेत्र को एकमात्र आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है और दूसरी ओर इसके विपरीत इसे क्रमिक मृत्यु की ओर धकेला जा रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच केंद्र सरकार को आह्वान करता है कि वह असंगठित क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, क्षमताओं तथा पिछले दस वर्षों से अपनायी गई विभिन्न नीतियों के

कारण इस क्षेत्र पर हुए प्रभावों के एक श्वेत पत्र जारी करे।

स्वदेशी जागरण मंच मांग करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों, कॉर्पोरेट कुशल श्रमिकों के प्रमाणीकरण के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक नीतिगत ढाँचा तैयार करे। राष्ट्रीय आर्थिक विकास में इस क्षेत्र की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो सके।

स्वदेशी जागरण मंच सरकार को आह्वान करता है कि इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त शुल्क संबंधी एवं अन्य सुरक्षा उपाय किए जाएं ताकि वैश्विक आर्थिक शक्तियों के असंगठित रूप से प्रभावित न करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच केंद्र और राज्य सरकारों को आह्वान करता है कि परंपरागत आधुनिक वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं से इस क्षेत्र के लिये पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पारित प्रस्ताव-४

विश्व व्यापार संगठन छोड़ो

विश्व व्यापार संगठन के गठन के ६ वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के लागू होने से भारत एवं अन्य राष्ट्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आयातों के बढ़ने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आक्रमण के कारण बड़ी संख्या में लघु उद्योग बंद हो चुके हैं या बंद होने के कगार पर खड़े हैं और कृषि अलाभकारी हो रही है। मात्रात्मक प्रतिबंध हटने से बाजार में

आयातित वस्तुओं के ढेर लगने के कारण स्वदेशी उत्पादन साधन निकम्मे हो रहे हैं।

जबकि विश्व व्यापार संगठन में भारत द्वारा कृषि समझौते, पेटेंट आदि कई विषयों पर पुनर्विचार का प्रयास हो रहा है, विकसित राष्ट्र नये सहस्राब्दि वार्ता दौर शुरू करवाने के प्रयास में जुटे हैं। यदि भारत विकसित राष्ट्रों के इस दबाव के सामने झुका और उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणामों के बारे में खुलकर बहस होने की संभावनाएं

ही नष्ट हो जाएगी।

स्वदेशी जागरण मंच की परिषद मांग करती है कि विकसित देशों का नेतृत्व करने वाले देशों को पिछले ६ वर्षों में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा करने हेतु विश्व व्यापार संगठन को छोड़ कर और नया दौर शुरू करने की मांग की जाए। राष्ट्रों की मांग को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए।

पारित प्रस्ताव-५

कृषि बचाओ

भारत में कृषि व्यवसाय नहीं बल्कि एक जीवन-पद्धति है। आज कृषि पर बढ़ते आक्रमणों ने सम्पूर्ण कृषि समुदाय के अस्तित्व के लिए संकट खड़ा कर दिया है। विकसित देशों की सरकारों द्वारा निरंतर बढ़ती आर्थिक राज सहायता और विश्व व्यापार संगठन के दबाव में सरकार की मात्रात्मक नियंत्रण हटाने की मजबूरी से

देश को भारी डंपिंग का सामना करना पड़ रहा है और किसान हतप्रभ हैं। केंद्र सरकार द्वारा अनाज के भंडारण के विकेंद्रीकरण के नाम पर राज्य सरकारों पर अनाज की खरीद का दायित्व डालने का प्रयास किया जा रहा है। हालाँकि स्वदेशी जागरण मंच अनाज के भंडारण की विकेंद्रीकृत व्यवस्था का पक्षधर है लेकिन अनाज के भंडारण की वैकल्पिक

व्यवस्था के अभाव में केंद्रीय सरकार अनाज की खरीद के अपने कर्तव्य को निभाने में विमुख होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

सरकार द्वारा पर्याप्त खरीद के अभाव में अपना अनाज व अन्य कृषि उत्पाद बेच पाने के कारण, देश के सम्पन्न किसान वर्ग की रक्षा करने वाला किसान आज भूख की नौबत तक पहुँच चुका है।

हस्तक्षेप बढ़ रहा है। दुर्भाग्य का विषय है कि छोटे किसानों के इस देश में कृषि के निगमीकरण की बात की जा रही है। खाद, बीज, बिजली व सिंचाई की दरों में लगातार वृद्धि और कृषि पदार्थों की घटती कीमतों और लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण कर्ज में डूबते किसान कृषि को त्यागने के लिए विवश हैं अथवा आत्महत्या तक कर रहे हैं। यह देश के लिए खतरे की घंटी है।

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद यह मांग करती है कि -

१. कृषि आयातों को नियंत्रित करने हेतु पुनः अविलम्ब मात्रात्मक नियंत्रण लगाए जाएं।
२. लागत को कम करने के उद्देश्य से कृषि अदायों की उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और किसानों को

सभी कृषि उत्पादों के लिए लागत आधारित मूल्य उपलब्ध कराने की स्थायी व्यवस्था की जाए।

३. केंद्र व राज्य सरकार कृषकों को उनके उत्पाद को उचित समय पर बाजार में बिक्री हेतु लाने से पहले सुरक्षित रखने हेतु छोटे अथवा बड़े भंडारण केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था हो, ताकि कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
४. विश्व व्यापार संगठन के दोहा (कतर) में प्रस्तावित मंत्रीमंडलीय सम्मेलन में विशेष तौर पर कृषि समझौते पर पुनर्विचार के संदर्भ में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने देश के वास्तविक किसान प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की चेतावनी

कार की नीतियाँ नहीं बदली तो तीव्र आंदोलन करेंगे

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की कार्यकारी परिषद् की बैठक २००१ को अमृतसर, पंजाब में हुई। बैठक में प्रस्ताव क्रमांक-३ दिन प्रतिदिन बिगड़ती आर्थिक के कारणों को ध्यान में रखकर लिया। इस प्रस्ताव में मात्रात्मक हटाए जाने से आयात-निर्यात सभी दोषों से देश की अर्थव्यवस्था समझी जाने वाली कृषि और उद्योग के क्षेत्र में छा रहे संकट को किया गया है। बीज, खाद, खाद्यान्न, खाद्य प्रसंस्करण आदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती की पर चिन्ता जताई गई है। साथ प्रस्ताव में एनरॉन के आर्थिक में फँसी सरकार को बतौर उल्लेख किया गया है। १३ २००० को संसद में सरकार द्वारा

प्रस्तुत वक्तव्य में १७,६२,७८९ लघु उद्योगों को बीमार और पंजीकृत दशा में ४.०६ करोड़ बेरोजगारों की संख्या में नित्य वृद्धि का उल्लेख करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने उचित संरक्षण और उचित संरचनात्मक परिवर्तन की माँग की है।

रोजगार की समस्या को युद्ध के समान राष्ट्रीय संकट मानकर रोजगारोन्मुख, राष्ट्रीय नीति, पूँजी निवेश, उद्योग, व्यापार सेवा आदि सभी क्षेत्रों में तुरंत लागू करने का आग्रह करते हुए कार्यकारी परिषद् ने देश के सामने आर्थिक स्थिति में पारदर्शिता की आवश्यकता पर

बल दिया है। सरकार से यह भी आग्रह किया गया है कि वह विकासशील देशों को साथ लेकर विश्व व्यापार संगठन में प्रभावकारी भूमिका बनाए।

परिस्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखकर देश के हित में आर्थिक नीतियों के संदर्भ में छात्र तथा युवाशक्ति को जागृत रहने का तथा स्वयं के जीवन में स्वदेशी पालन का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने आह्वान किया है। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि सरकार की नीतियाँ इस दिशा में स्पष्ट रूप से नहीं बदली तो छात्रों के तीव्र आंदोलन का उसे सामना करना पड़ेगा।

हमको विकास करना है अपनी प्रकृति के आधार पर अपनी संस्कृति के आधार पर, अपनी प्रतिभा के आधार पर। क्योंकि अगर दुनियाँ में हमको जिन्दा रहना है तो अपने बलबूते पर जिन्दा रहना है किसी दूसरे पर आश्रित होकर नहीं।

- कुप.सी. सुदर्शन



देशी मुर्गी बनाम विदेशी मुर्गी

अमरीकी मुर्गी की टाँग अकेली भारत के मुर्ग-मांस प्रेमियों के लिए नहीं आई है, अपने साथ जीन सम्बद्धित दूसरे भोज्य पदार्थ भी लाई है। जीन सम्बद्धित भोज्य पदार्थों के विषय में यह कहा जाता है कि वह डी.डी.टी. इत्यादि कीटनाशकों की तरह ही अपना अस्तित्व आहार चक्र में कहीं न कहीं बनाए रहता है। वह नष्ट नहीं होता। अर्थात् जब जीन सम्बद्धित भोज्य पदार्थ खाकर समय से पहले मोटी तगड़ी हुई मुर्गी अपने ग्राहक को आकर्षित कर उसके उदर में जाती है, अपने साथ उस सम्बद्धित जीन को भी ले जाती हैं जिसने उसे समय से पहले बिकाऊ बना दिया। सम्बद्धित जीन मुर्गी भोजी व्यक्ति को भी अपने गुण से प्रभावित करता है। वह व्यक्ति भी हारमोन के असंतुलन का शिकार हो सकता है। अमेरिका में असमय जवान हो रही संतानों के कारणों से लोगों में भय ज्यादा हुआ है। पॉल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव का एक बयान सामने आया है उनका कहना है कि अमेरिकी प्रयोगशालाओं में ट्रांसजेनिक मुर्गी पर प्रयोग चल रहे हैं। इसलिए हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि विदेशी मुर्ग-मांस का परीक्षण अवश्य किया जाये। तब उसे

बाजार को सौंपा जाए। यह भी चर्चा में है कि अमेरिका और यूरोप में मुर्गियों को वजन बढ़ाने के लिए उनको चर्बीदार बनाना जरूरी समझा जाता है मुर्गी की चर्बी बढ़े इसके लिए उन्हें वसायुक्त भोज्य पदार्थ खिलाया जाता है। जीन सम्बद्धित मुर्गी एक महंगा उत्पादन हो सकती है इसके विषय में घोषित जानकारी का अभाव है पर विदेशी मुर्गियाँ क्या खिलाकर पाली जाती है इसकी जानकारी मिल चुकी है। देशी मुर्गी पालन केंद्र इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। वह भी अपनी मुर्गियों का लालन-पालन विदेशी तर्ज पर कर सकते हैं। लेकिन मुर्गी-बाजार विदेशी मुर्गियों के आयात से तेजगति से प्रभावित हो रहा है। राजधानी दिल्ली में २.५ लाख मुर्गियों की प्रतिदिन खपत होती है। इस बाजार पर अब विदेशियों का कब्जा होता जा रहा है। पाँच तारा होटल और कैटरर्स इन दिनों केवल विदेशी मुर्गी के माँस ग्राहकों को खिलाने में लगे हैं यह बिना सोँचे कि उनकी देह में कैलस्ट्रॉल की वृद्धि से बीमारी हो सकती है। समस्या यह भी है कि विदेशी मुर्गी आयात पर १०८ प्रतिशत आयात शुल्क है फिर भी वह सस्ते में बिककर बाजार बनाने में लगी हैं।

स्वदेशी दर्द निवारक

दर्द निवारक दवाओं के बाजार में अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए जड़ी-बूटियों और जैविक यौगिक से बनी स्वदेशी दर्द निवारक दवा आ धमकने वाली है। यह माईग्रेन, पीठ दर्द मांसपेशी खिंचाव, सिरदर्द जैसे रोगों में बहुत कारगर

होगी। आंध्र प्रदेश के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के उपनिदेशक सी जानकीराम और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मोहम्मद खलिलुल्लाह ने इस स्वदेशी दर्द निवारक की खोज की है।

दिल्ली का दिल और विदेशी सब्जी

दिल्ली की सामाजिक रचना कुछ इस तरह की है कि कोई भी आकर्षण कमाई का साधन दे सकता वास्तव में महानगर अर्थश्रित विकास उत्पादन होता है। इसमें अधिक से अधिक लोग वे होते हैं जिन्हें जड़ से कटने सौभाग्य प्राप्त होता है अर्थात् मूल संस्मृति के अभावों के साथ पैसों के दबाव में जीने वाले लोगों के रहने की वजह से महानगर बेरोक प्रभाव करते हैं। आज विदेशी साग-सब्जी से मेहमानों का स्वागत करनेवाले दिल्लीवासी अपने बातचीत यह सिद्ध कर रहे हैं कि उन्हें कोई हिचकिचाया चिंता नहीं है, देश का पैसा कहीं कोई भूपेन्द्र सिंह साहनी, रमेश सेठी कुशल अरोड़ा इस तरह के नाम और सकते हैं जिन्हें यह नहीं लगता कि विदेशी सब्जी का स्वाद देह और देश की रक्षा कमजोर करता है। कैसे है वे जापानी जिनके यहाँ आयातित फल का देह गया, लेकिन किसी ने उसे खरीदा तक जापानी जानते हैं कि स्वदेशी उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है। दिल्लीवासी नहीं जानते तो उन्हें जानना होगा कि देश रखना है तो देश उत्पादनों की खरीद भी जरूरी है।

रेलवे इंजनों में
पत कम करने का
करण बनाया

डीजल इलैक्ट्रिक इंजनों में एक स्वदेशी उपकरण का है। यह उपकरण ईंधन की कम करेगा और प्रदूषण पर कम करेगा। इस माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड (एम.सी.बी.जी.) का विकास विकास विभाग ने किया और रेल संयंत्र में इसका उत्पादन रेल ने ऐसे २० एम.सी.बी. की है। यह अनुमान किया रेलवे अपने सभी ३२०० डीजल इंजन लगाने के बाद ६० करोड़ अतिरिक्त बचत करेगा।

उपकरण ईंधन बचाने और करने के साथ इंजन की कार्य भी बढ़ायेगा और ईंधन की क्षमता अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित

की अर्थव्यवस्था की
से भारतीय कपड़ा
उद्योग प्रभावित

आँकड़ों के अनुसार अमेरिकी मार अब कम्प्यूटर साफ्टवेयर के भारतीय कपड़ा उद्योग पर पड़ी है। के कुल निर्यात में सबसे बड़ा भाग मिलाने वस्त्रों का होता है जिसका कम भाग अमेरिका और यूरोप को जाता है। अमेरिकी मंदी के कारण कपड़ों का आयात कम हो गया है जो अंतर भारतीय कपड़ा निर्यातकों को है। इस मंदी के कारण निर्यात में कमी आने की आशंका जा रही है।

भारत सरकार ने स्टील आयात के मुद्दे पर अमेरिकी सरकार से डंपिंग रोधी शुल्क के स्थान पर परिमाणात्मक प्रतिबंध लगाने को कहा

भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार को भारतीय स्टील के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क के स्थान पर परिमाणात्मक प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। यह कदम स्टील उत्पादकों की बिगड़ती हालत को देखते हुए उठाया गया है।

यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश के स्टील के आयात पर प्रतिबंध और अनफेयर व्यापार की अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ (आईटीसी) द्वारा जाँच के लिए कहने पर लिया गया।

स्टील व्यापार से संबंधित स्रोतों के अनुसार इस विषय पर बातचीत के लिए भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखा है। पिछले वर्ष इन्हीं परिस्थितियों में अमेरिकी सरकार ने रशियन स्टील पर डंपिंग रोधी शुल्क के स्थान पर परिमाणात्मक प्रतिबंध लगाया था। भारत के कुल २.५ मिलियन टन निर्यात का ४०% अमेरिका का होता है। अमेरिकी सरकार ने जनवरी २००१ में भारतीय स्टील

के आयात पर ३५% एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की धमकी दी जो भारतीय स्टील उद्योग के लिए बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि अभी माँग की तुलना में २.५ मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। भारत में अमेरिका को निर्यात जनवरी २००१ से ही डंपिंग रोधी शुल्क की घोषणा के बाद से बन्द है।

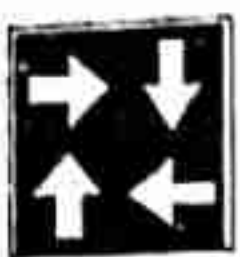
भारत के पाँच स्टील उत्पादकों की कुल क्षमता १२ मिलियन टन है जबकि देश में माँग ९.५ मिलियन टन की है। अमेरिकी सरकार ने भारतीय स्टील के अमेरिकी स्टील की तुलना में कम मूल्य को देखते हुए इसके आयात पर ३५% डंपिंग रोधी शुल्क की घोषणा की।

इसी दौरान अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय निर्यातकों द्वारा अपनाई गई तथाकथित असंवैधानिक तरीकों की जाँच कर रहा है, ने भारतीय पक्ष रखने के लिए टाटा स्टील और एस्सार स्टील को आमंत्रित किया है।

अमेरिका की विश्व व्यापार संगठन में हार

अमेरिका को विश्व व्यापार संगठन के न्यायालय में हार सहनी पड़ी। अमेरिका के द्वारा दी जा रही कई बिलियन डॉलर की निर्यात सब्सिडी का मुकदमा विश्व व्यापार संगठन के समक्ष यूरोपीयन यूनियन द्वारा लाया गया।

विश्व व्यापार संगठन की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का नया कानून जिसे विदेश बिक्री निगम (एक सेल्स कॉर्पोरेशन) नाम दिया गया है वह खुले बाजार के सिद्धांतों एवं नीतियों के विरुद्ध है अतः यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विरुद्ध है। इसके अनुसार अगर अमेरिका अपने सब्सिडी वाले नये कानून को खत्म नहीं करता है तो यूरोपीय संघ उसके उत्पादों पर दिए जा रहे ४ बिलियन डॉलर के आयात शुल्क में दिए जा रहे छूट को खत्म कर देगा।



भारत का विश्व व्यापार संगठन के नये दौर की बातचीत में सभी विकासशील राष्ट्रों से एक मत होने का आह्वान

भारत के वाणिज्य मंत्री श्री मुरासोली मारन ने जी-७७ समूह के सभी राष्ट्रों के वाणिज्य मंत्रियों को पत्र लिख कर दोहा में नवम्बर २००१ में होने वाले विश्व व्यापार संगठन के मंत्रीस्तरीय सम्मलेन में एकजुट रहने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है कि दोहा दौर में एक नये दौर की बातचीत शुरू करने के स्थान पर उरुग्वे एवं सियेटल में हुए समझौते को लागू करना होगा। उरुग्वे एवं सियेटल में हुये समझौते को विकासशील देशों ने तो लागू किया है लेकिन विकसित देश अनेक बहाने बना कर इनसे पीछे हट गये हैं। जब तक पुराने मसलों का निपटारा न हो जाये तब तक हर बार एक नये दौर की बातचीत की शुरुआत करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा है विभिन्न व्यापारिक मुद्दों पर विकासशील देशों का आपस में सहयोग करना चाहिये। भारत जैसे विकासशील देश उरुग्वे दौर की बातचीत का बहुत बड़ा मूल्य चुका रहे हैं और अब ट्रिप्स एवं ट्रिप्स जैसे मुद्दों को जल्दी निपटारा आवश्यक है। जब तक वर्तमान असमानताओं को दूर नहीं किया जाएगा। नये दौर की बातचीत भी असफल साबित होगी। विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान व्यवस्थाओं ने मराकेश समझौते का उल्टा है। मरान ने "विश्व

व्यापार संगठन की पेटेंट एवं दवा मूल्यों पर चुप्पी और विश्व व्यापार संगठन के जरिये तकनीकी हस्तांतरण होने पर चिन्ता प्रकट की है।"

व्यापार उदारीकरण के नाम पर गैर व्यापारिक मुद्दों को उठाने के बारे में मरान ने कहा कि विकासशील देश और ज्यादा जिम्मेवारियाँ नहीं उठा सकते और इस तरह के गैर व्यापारिक मुद्दों को उठाने के विरोधी हैं विकासशील देश व्यापार के साथ श्रम एवं पर्यावरण मुद्दों के जोड़ने के विरोधी हैं। क्योंकि ये सभी मुद्दे प्रतियोगिता खत्म करने के लिये और संरक्षणवाद को बढ़ावा देने के लिये उठाये जाते हैं।

मरान ने जोर देकर कहा है कि नये मुद्दे तभी उठाये जाने चाहिए जब वे व्यापार सम्बन्धी हो और इनके प्रभावों पर विस्तृत

चर्चा होनी चाहिये विकासशील देशों के बात सोचनी चाहिए कि ये मुद्दे उन्हें कितना हित पोषित करते हैं। मरान ने भी कहा कि सियेटल की शिक्षा दोहा से सम्बन्धित है। और दोहा दौर की बातचीत टूटने से बहुपक्षीय व्यापार को बहुत हानि हो सकती है। अपने पत्र में विश्व व्यापार संगठन की आलोचना करते हुए मरान के यह भी लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों के लिये लाभकारी कानूनों को लागू कराने में तो आगे आगे रहता है लेकिन विकासशील देशों के लिए लाभकारी कानूनों के मुद्दों पर रहस्यमय चुप्पी साध लेता है। मरान ने लिखा है कि इस बैठक में पिछले मुद्दों की समीक्षा की जाये और उनपर कोई ठोस निर्णय लिया जाये।

आँवला का पेटेंट जीता "बनारसी बाबू" ने

बनारस के निवासी श्री स्वीनाथ घोषाल ने अमेरिका के पेटेंट कार्यालय में आँवलों के विभिन्न प्रयोगों के लिए पेटेंट का अधिकार प्राप्त किया।

ज्ञातव्य हो कि भारतीय परम्परागत स्वास्थ्य पद्धति में आँवला का महत्व बड़ा से रहा है। पिछले कुछ वर्षों से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एवं विदेशियों द्वारा जिस तरह नीम, करेला, बैंगन, जामुन, हल्दी इत्यादि का पेटेंट करने की होड़ चल पड़ी है उससे आँवला पर भी खतरा मंडरा रहा था। श्री घोषाल ने जो पेटेंट प्राप्त किया है वह उरुग्वे एवं उत्पाद दोनों प्रक्रिया से संबंधित है। तात्पर्य यह है कि अब अमेरिका में आँवला के उत्पाद के विपणन एवं विक्रय के लिए सबसे पहले श्री घोषाल की अनुमति लेनी आवश्यक है। आँवला का प्रमुख उत्पाद 'कैप्रोस' है। यह सामान्य पद्धति से बनायी जाती है और प्रतिकारक के रूप में प्रयोग की जाती है।

दौर की विश्व व्यापार संगठन के वार्ताओं के पहले के कार्यक्रमों से औद्योगिक देश चिन्तित :

तीसरी उद्योग मंत्री एवं उद्योग
द्वारा दोहा दौर के वार्ताओं के
विकासशील देशों को एक मत
अभियान से यूरोपीय देश
गये हैं। उन्होंने भारत के इस
को असफल करने की कोशिश
की है। वे भारत पर यह दबाव
हैं कि भारत विकासशील देशों
करने की कोशिशें छोड़ दें।
है कि अगर भारत नेतृत्व करने
हो जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र
वर्चस्व समाप्त हो जायेगा।
देश नये दौर की बातचीत की
करना चाहते हैं। जबकि भारत
बकाया मसलों को निबटाना
है। इसका मूलकारण है भारत की
आर्थिक स्थिति। इतनी
कम्पनियाँ के बँचने, भारतीय
जगर में इतना विदेशी पैसा लगाने
शियों को हर तरह तरह की छूट
बाद भी भारत की विकास दर ५%
नहीं बढ़ पा रही है। इसी तरह
कुछ करने और ढिंडोरा पीटने के
वित्तीय घाटा ५% से ऊपर रह रहा
असफलता के कारण अपनी
खराब होते देख सरकार
जता का तीसरा विश्व व्यापार
के सिर पर तोड़ना चाहती है।
लिये उसने विश्व व्यापार संगठन
नी नियमों को लागू करने का मन

इस बारे में भारत ने विकासशील
को पत्र लिखकर समर्थन माँगा है।
पत्र में विश्व व्यापार संगठन द्वारा
विकासशील देशों के साथ किये जा रहें

दोषपूर्ण दायम दर्जे के व्यवहार की
आलोचना करते हुए लिखा गया है कि अब
समय आ गया है कि विकसित देशों के
लिये बनाये गये नीति-नियमों को लागू
कर हाथ झाड़ लेने वाले विश्व व्यापार
संगठन पर इस बात का दबाव बनाया
जाये कि वह अब उन नीति-नियमों को
लागू करे जो विकासशील देशों के लिये
लाभदायक हैं। जैसे ट्रेडिंग ब्लॉक मुक्त

**भारत यह चाहता है
कि इस बार की बैठक
में पिछली बैठकों में लिए
गए निर्णयों की समीक्षा
की जाये और सभी
मुद्दों का निपटारा
किया जाये. . . .**

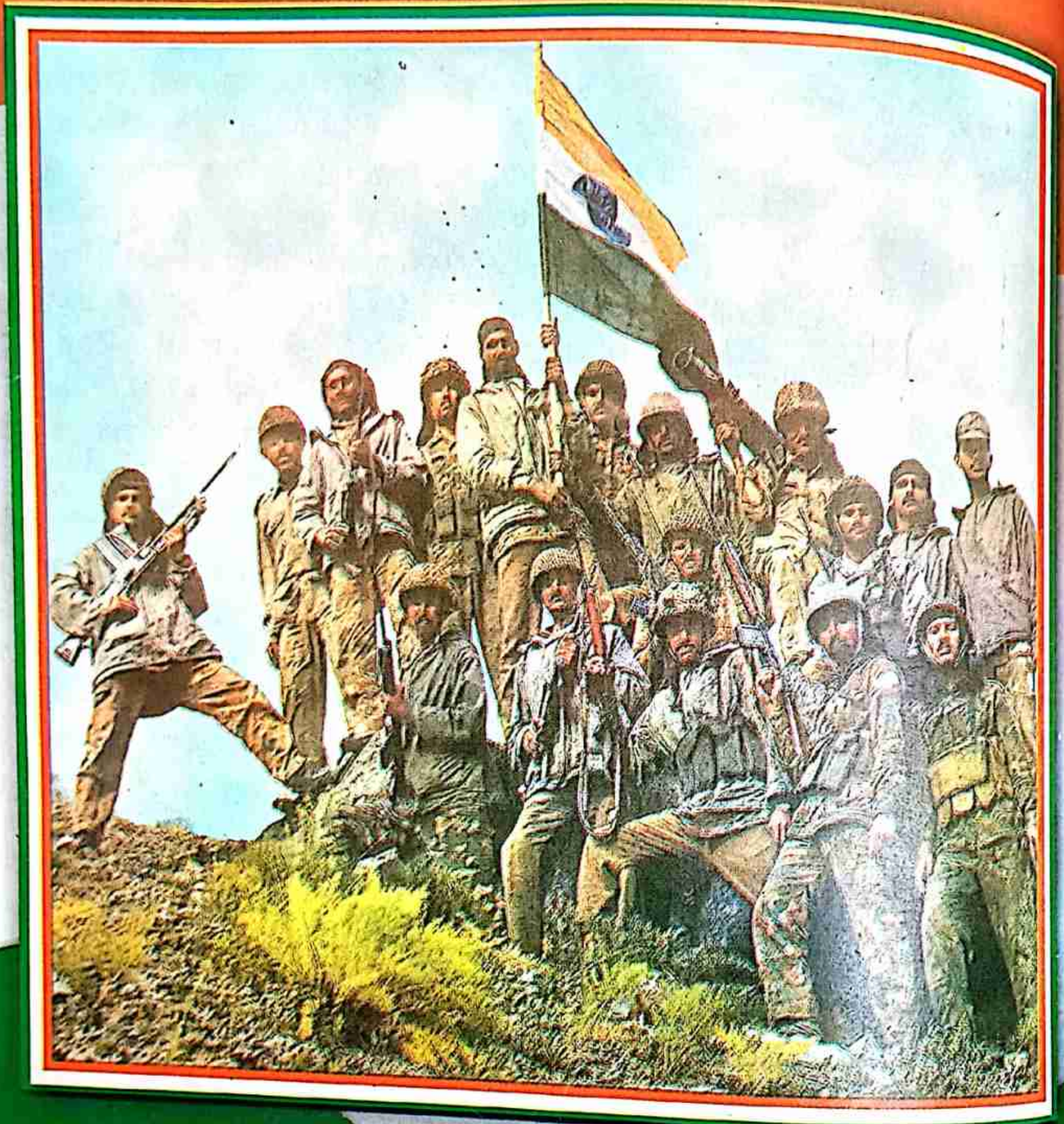
व्यापार क्षेत्र और विकासशील देशों को
दी जाने वाली रियायतें।

भारत ने विकासशील देशों के
आर्थिक हालतों के खराब होने के लिये
विश्व व्यापार संगठन में नियमों को दोषी
ठहराना प्रारम्भ कर दिया है। पिछली
बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि
विकासशील देश आपस में व्यापारिक
ब्लॉकों की स्थापना करेंगे जिससे व्यापार
में बेकार की झंझटों से मुक्ति मिले। इन
ब्लॉकों के बनने से वस्तु विनिमय के द्वारा
व्यापार होगा जैसे कहीं गेहूँ ज्यादा होता है
और कहीं चावल तो दोनों देश आपस में
गेहूँ एवं चावल का विनिमय कर लेंगे।

भारत यह चाहता है कि इस बार की
बैठक में पिछली बैठकों में लिए गए
निर्णयों की समीक्षा की जाये और सभी
मुद्दों का निपटारा किया जाये। भारत
इस बार विकासशील देशों को अधिक
व्यापारिक छूट या रियायतें देने की माँग
कर रहा है। यह बात विकसित देशों को
नागवार गुजर रही है क्योंकि निर्णय
उनके कार्य-कलापों के विरुद्ध ही होगा।
विकासशील देशों को रियायत देने का
सीधा मतलब है कि विकसित देशों के
हितों की हानि।

भारत में ये सभी कदम घरेलू एवं
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख बचाने
के लिए उठाए हैं लेकिन ये अन्य
विकासशील राष्ट्रों के लिए भी लाभकारी
है। यही कारण है कि विकसित देश
इनका विरोध कर रहे हैं और उनकी जेबी
संस्था विश्व व्यापार संगठन के कई
प्रतिनिधियों ने तो सार्वजनिक तौर पर यह
कहना शुरू किया है कि पुराने मुद्दे
उठाना बेकार है क्योंकि इनकी समीक्षा से
बैठक का बहुमूल्य समय बर्बाद होगा।
इसमें कोई भी नई शुरुआत नहीं हो
पाएगी। भारत अपनी मजबूरियों से बेबस
होकर पुराने नीति-नियमों की समीक्षा पर
अड़ गया है और कह रहा है कि जब तक
पुराने की समीक्षा नहीं होगी तब तक नये
की आवश्यकता नहीं। ऐसे तो हर बार
नये के चक्कर में पुराने मुद्दे पीछे छूटते
जायेंगे और विकासशील राष्ट्र आर्थिक
गुलामी के भँवर में फँसते जाएंगे।

अब देखना यह है कि इस आर्थिक
कूटनीति के रणक्षेत्र में विजेता कौन
बनता है — पूर्व या पश्चिम?



वरत्र स्वदेशी अरत्र स्वदेशी रक्त स्वदेशी स्वाभिमान
स्वदेश-प्रेम की बलिवेदी पर गौरव गाथा लिखता बलिदानी

ईश्वर दास महाजन

स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के लिए कुमार ब्रदर्स प्रिंटिंग प्रेस, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२ से मुद्रित एवं ६०, नॉर्थ एवेन्यू से